बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु
निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए

हस्तपुस्तिका

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार
32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

© बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, 2014

दूरभाष : 0612-2231563
फैक्स : 0612-2231562, 2215089
वेबसाईट : **www.bsea.bih.nic.in**

मुद्रक : स्वास्तिक प्रिंटर्स एण्ड को०, पटना

प्रस्तावना

राज्य के सहकारी सहकारी समितियों के निर्वाचन के निमित्त मतदाता सूची के प्रकाशन के कार्यक्रम की घोषणा से निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक निर्वाचन के प्रत्येक कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन एवं निर्वाचन संचालन के पश्चात् निर्वाचन संबंधी कागजातों की सुरक्षित अभिरक्षा निर्वाचन पदाधिकारियों पर निर्भर होती है। निर्वाचन के दौरान मामूली-सी गलती, चूक या नियमों के गलत निर्वचन से निर्वाचन निष्फल हो सकता है। ऐसी स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा निष्पक्ष एवं सुस्पष्ट भूमिका का निर्वाह अति आवश्यक हो जाता है। सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यक्रम का निष्पक्ष संचालन हो, इस हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों का यह परम दायित्व होता है कि वे सहकारिता अधिनियमों तथा राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा जारी निदेशों/ नियमों से पूर्ण अवगत रहें।

ज्ञातव्य है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 14, 2008) की धारा 5(2) एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 के नियम 6(2) तथा सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03.2012 के प्रावधानों के अधीन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 6476 दिनांक 12.05.2012 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी उनके क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) तथा सभी उप विकास आयुक्त/ सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी उनके क्षेत्राधिकार के लिए जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) के रूप में अधिसूचित हैं। इसी प्रकार प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 6477 दिनांक 12.05.2012 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी उनके क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले सहकारी समितियों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हैं। बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) नियमावली, 2008 के नियम 10(ख)(iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 6477 दिनांक 12.05.2012 द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी के सहयोग के लिए उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु प्रखंड पर्यवेक्षकीय स्तर के पदाधिकारियों को नियुक्त करने के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) को प्राधिकृत किया गया है। प्रत्येक सहकारी समिति का निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो, इस हेतु निर्वाचन पदाधिकारी को प्राधिकार के अतिरिक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) एवं जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराने का निदेश पूर्व में ही जारी किया गया है। आवश्यकतानुसार विभिन्न समितियों के निर्वाचन के लिए प्राधिकार द्वारा नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है।

आशा है कि यह हस्तपुस्तिका सहकारी समितियों के निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

(फूल सिंह)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1	मतदाता सूची का प्रकाशन	**9**
2	मतदाता सूची का अद्यतनीकरण (अपडेशन)	**10-11**
3	सूचना का प्रकाशन	**12**
4	प्रबंधकारिणी कमिटी के पदधारियों की संख्या एवं आरक्षण	**13**
5	नामांकन पत्र	**14-18**
6	नामांकन कौन दे सकता है	**19**
7	नामांकन शुल्क	**20**
8	प्रस्तावक एवं समर्थक	**21**
9	नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा संलग्न किये जाने वाले कागजात	**22**
10	नामांकन पत्र प्राप्त करते समय निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विशेष ध्यान देने योग्य बिन्दु	**23**
11	नामांकन पत्र की संवीक्षा	**24-27**
12	अभ्यर्थिता की वापसी	**28**
13	विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची	**29-30**
14	प्रतीक आवंटन	**31-32**
15	मतदान केन्द्र की स्थापना	**33-35**
16	भारतीय दंड संहिता के दंड प्रावधान	**36**
17	निर्विरोध एवं सविरोध निर्वाचन	**37**
18	मतपत्र के परिकल्प का निर्धारण एवं मुद्रण	**38-39**
19	कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किये जाने अथवा कोई भी नामांकन पत्र वैध नहीं पाये जाने अथवा स्वीकृत किये गये सभी नामांकन पत्रों को संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा वापस ले लिये जाने पर	**40**
20	निर्वाचन अभिकर्त्ता/ मतदान अभिकर्त्ता/ मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति	**41**
21	मतदान का प्रत्यादिष्ट (countermanded) होना	**42**

क्रम संख्या	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
22	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/ उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं के पहचान पत्र	**43**
23	मतदान केन्द्र के निकट शस्त्र धारण पर प्रतिबंध	**44**
24	निर्वाचन व्यय (सिर्फ पैक्स निर्वाचन के लिए)	**45-49**
25	पुनर्मतदान	**50-52**
26	मतगणना केन्द्र एवं वज्रगृह की स्थापना	**53**
27	निर्वाचन पदाधिकारी के महत्वपूर्ण कर्त्तव्य	**54**
28	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाएँ	**55**
29	प्रेक्षक	**56**
30	निर्विरोध/ सविरोध निर्वाचित सदस्यों के संबंध में सूचना	**57**
31	मानक प्रपत्र	**58**

परिशिष्ट-1

1	प्रपत्र-एम 1	: व्यक्तिगत सदस्यों की मतदाता सूची	**61**
2	प्रपत्र-एम 2	: मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना का प्रारूप	**62**
3	प्रपत्र-एम 3	: मतदाता सूची से नाम हटाने अथवा जोड़ने के संबंध में आपर्त्ति दर्ज करने का प्रपत्र	**63**
4	प्रपत्र-एम 4	: मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र	**64**
5	प्रपत्र-एम 5	: अंतिम प्रकाशन के लिए अनुपूरक मतदाता सूची का नमूना	**65**
6	प्रपत्र-एम 6	: मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना का प्रारूप	**66**
7	प्रपत्र-एम 7	: मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा तैयार कर जिला सहकारिता पदाधिकारी को भेजे जाने वाले एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा समेकित रूप से प्राधिकार को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन का प्रपत्र	**67**
8	प्रपत्र-एम 8	: अद्यतनीकरण प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नामों को जोड़ने/ विलोपित करने/ शुद्ध करने के संबंध में आपत्तियाँ देने हेतु सूचना	**68**
9	प्रपत्र-ई 1	: सूचना का प्रपत्र	**69**

क्रम संख्या		विषय सूची	पृष्ठ संख्या
10	प्रपत्र-ई 2	: नामांकन पत्र संवीक्षा का प्रमाण पत्र प्रपत्र-क - शपथ पत्र प्रपत्र-क का एनेक्सचर प्रपत्र-ख - अभ्यर्थी का बायोडाटा प्रपत्र-ग - मतदाता होने की घोषणा प्रपत्र-घ - नामांकन पत्र की समीक्षा हेतु चेक-लिस्ट	**70-79**
11	प्रपत्र-ई 3	: दाखिल नामांकन पत्रों की विवरणी	**80**
12	प्रपत्र-ई 4	: अभ्यर्थिता वापसी की सूचना	**81**
13	प्रपत्र-ई 5	: अभ्यर्थिता वापस लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची	**82**
14	प्रपत्र-ई 6	: विभिन्न सहकारी/ स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची	**83-84**
15	प्रपत्र-ई 7	: अभ्यर्थियों का नाम समान (Identical) रहने पर पहचान हेतु सूचना	**85**
16	प्रपत्र-ई 8	: प्रतीक आवंटन की सूचना	**86**
17	प्रपत्र-ई 9	: निर्वाचन प्रमाण-पत्र	**87**
18	प्रपत्र-ई 10	: निर्वाचन अभिकर्त्ता/ मतदान अभिकर्त्ता/ मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति	**88**
19	प्रपत्र-ई 11	: अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्त्ता पहचान पत्र	**89**
20	प्रपत्र-ई 12	: निर्वाचन व्यय के संबंध में प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जाने वाली सूचना का प्रपत्र	**90**
21	प्रपत्र-ई 13	: निर्वाचन व्यय का लेखा हेतु पंजी	**91**
22	प्रपत्र-ई 14	: अभ्यर्थी द्वारा दी जाने वाली पावती का प्रपत्र	**92**
23	प्रपत्र-ई 15	: निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जाने वाली पावती का प्रपत्र	**93**
24	प्रपत्र-ई 16	: निर्वाचन व्यय से संबंधित सार विवरण	**94**
25	प्रपत्र-ई 17	: शपथ पत्र का प्रपत्र	**95**
26	प्रपत्र-ई 18	: विभिन्न सहकारी/ स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्विरोध/ सविरोध निर्वाचित सदस्यों की सूची	**96**

क्रम संख्या	विषय सूची		पृष्ठ संख्या
	परिशिष्ट-2		
1	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 एवं भारतीय दंड संहिता के सामान्य दंड (Penal) प्रावधान		**99-101**
2	विभिन्न पद हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रतीकों की अनुकृति		**102-107**
3	सरकारी सेवकों का आचरण एवं व्यवहार		**108-111**
4	राजनैतिक अपराध अथवा नैतिक दुराचार वाले किसी अपराध से भिन्न अन्य अपराध के लिए दंडित किये जाने पर अनर्हता एवं दंडादेश के विरूद्ध अपील एवं जमानत पर मुक्त होने का प्रभाव (सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए)		**112-113**
5	समिति निर्वाचन के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता एवं चुनाव कार्यों से संबंधित अनुदेश		**114-120**
	परिशिष्ट-3		
1	निबंधक, सहयोग समितियाँ का पत्रांक 4992 दिनांक 01.11.2013	: बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 और बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 में हुए संशोधनों के फलस्वरूप प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में किये गये आरक्षण को लागू करने के संबंध में।	**123**
2	निबंधक, सहयोग समितियाँ का पत्रांक 4996 दिनांक 01.11.2013	: आरक्षण को लागू करने में कठिनाई को दूर करने के संबंध में।	**124**
3	बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013		**125-130**
4	बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013		**131-139**
5	बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2011		**140-141**
6	बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियमावली, 2008		**142-145**
7	बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008		**146-156**
8	बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008		**157-160**

●

मतदाता सूची का प्रकाशन

किसी भी सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी कमिटी का निर्वाचन उस समिति के सदस्यों द्वारा एवं समिति के सदस्यों के बीच से किया जाना होता है। अत: निर्वाचन पदाधिकारियों की यह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है कि मतदाता सूची सही एवं निष्पक्ष हो। हालाँकि संबंधित सहकारी समिति द्वारा तैयार मतदाता सूची ही सहकारिता विभाग के अधिकारियों के माध्यम से निर्वाचन पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था है लेकिन जैसे ही किसी समिति की मतदाता सूची निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रकाशित की जाती है तो यह निर्वाचन पदाधिकारी की भी जिम्मेवारी होती है कि मतदाता सूची में गलत नाम नहीं जोड़े जाँय तथा सही सदस्य के नाम नहीं छूटें।

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 तथा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली के नियम-3 के अनुसार मतदाता सूची के निर्माण तथा निर्वाचन संचालन हेतु पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण की शक्ति, प्राधिकारिता तथा अधिकारिता बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की है। बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) नियमावली, 2008 जो सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-7/नि॰(विधि-04)नियम -114/2006/7340 दिनांक 26.11.2008 द्वारा अधिसूचित है, के नियम-21म(ख)(i) के अनुसार मतदाता सूची राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा तैयार कराया जायेगा और मतदाता सूची की तैयारी के लिए कट-ऑफ तिथि का निर्धारण भी राज्य निर्वाचन प्राधिकार करेगा, जो निर्वाचन की तिथि के पूर्व अधिकतम 120 दिनों की सीमा के अधीन होगा।

बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली, 1959 के नियम 21-म के अनुसार विर्निदिष्ट स्थलों पर मतदाता सूची प्रकाशित कराया जायेगा तथा निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित सूचना में मतदाता सूची पर आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि तथा आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित रहेगी। बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली, 1959 के नियम 21-ञ के अनुसार मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि एवं सामान्य सूचना प्रकाशित करने की तिथि और आपत्ति दाखिल करने की तिथि के बीच सात दिनों से कम का अन्तर नहीं होगा।

प्राधिकार द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि के आधार पर **प्रपत्र-एम 1** में तैयार किये गये मतदाता सूची का प्रकाशन निम्न स्थलों पर किया जायेगा :-

(क) संबंधित सोसाईटी के सूचना पट पर

(ख) संबंधित प्रखंड कार्यालय में

(ग) यदि सोसाईटी का मुख्यालय निजी भवन में है तो मतदाता सूची की तीसरी प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय में (जो निजी भवन में नहीं हो) या पंचायत मुख्यायलय में अवस्थित किसी सामुदायिक भवन में प्रदर्शित की जायेगी।

मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना **प्रपत्र-एम 2** के अनुसार प्रकाशित की जायेगी।

मतदाता सूची से नाम हटाने अथवा जोड़ने के संबंध में आपत्तियाँ **प्रपत्र-एम 3** में दाखिल की जायेगी।

प्रपत्र-एम 4 का उपयोग मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपर्त्ति दर्ज करने के लिए किया जायेगा।

अंतिम प्रकाशन के निमित्त अनुपूरक मतदाता सूची के लिए **प्रपत्र-एम 5** में तैयार किया जायेगा।

प्रपत्र-एम 6 का उपयोग मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना के लिए किया जायेगा।

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद प्रत्येक निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा **प्रपत्र-एम 7** में समेकित प्रतिवेदन तैयार कर इसे जिला सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से प्राधिकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

जो सदस्य मतदाता सूची की छायाप्रति प्राप्त करना चाहे, उन्हें ₹ 1.50/- प्रति पृष्ठ की दर से राशि जमा करने पर यह संबंधित समिति के सदस्य सचिव/ निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जायेगा।

मतदाता सूची का अद्यतनीकरण (अपडेशन)

मतदाता सूची की तैयारी एक लगातार (continuous) प्रक्रिया है। जब एक कट-ऑफ तिथि निर्धारित कर मतदाता सूची तैयार कर ली जाती है, तब उसके अंतिम प्रकाशन के बाद भी ऐसे मामले दृष्टिगोचर हो सकते हैं, जिसमें या तो मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है या नामों को शुद्ध करने या मृत्यु आदि कारणों से नामों को विलोपित करने की आवश्यकता है।

2. अद्यतनीकरण (updation) अपडेशन के संबंध में प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा :-

(i) नामों को विलोपित करने, शुद्ध करने या नाम के स्थान कों बदलने (transposition) का कार्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर या निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा स्वत: किया जा सकता है। किन्तु मतदाता सूची में नाम जोड़ने की कार्रवाई निर्वाचन पदाधिकारी को समर्पित आवेदन पत्र के आधार पर ही की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, निर्वाचन पदाधिकारी स्वत: किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ सकता है।

(ii) मतदाता सूची को अपडेट करते समय कट-ऑफ तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(iii) नाम जोड़ने अथवा विलोपित करने के लिए आवेदन पत्र प्रपत्र-एम 3 में दिए जायेंगे एवं नामों को शुद्ध करने के लिए आवेदन प्रपत्र-एम 4 में दिए जाएंगे। आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से दो प्रतियों में दिए जाएँगे।

(iv) आवेदन देने की समय सीमा सम्बन्धित समिति के निर्वाचन के लिए अधिसूचित नामांकन की तिथि से 10 दिन पूर्व होगी।

(v) निर्वाचन पदाधिकारी स्वत: वैसे व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची से हटा सकेगा, जिनकी मृत्यु के सम्बन्ध में उसे संपुष्ट सूचना प्राप्त है। उसी प्रकार हिज्जे की स्पष्ट भूलों को भी निर्वाचन पदाधिकारी स्वत: शुद्ध कर सकेगा।

(vi) नामांकन के 10 दिन पूर्व तक कोई अपडेशन सम्बन्धी आवेदन प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रपत्र-एम 8 में प्राप्त आवेदनों पर आपत्ति निर्मंत्रित करते हुए प्रत्येक सप्ताह के हर सोमवार को प्रपत्र-एम 8 सूचना पट पर प्रकाशित करेगा एवं अंतत: नामांकन के 10 दिन पूर्व प्राप्त आवेदनों को उसी दिन सूचना पट पर प्रकाशित करेगा। बाद में नाम जोड़ने, नाम हटाने या सुधार करने हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया जायेगा। आपत्तियाँ देने की समय सीमा प्रपत्र-एम 8 में सूचना के प्रकाशन से 3 दिनों तक होगी।

(vii) दावे/ आपत्ति प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता दोनों को नोटिस निर्गत करेंगे एवं सरसरी तौर पर मामले की सुनवाई करेंगे। दावे एवं आपत्तियों का निष्पादन 3 दिनों के अंदर निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

(viii) किसी मतदाता सदस्य के सम्बन्ध में उसका नाम मतदाता सूची से विलोपित करने सम्बन्धी आपत्ति सही पाये जाने पर उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से विलोपित कर दिया जायेगा। मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम मृत्यु के आधार पर हटाने के पहले निर्वाचन पदाधिकारी को स्वयं सन्तुष्ट हो लेना चाहिए कि मृत्यु की सूचना सही है एवं तत्पश्चात् ही उन्हें उस व्यक्ति का नाम विलोपित करने का आदेश देना चाहिए।

(ix) स्वीकृति अथवा अस्वीकृति दोनों मामलों में निर्वाचन पदाधिकारी अपने निष्कर्ष को संक्षेप में अवश्य अंकित कर देंगे।

(x) निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आवेदक का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने का निर्णय लेने की स्थिति में सम्बन्धित मतदाता को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज अंतिम नाम के क्रमांक के बाद का क्रमांक आवंटित किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप, अगर किसी समिति की अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज अंतिम मतदाता का क्रमांक 616 है और लगातार अपडेशन में 15 व्यक्ति मतदाता सूची में जोड़ने के योग्य पाये गये हैं, तो उन 15 मतदाताओं का क्रमांक क्रमशः 617 से 631 तक दिया जायेगा। अपडेशन के फलस्वरूप अगर किसी समिति में पूर्व से अंकित मतदाताओं की संख्या में वृद्धि होती है, तब चुनाव घोषणा के पश्चात् वैसी बढ़ी हुई संख्या के मतदाताओं को भी उसी मतदान केन्द्र से संबद्ध किया जायेगा, जो अपडेशन के पहले था।

(xi) लगातार अपडेशन की प्रणाली के तहत जोड़े गये/ हटाये गये व्यक्तियों की सूची को पुनः प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(xii) किसी समिति के नामांकन एवं निर्वाचन की तिथियों की अधिसूचना प्रकाशित किये जाने के समय यदि उक्त पत्र में विहित दस दिनों की समय सीमा उपलब्ध नहीं होती है, तो संबंधित समिति के मतदाता सूची के अद्यतनीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

(प्राधिकार का पत्रांक 905 दिनांक 19 जुलाई, 2009 एवं
पत्रांक 8856 दिनांक 19 अगस्त, 2011)

सूचना का प्रकाशन

(1) प्राधिकार द्वारा समिति का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किये जाने के पश्चात् **प्रपत्र-ई 1** की सूचना का प्रकाशन करने की तिथि से मतगणना की तिथि तक का कार्यक्रम प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(2) प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा **प्रपत्र-ई 1** में निर्वाचन की सूचना निर्गत की जायेगी, जिसमें नामांकन देने की अंतिम तिथि, संवीक्षा की तिथि, अभ्यर्थिता वापसी की तिथि, प्रतीक का आवंटन (यदि लागू), मतदान तथा मतगणना की तिथि और स्थान आदि का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। सूचना में निर्वाचन पदाधिकारी तथा उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम और पता भी उल्लिखित रहेगा।

(3) निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में प्राधिकार के स्तर से यथासमय अधिसूचना निर्गत की जायेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)/ जिला सहकारिता पदाधिकारी/ निर्वाचन पदाधिकारी का भी यह कर्त्तव्य होगा कि वे प्राधिकार द्वारा निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार अपने स्तर से करा दें। संबंधित सहकारी समिति का भी यह दायित्व होगा कि निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना समिति के प्रत्येक सदस्य तक अवश्य पहुँच जाय।

(4) सूचना का प्रकाशन समिति कार्यालय के सूचना पट्ट, निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट, स्थानीय पोस्ट-ऑफिस, थाना तथा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों में किया जायेगा। ढोल पिटवाकर तथा स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञप्ति देकर अथवा आम इश्तेहार चिपकाकर भी उक्त सूचना का प्रचार-प्रसार किया जा सकेगा।

(5) प्राधिकार द्वारा नियत की गई तिथि अथवा तिथियों को मतदान कराया जायेगा।

प्रबंधकारिणी कमिटी के पदधारियों की संख्या एवं आरक्षण

प्रबंधकारिणी कमिटी में विभिन्न पदधारकों की संख्या उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार होगी। जिन सहकारी समितियों के लिए बारह(12) से अधिक पदधारी के प्रावधान हैं, वे यथावत् रहेंगे तथा जिन समितियों में बारह(12) से कम पदधारी के प्रावधान हैं, वहाँ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक 4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार पदधारियों की संख्या 12 (बारह) होगी। समिति के प्रबंधकारिणी कमिटी में उपविधियों में वर्णित यथास्थिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के अलावे शेष पद कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए अनुमान्य होंगे।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना पूरे निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।

(ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) पद, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद आरक्षित किये जायेंगे।

(iii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।

(iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

नामांकन पत्र

कोई व्यक्ति किसी पद पर निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकेगा यदि -

(1) उसका नाम अंतिम मतदाता सूची में नहीं हो, या

(2) संगत अधिनियम, नियमावली या सोसाइटी की उपविधियों के प्रावधानों के अधीन वह निर्वाचन हेतु अयोग्य हो।

ज्ञातव्य है कि बिहार सहकारी सोसायटी नियमावली, 1959 के नियम 23(1) के अनुसार **निम्न अयोग्यता वाले सदस्य अध्यक्ष अथवा प्रबंध समिति के सदस्य पद के उम्मीदवार नहीं बन सकते**, यदि

(क) वह सोसायटी का सदस्य न हो, अथवा

(ख) वह नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण के संबंध में उप विधियों में यथाविहित अवधि के लिए या किसी भी हालत में तीन माह से अधिक की अवधि के लिए सोसायटी का व्यतिक्रमी हो या किसी अन्य बकाये के संबंध में सोसायटी का व्यतिक्रमी भी हो या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसायटी का व्यतिक्रमी हो, अथवा

(ग) उसे सोसायटी में किये गये किसी निवेश अथवा उससे लिये गये किसी ऋण को छोड़कर सोसायटी के साथ किये गये किसी अस्तित्वयुक्त संविदा में या सोसायटी द्वारा बेची गयी या खरीदी गयी किसी सम्पति में अथवा सोसायटी में किसी संव्यवहार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हित हो, अथवा

(घ) उसके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी से संबंधित अधिभार की कोई कार्यवाही लंबित हो, अथवा

(ङ) उसके विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत सोसायटी, जिसकी प्रबंध समिति में निर्वाचित होने के लिए वह उम्मीदवार हो, के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई जांच-पड़ताल लंबित हो, अथवा

(च) उसके विरूद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई दांडिक कार्यवाही लंबित हो, जिसमें संज्ञान ले लिया गया हो।

(छ) बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित) की धारा 44ख च के 3(ख) के अनुसार कोई भी व्यक्ति अल्पकालीन साख संरचना अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी के प्रबंध समिति में निर्वाचन का पात्र नहीं होगा यदि वह व्यक्ति नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण या सोसाइटी के किसी बकाये के संबंध में सोसाइटी अथवा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी का व्यतिक्रमी हो।

2. बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 23(1)(ख) से (च) तक उन अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर सदस्य किसी सहकारिता निकाय का चुनाव के मतदाता तो हो सकते हैं, किन्तु अध्यक्ष अथवा प्रबंध समिति के सदस्य पद के उम्मीदवार नहीं बन सकते। उन्हीं अयोग्यताओं में एक अयोग्यता(ख) में निम्नरूपेण उल्लिखित है :-

2.1 **वह नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण के संबंध में उप विधियों में यथाविहित अवधि के लिए या किसी भी हालत में तीन माह से अधिक की अवधि के लिए सोसायटी का**

व्यतिक्रमी हो या किसी अन्य बकाये के संबंध में सोसायटी का व्यतिक्रमी भी हो या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसायटी का व्यतिक्रमी हो।

2.2 अगर नामांकन पत्रों की संवीक्षा के दौरान किसी अन्य सदस्य द्वारा यह बात निर्वाचन पदाधिकारी के संज्ञान में सबूत सहित लायी जाती है कि नामांकन भरने वाला अभ्यर्थी नामांकन पत्र भरने की तिथि को वस्तुत: किसी सहकारिता ऋण का व्यतिक्रमी है, तो संतुष्ट हो लेने के पश्चात् वह ऐसे अभ्यर्थी का नामांकन रद्द कर सकता है।

2.3 विगत पैक्स चुनाव के समय ऐसे कई मामले दृष्टिगत हुए थे, जिसमें संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा किसी सदस्य को पहले बकाया रहित प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया था, किन्तु ऐन नामांकन भरने या संवीक्षा के समय सीधे निर्वाचन पदाधिकारी को यह सूचना उपलब्ध कराई गई कि पूर्व प्रमाण पत्र भूलवश निर्गत हो गया था, एवं उक्त व्यक्ति के पास कुछ बकाया शेष है। अधिकांश मामलों में यह बकाया राशि अत्यन्त अल्प होती है किन्तु निर्वाचन पदाधिकारी ने उक्त आधार पर अभ्यर्थी का नामांकन रद्द कर दिया। वित्तीय संस्था द्वारा संबंधित व्यक्ति(अभ्यर्थी) को इसकी सूचना पहले कभी नहीं दी गई। यह पाया गया है कि किसी पक्ष-विपक्ष से प्रभावित होकर ऐन नामांकन के समय ऐसी सूचना एक सोची-समझी रणनीति के तहत निर्गत की जाती है, ताकि उसका नामांकन रद्द हो जाए, तथा दूसरे अभ्यर्थी को इसका प्रत्यक्ष लाभ पहुँचे।

2.4 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या 14139/2009 बच्चा राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में एक ऐसा ही मामला उठाया गया था, जिसमें याचिकाकर्त्ता का नामांकन छपरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की इस सूचना के आधार पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया कि उसके पास ₹ 78/- का बकाया है। ज्ञातव्य है कि उक्त बैंक द्वारा पहले अभ्यर्थी को बकाया रहित प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10.11.2009 में इस संदर्भ में यह कड़ा प्रेक्षण किया था कि कानून की आड़ में यह शक्ति एवं अधिकारिता का खुला दुरूपयोग है। अगर याचिकाकर्त्ता को बकाया राशि प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय ही बता दिया जाता कि उसके पास एक छोटी-सी रकम बकाया है, तो वह निश्चित ही उसका भुगतान ससमय कर देता और उसका नामांकन रद्द होने की नौबत नहीं आती।

2.5 उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निदेश दिए गये हैं, जो भविष्य में सभी सहकारिता चुनावों/ उप चुनावों में लागू होंगे -

(i) प्रारूप मतदाता सूचियाँ तैयार करने के समय ही डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक/ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक एवं संबंधित सोसाईटी का अभिलेखों के आधार पर बकाया ऋण प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

(ii) संबंधित वित्तीय संस्थान बकाया रहित प्रमाण-पत्र काफी सावधानी के साथ निर्गत करेंगे।

(iii) बकाया रहित प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु संबंधित वित्तीय संस्थान एक पदाधिकारी को इसके लिये प्राधिकृत करेंगे। इस उद्देश्य से पैक्स एवं अन्य समितियों तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के मामले में बकाया रहित प्रमाण पत्र **पेड सेक्रेटरी** द्वारा निर्गत किया जायेगा। पेड सेक्रेटरी की अनुपस्थिति में संबंधित सोसाईटी के अध्यक्ष द्वारा बकाया रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंकों, राज्य को-ऑपरेटिव बैंक एवं अन्य शीर्ष तथा राज्यस्तरीय सोसाईटियों/ संगठनों के मामले में बकाया रहित प्रमाण पत्र संबंधित संगठन के प्रबंध निदेशक द्वारा निर्गत किया जायेगा। किन्तु वैसे शीर्ष संगठन, जिनका क्षेत्राधिकार बड़ा है, अपने एक या एक से अधिक पदाधिकारियों को बकाया रहित प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत कर सकेंगे, परन्तु एक ही क्षेत्र (जिला, अनुमंडल आदि) के लिए वैसा एक ही प्राधिकृत पदाधिकारी होगा। उक्त प्राधिकृत पदाधिकारी से भिन्न किसी पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। शीर्ष संस्थान द्वारा बकाया रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए जिस पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है, उस प्राधिकृत पदाधिकारी की सूचना बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स.स.) एवं सभी निर्वाचन पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से चुनाव घोषणा के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पहले उपलब्ध करा दी जायेगी।

(iv) अगर नामांकन पत्र भरे जाने की तिथि से तीन महीने के पूर्व कोई बकाया रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, तो उसके बाद निर्गत कोई भी बकाया ऋण पत्र मान्य नहीं होगा।

(v) व्यतिक्रमियों (defaulters) के मामले में उन्हें बकाया(अगर कोई हो) चुकता करने का पूरा मौका दिया जाएगा। उनके द्वारा ऋण चुकता कर देते ही उन्हें तुरन्त पूर्ण बकाया रहित प्रमाण-पत्र पुनः निर्गत कर दिया जाएगा। **किन्तु ऐसा कोई भी संशोधन नामांकन शुरू हो जाने के पूर्व तक ही किया जायेगा।**

(vi) संवीक्षा के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लिखित अनुरोध दिए जाने पर ही संबंधित संस्थान किसी अभ्यर्थी के बकाये के संबंध में उन्हें सीधे सूचना उपलब्ध करायेंगे।

(प्राधिकार का पत्रांक 519 दिनांक 18 मार्च, 2010)

3. किसी भी समिति के अध्यक्ष/ प्रबंध समिति के सदस्य पद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को संबंधित समिति का मतदाता होना आवश्यक है। मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पंचायतों/नगरपालिकाओं में भी मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, किन्तु पंचायत/नगरपालिका चुनाव में अभ्यर्थी बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। **स्पष्ट किया जाता है कि सहकारी समिति के निर्वाचन में ऐसा कोई निर्बंधन नही है। अतः 18 वर्ष एवं उसके ऊपर का कोई भी सदस्य, जो अन्य अयोग्यताओं के अधीन नहीं हो, उक्त समिति के अध्यक्ष/ प्रबंध समिति के सदस्य पद के लिए अभ्यर्थी बन सकता है और अपना नामांकन दे सकता है।**

4. बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम 23(1)(च) के अनुसार ऐसे सदस्य अभ्यर्थी नहीं बन सकते हैं जिनके विरूद्ध किसी निर्बंधित सोसाइटी के किसी सम्व्यवहार से संबंधित कोई दांडिक कार्रवाई लम्बित हो, जिसमें संज्ञान ले लिया गया है। स्पष्ट है कि किसी सदस्य के विरूद्ध सहकारी सोसाइटी से भिन्न किसी अन्य मामले में संज्ञान लिये जाने पर भी वह संबंधित समिति का निर्वाचन लड़ने हेतु अपात्र नहीं होगा।

5. बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम 23(1)(ख) के अधीन अपनी अथवा अन्य सोसाइटी से लिये गये ऋण के संबंध में अगर कोई सदस्य तीन माह से अधिक की अवधि के लिए संबंधित सोसाइटी का व्यतिक्रमी (Defaulter) हो, तो वह भी अध्यक्ष/प्रबंध समिति के सदस्य पद का उम्मीदवार नहीं बन सकता है। उपर्युक्त नियमावली के नियम 23(1)(ग) के अधीन अगर किसी सदस्य का सोसाइटी के साथ किये गये किसी अस्तित्वयुक्त संविदा में या सोसाइटी द्वारा बेची गई या खरीदी गई किसी संपत्ति में अथवा सोसाइटी में किसी सम्व्यवहार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हित हो, तो वह भी उम्मीदवार बनने का पात्र नही होगा। **इस संबंध में यह निदेशित है कि नामांकन पत्र भरने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी <u>प्रपत्र-क</u> में अन्य सूचनाओं के साथ-साथ उपर्युक्त कोई अयोग्यता नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र भी समर्पित करेगा। अभ्यर्थी को यह स्पष्ट रूप से बतला दिया जाना चाहिये कि शपथ पत्र पर तथ्यों को छिपाने या गलत सूचना देने आदि की स्थिति में उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन फौजदारी मुकदमा दायर किया जा सकता है।**

6. इच्छुक सदस्यों द्वारा नामांकन पत्र **प्रपत्र-ई 2** में निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। **नामांकन पत्र पूर्वाह्न 11 बजे से अप० 3 बजे के बीच उनके कार्यालय में कार्यदिवस को दाखिल किया जायेगा।** अतः यह आवश्यक है कि नामांकन प्राप्त करने की अवधि में निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक निश्चित रूप से निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित रहें।

7. प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक का होना आवश्यक है। प्रस्तावक तथा समर्थक स्वयं अभ्यर्थी के अतिरिक्त कोई अन्य मतदाता होंगे।

8. संवीक्षा के दौरान अनावश्यक कार्यभार नहीं होने पाये, इसलिए निर्वाचन पदाधिकारी नामांकन पत्र प्राप्त करने के दौरान ही नामांकन पत्र के साथ संलग्न **अनुसूची-1** में चेकलिस्ट के आधार पर जाँच कर लेगा कि नामांकन पत्र में

आवश्यक सभी प्रविष्टियाँ की गई हैं, उसके साथ आवश्यक सभी कागजात दाखिल किये गये हैं तथा उसपर अभ्यर्थी, प्रस्तावक तथा समर्थक का हस्ताक्षर अंकित है। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के साथ उस तिथि का भी उल्लेख रहेगा जिस दिन उनके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। यदि प्रस्तुत नामांकन पत्र में कोई लिपिकीय भूल हो या कोई सूचना नहीं दी गई हो तो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को सुझाव दिया जायेगा कि वे पाई गई खामियों का सुधार कर ही नामांकन पत्र दाखिल करें। परन्तु यदि ऐसा कहने पर भी अभ्यर्थी नामांकन पत्र को दुरूस्त करने के लिए तैयार नहीं हो, तो उस परिस्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नामांकन पत्र को यथास्थिति प्राप्त किया जायेगा।

9. **प्रपत्र-ई 2** में नामांकन पत्र अभ्यर्थी द्वारा **व्यक्तिगत रूप** से **प्रपत्र-ई 1** में यथाउल्लिखित स्थान, तिथि, समय एवं पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया जायेगा। एक व्यक्ति अधिकतम दो सेट नामांकन पत्र ही दाखिल कर सकता है। नामांकन पत्र प्राप्त होते ही नामांकन पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के निचले भाग में आवश्यक प्रविष्टियाँ निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की जायेंगी। उसमें नामांकन पत्र की क्रम संख्या भी अंकित रहेगी। सबसे पहले प्राप्त नामांकन पत्र पर क्रम संख्या 1 होगी और उसके पश्चात जैसे-जैसे नामांकन पत्र दाखिल किया जायेगा, वैसे-वैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आदि करके क्रम संख्या अंकित की जायेगी। प्रत्येक नामांकन पत्र को एक क्रम संख्या आवंटित की जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही समय दो नामांकन पत्र दाखिल किये जाते हैं, तो उक्त दोनों नामांकन पत्र को अलग-अलग क्रम संख्या आवंटित की जायेगी। उदाहरणस्वरूप, यदि अभ्यर्थी रामनाथ प्रसाद द्वारा दायर प्रथम नामांकन पत्र को क्रम संख्या 5 आवंटित की जाती है तो उनके द्वारा साथ-साथ दायर दूसरे नामांकन पत्र को क्रम संख्या 6 आवंटित की जायेगी। पर यदि अभ्यर्थी रामनाथ प्रसाद द्वारा प्रथम नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अन्य तीन अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र दाखिल हो गये हों और श्री प्रसाद ने अपना दूसरा नामांकन पत्र उनके बाद दाखिल किया हो तो दूसरे नामांकन पत्र पर क्रम संख्या 6 अंकित नही होकर 6, 7, 8 के बाद क्रम संख्या 9 अंकित की जायेगी।

10. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निश्चित रूप से नामांकन पत्र के निचले भाग में विहित प्रपत्र में दायर किये गये नामांकन पत्र के बारे में एक प्राप्ति रसीद संबंधित अभ्यर्थी को दी जायेगी जिसपर अंकित क्रम संख्या वही होगी जो नामांकन पत्र पर अंकित की गई है। प्राप्ति रसीद में नामांकन पत्र की संवीक्षा हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान का भी उल्लेख रहेगा। चूँकि काफी संख्या में नामांकन पत्र दायर होने की संभावना है, इसीलिए निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थीवार संवीक्षा की तिथि एवं समय का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा ताकि किसी एक विशेष समय में अनावश्यक भीड़-भाड़ नहीं होने पाये और उनके द्वारा संवीक्षा सही तरीके से की जा सके।

11. पैक्स के मामले में अध्यक्ष सहित कुल 12 स्थानों के लिये निर्वाचन कराया जाना है। अध्यक्ष का पद अनारक्षित है, किन्तु प्रबंध समिति के 11 पदों में से 2 पद अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति के लिए, 2 पद अति पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-I) के लिए तथा 2 पद पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-II) के लिए आरक्षित हैं। उपर्युक्त आरक्षित पदों में से संबंधित आरक्षण कोटि के महिलाओं के लिए अधिकतम 50% पद आरक्षित होंगे। आरक्षित कोटियों से वही सदस्य उम्मीदवार बन सकते हैं, जो उक्त कोटि के अन्तर्गत आते हैं। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-II)/अति पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-I) कोटि से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/ अनुमंडल दंडाधिकारी/ जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्गत मूल जाति प्रमाण पत्र अपने नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। आरक्षित कोटि के अन्तर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध केवल संबंधित आरक्षण कोटि की महिला सदस्य ही नामांकन पत्र भर सकती हैं। अनारक्षित कोटि से सदस्य पद के शेष 5 पदों में से अधिकतम 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इन पदों के लिए किसी भी कोटि के व्यक्ति (पुरूष तथा महिला) यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-2)/अति पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-1)/अन्य सामान्य जाति के पुरूष तथा महिला सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं। **जो सदस्य आरक्षित कोटि से निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र भरेंगे, वे सामान्य श्रेणी से नामांकन पत्र नहीं दे सकते हैं।**

12. नामांकन पत्र (प्रपत्र-ई 2) की पर्याप्त प्रतियाँ निर्वाचन पदाधिकारी के पास उपलब्ध रहेंगी जो इच्छुक अभ्यर्थियों को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जायेंगी। प्रत्येक नामांकन पत्र के साथ **प्रपत्र-क (शपथ पत्र एवं एनेक्सचर)** तथा **प्रपत्र-ख (अभ्यर्थी का बायोडाटा)** भी संलग्न किया जायेगा। अत: निर्वाचन पदाधिकारी को चाहिए कि वह प्रपत्र-ई 2 के साथ **प्रपत्र-क, प्रपत्र-ख, प्रपत्र-ग तथा अनुसूची-1** को एक साथ नत्थी कर पहले से ही अपने पास मौजूद रखे ताकि एक साथ सभी कागजात नत्थीबद्ध रूप से नामांकन पत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थी को उपलब्ध कराया जा सके। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को यह सुझाव दिया जायेगा कि आवश्यकतानुसार इन नत्थीबद्ध कागजातों की फोटोप्रति कराकर प्रयोग में लाया जा सकता है।

13. **समिति का कोई सदस्य एक से अधिक पदों, यानी अध्यक्ष तथा प्रबंध समिति के सदस्य, दोनों तरह के पदों के लिये नामांकन दे सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी प्रबंध समिति के एक से ज्यादा पद और फिर या प्रबंध समिति के सदस्य के लिये चुना जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह सिर्फ एक ही पद धारण करने की इच्छा प्रकट करेगा और संबंधित सोसाइटी के शेष पदों को निर्वाचन परिणाम प्रकाशित होने के 24 घंटे के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित सूचना देकर खाली करेगा, और ऐसे अभ्यर्थी द्वारा छोड़े गये ऐसे पद दूसरे ऐसे अभ्यर्थी द्वारा भरे जायेंगे जो उस अभ्यर्थी के बाद दूसरा अधिकतम मत प्राप्त करने वाला रहा है: परन्तु यह भी कि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा विहित सीमा के अन्दर इच्छा व्यक्त नहीं की जाती है तो निर्वाचन पदाधिकारी स्वविवेक का प्रयोग करेगा और वैसे पद को उक्त अभ्यर्थी द्वारा खाली घोषित करेगा (बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 का नियम 21-ण)।**

14. नामांकन पत्र दाखिल करने की अवधि के बाद प्रत्येक दिन अप0 3 बजे के बाद निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा **प्रपत्र-ई 3** में **पदवार** एक विवरणी तैयार की जायेगी जिसमें उक्त तिथि को दायर किये गये सभी नामांकन पत्र के बारे में आवश्यक ब्यौरा रहेगा और **प्रपत्र-ई 3** की एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट में या दीवार की ऐसी जगह पर चिपकायी रहेगी ताकि लोगों को मालूम हो जाय कि किस पद के लिए किस-किस सदस्य द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है तथा इस प्रकार नामांकन पत्र में प्रस्तावक एवं समर्थक के रूप में किस-किस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि छल का सहारा लेकर किसी व्यक्ति द्वारा नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया जा सके।

15. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के सूचना पट पर प्रत्येक अभ्यर्थी के सहकारिता बकाये, आपराधिक मामले आदि से संबंधित व्यक्तिगत विवरण को इस सूचना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा दाखिल प्रपत्र-क जांच हेतु उनके कार्यालय में उपलब्ध है, और कोई चाहे तो इस संबंध में आपत्ति, अगर कोई हो, नामांकन पत्रों की संवीक्षा के एक दिन पहले तक दायर कर सकता है।

16. उपर्युक्त कंडिकाओं में नामांकन से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। तदनुसार कार्रवाई करने से निर्वाचन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी तथा किसी भी स्तर से शिकायत की संभावना न्यूनतम रहेगी।

नामांकन कौन दे सकता है ?

(i) वैसे सभी व्यक्ति नामांकन दे सकते हैं जिनका नाम संबंधित समिति की मतदाता सूची में सम्मिलित है और जो बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 23(1) में उल्लिखित अयोग्यताओं के अधीन नहीं हैं।

(ii) नामांकन **प्रपत्र-ई 2** में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया जायेगा।

(iii) जिन व्यक्तियों के नाम गिरफ्तारी के वारंट निर्गत हैं, वे आत्मसमर्पण करने के पश्चात ही नामांकन पत्र दाखिल करने के अधिकारी बन सकते हैं। निर्वाचन पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत संबंधित समिति की मतदाता सूची की एक-एक प्रति स्थानीय थाना प्रभारी को उपलब्ध करा देंगे, तथा उनसे ऐसे सदस्यों की सूची प्राप्त कर अपने पास रखेंगे जिनके विरूद्ध गैर जमानती वारंट लम्बित हैं। नामांकन की अवधि में एक स्थानीय पुलिस पदाधिकारी भी नामांकन स्थल पर मौजूद रहेगा जो ऐसे वारंटी व्यक्तियों के उपस्थित होने पर उसे तुरंत अपनी अभिरक्षा में ले लेगा तथा उस व्यक्ति द्वारा नामांकन पत्र दे दिये जाने के पश्चात अग्रेतर विधिक कार्रवाई करेगा।

(iv) एक व्यक्ति एक पद के लिये अधिकतम दो (2) नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है।

(vi) नामांकन देने वाले व्यक्ति के लिए एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक रहना आवश्यक है।

नामांकन शुल्क

विभिन्न स्तर के विभिन्न सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी कमिटी के अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु नामांकन शुल्क की राशि प्राधिकार के अधिसूचना संख्या 579 दिनांक 07.05.2013 द्वारा निम्नवत् निर्धारित है :-

क्र०	सहयोग समितियों का प्रकार	सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए नामांकन शुल्क	आरक्षित कोटि (महिला सहित) के लिए नामांकन शुल्क
1	प्राथमिक स्तर (Primary Level)	₹ 1,000/-	₹ 500/-
2	केन्द्रीय स्तर (Central Level)	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
3	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (Milk Union)/ डेयरी प्रोजेक्ट	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
4	शीर्ष/ राज्य स्तर (Apex/ State Level)	₹ 5,000/-	₹ 2,500/-

2. नामांकन शुल्क की राशि संबंधित सहयोग समितियों के कार्यालय में जमा की जायेगी तथा इस प्रकार प्राप्त राशि संबंधित सहयोग समिति के खाते में जमा होगी। समितियों में राशि जमा करने में कोई कठिनाई या असुविधा की स्थिति में नामांकन शुल्क की राशि निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में भी जमा करायी जा सकेगी जो राशि जमा किये जाने के परिणामस्वरूप समुचित रसीद निर्गत करेंगे। निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करायी गयी नामांकन शुल्क की राशि निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र संबंधित समिति के खाते में जमा करा दी जायेगी। नामांकन शुल्क की राशि किसी भी परिस्थिति में अप्रत्यपर्णीय (Non-refundable) होगी।

3. सहयोग समितियों के निर्वाचन के संदर्भ में आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों से तात्पर्य है - अनुसूचित जाति कोटि, अनुसूचित जनजाति कोटि, पिछड़ा वर्ग कोटि, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि एवं महिला कोटि के अभ्यर्थी। महिला चाहे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग / सामान्य कोटि - किसी कोटि की हो, नामांकन शुल्क के लिए हमेशा आरक्षित कोटि की मानी जायेगी।

4. आरक्षित कोटि से नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ-साथ अपनी जाति के दावे के समर्थन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा, अन्यथा संबंधित कोटि से उनका नामांकन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों के लिए ऐसा कोई बंधेज नहीं रहेगा।

5. आरक्षित कोटि का कोई सदस्य (महिला छोड़कर) अगर अनारक्षित कोटि के किसी पद के लिए नामांकन पत्र भरना चाहे तो नामांकन शुल्क में आरक्षित कोटि के लिये विहित रियायत प्राप्त करने के लिए उसे अपने नामांकन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। आरक्षित कोटि के जो अभ्यर्थी ऐसा करने में विफल रहेंगे, उन्हें सामान्य कोटि के लिए निर्धारित नामांकन शुल्क जमा करना होगा।

प्रस्तावक एवं समर्थक

(i) जिसका नाम संबंधित समिति की मतदाता सूची में सम्मिलित है। दूसरे समिति का कोई व्यक्ति प्रस्तावक अथवा समर्थक नहीं हो सकता है।

(ii) कोई व्यक्ति पद विशेष में एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए प्रस्तावक या समर्थक नहीं बन सकता है, **किन्तु दूसरे पद के लिए निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी के लिए वह पुनः प्रस्तावक या समर्थक बन सकता है। जहां सदस्यों की संख्या अनुमान्य प्रस्तावक/ समर्थक से कम है, वहां प्रस्तावक या समर्थक होने के लिए इस शर्त्त को शिथिल किया जाता है। ऐसी स्थिति में किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक/ समर्थक एक से अधिक उम्मीदवार का प्रस्तावक/ समर्थक बन सकता है।**

(iii) जो व्यक्ति किसी पद विशेष के लिए स्वयं अभ्यर्थी है वह उसी पद के लिए खड़े किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए प्रस्तावक/समर्थक नहीं बन सकता है **किन्तु जहाँ समिति के सदस्यों की संख्या अनुमान्य प्रस्तावक/ समर्थक से कम है, वहां प्रस्तावक या समर्थक होने के लिए इस शर्त्त को शिथिल किया जाता है। ऐसी स्थिति में कोई उम्मीदवार यदि चाहें तो उसी पद के लिए किसी दूसरे उम्मीदवार का भी प्रस्तावक/ समर्थक बन सकता है।**

(iv) पद विशेष के किसी अभ्यर्थी के लिए कोई प्रस्तावक या समर्थक स्वयं उस पद के लिए अभ्यर्थी नहीं हो सकता है।

(v) प्रस्तावक या समर्थक द्वारा किसी नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर देने के पश्चात वह नहीं कह सकता है कि वह उस अभ्यर्थी का प्रस्तावक/समर्थक नहीं बनना चाहता है।

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी तथा उसके प्रस्तावक/समर्थक को उपर्युक्त शर्तों की जानकारी दे दी जानी चाहिए तथा स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए कि कोई गलत सूचना देने अथवा गलत काम करने पर अभ्यर्थी का नामांकन अस्वीकृत करने के साथ-साथ अभ्यर्थी तथा प्रस्तावक/समर्थक के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दायर करने की कार्रवाई भी की जायेगी।

नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा संलग्न किये जाने वाले कागजात

(i) **प्रपत्र-ग** में मतदाता होने की घोषणा ।

(ii) मतदाता सूची में अभ्यर्थी के नाम की प्रविष्टि की सत्यापित प्रति। **निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची की प्रविष्टि की प्रति निर्गत करने एवं उसे सत्यापित करने की शक्ति किसी प्रखण्ड स्तरीय पर्यवेक्षक को प्रत्यायोजित की जा सकती है। संबंधित सहकारी समिति के सचिव भी मतदाता सूची की प्रविष्टि के विवरण को सत्यापित करने हेतु प्राधिकृत किये जाते हैं।**

(iii) विहित **प्रपत्र-क** में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि अथवा किसी न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों, परिसम्पतियों, शैक्षणिक योग्यता आदि एवं संगत सहकारिता अधिनियम/नियमावली में उल्लिखित अयोग्यता के अधीन नहीं होने के संबंध में **सशपथ** विवरण।

(iv) प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-2)/अति पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-1) का जाति प्रमाण पत्र जो मतदान की तिथि से छः महीने पूर्व का नही हो।

(v) **''प्रपत्र-ख''** में बायोडाटा से संबंधित सूचनाएँ।

नामांकन पत्र प्राप्त करते समय निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विशेष ध्यान देने योग्य बिन्दु

(i) नामांकन पत्र में कर्णांकित स्थानों पर अभ्यर्थी तथा उसके प्रस्तावक/समर्थक का हस्ताक्षर है अथवा नहीं।

(ii) नामांकन पत्र में अभ्यर्थी, उसके प्रस्तावक एवं समर्थक के नाम तथा क्रमांक वही हैं जो मतदाता सूची में अंकित है।

(iii) नाम/संख्या में लिपिकीय भूल को नजरअंदाज किया जायेगा।

(iv) ऐसी लिपिकीय भूल को मतदाता सूची के अनुरूप शुद्ध करने का आदेश दिया जा सकेगा।

(v) अगर मतदाता सूची में ही कोई तुच्छ/असारभूत लिपिकीय भूल हो जैसे पूरे नाम से अंश या टाइटिल छूट गया हो तो निर्वाचन पदाधिकारी स्वयं सन्तुष्ट हो लेने के पश्चात ऐसे नामांकन पत्र को प्राप्त करेगा।

(vi) नामांकन पत्र के साथ संलग्न **प्रपत्र-घ** में चेकलिस्ट से भी संतुष्ट हो लेगा कि सभी प्रविष्टियाँ भर दी गई हैं अथवा कागजात दाखिल कर दिये गये हैं।

(vii) अगर नामांकन पत्र सही ढंग से नहीं भरा गया है तो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उसे संबंधित अभ्यर्थी को वापस करते हुए त्रुटियों को सुधारकर पुनः दाखिल करने का परामर्श दिया जाना चाहिए ताकि संवीक्षा के समय उक्त त्रुटियों के आधार पर नामांकन पत्र को रद्द करने की स्थिति उत्पन्न नही हो। अगर परामर्श दिये जाने पर भी अभ्यर्थी नामांकन पत्र को दुरूस्त करने के लिए तैयार नहीं हो तो उस स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नामांकन पत्र यथा स्थिति प्राप्त किया जायेगा। **यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जिसे निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा निष्ठापूर्वक किया जाना चाहिए।**

(viii) अगर कोई अभ्यर्थी/उसका प्रस्तावक/समर्थक किसी दूसरे अभ्यर्थी का नामांकन पत्र देखना चाहे, तो उसे ऐसा करने के लिए पर्याप्त सुविधा दी जायेगी। **प्रपत्र-क** देखने अथवा उसका निरीक्षण करने हेतु सभी सदस्यों को अवसर प्रदान किया जाएगा।

नामांकन पत्र की संवीक्षा

नामांकन पत्र के दाखिले की प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा **प्रपत्र-ई 2** में अंकित समय, तिथि एवं स्थान पर नामांकन पत्र की संवीक्षा की जायेगी। वस्तुत: प्रपत्र-ई 2 में नामांकन पत्र की प्राप्ति के रूप में जो रसीद अभ्यर्थी को दी जायेगी, उसमें संवीक्षा की तिथि एवं समय इस प्रकार से निर्धारित कर अंकित किया जायेगा ताकि संवीक्षा के दौरान अनावश्यक भीड़-भाड़ नही होने पाये। **संवीक्षा पदवार निम्न क्रम में की जायेगी - अध्यक्ष/ सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य/ अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य/ अति पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य तथा पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य।** प्रत्येक पद हेतु दायर किये गये नामांकन पत्र की संवीक्षा क्रमानुसार की जायेगी अर्थात् किसी पद विशेष के लिए सर्वप्रथम क्रम संख्या 1 के नामांकन पत्र की संवीक्षा की जायेगी और उसके पश्चात क्रम संख्या 2 तथा उसके पश्चात क्रम संख्या 3 आदि के रूप में नामांकन पत्र की संवीक्षा की जायेगी। **नामांकन पत्र की संवीक्षा प्रत्येक दिन 11 बजे प्रारंभ की जायेगी और लगातार चलती रहेगी।** यदि किसी अपरिहार्य कारणवश(प्राकृतिक आपदा, हिंसा की कार्रवाई, विधि-व्यवस्था आदि) संवीक्षा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी तो उस स्थिति में यह कोशिश रहेगी कि अंत में लिये गये नामांकन पत्र की संवीक्षा पूरी हो जाये। पर ऐसा संभव नहीं होने की स्थिति में स्थगन के बाद जब संवीक्षा की जायेगी तो उक्त अधूरा नामांकन पत्र की संवीक्षा पहले पूरी कर ली जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी विशेष के बारे में आपत्ति की जाती है तो उस स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को कुछ वक्त दिया जायेगा ताकि वे उठाई गई आपत्तियों का जवाब दे सकें। **निर्वाचन पदाधिकारी स्वविवेक से निर्णय लेगा कि संबंधित अभ्यर्थी को कितना वक्त देना चाहिए, पर किसी भी परिस्थिति में यह वक्त अगली तिथि के एक निश्चित समय के अंदर ही सीमित रहेगा।**

2. संवीक्षा करने का अधिकार निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी दोनों को रहेगा, **परन्तु संवीक्षा के दौरान नामांकन पत्र स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार केवल निर्वाचन पदाधिकारी को ही रहेगा।** उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संवीक्षा किये जाने पर जब वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाय कि अमुक नामांकन पत्र अस्वीकृत करने योग्य है, तो उसके संबंध में उप निर्वाचन पदाधिकारी एक स्पष्ट प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसके बाद निर्वाचन पदाधिकारी इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेगा।

3. नामांकन पत्र की संवीक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य है और इसमें किसी प्रकार की गलती या लापरवाही होने के कारण अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द होने के अतिरिक्त अनावश्यक परेशानियाँ भी पैदा हो सकती हैं। **अतएव यह आवश्यक है कि निर्वाचन पदाधिकारी पूरी गंभीरता के साथ नामांकन पत्र की संवीक्षा करें** ताकि इसपर किसी को कोई शिकायत करने की गुंजाइश नहीं होने पाये। स्पष्टत: संवीक्षा की कार्रवाई में पूरी पारदर्शिता रहनी चाहिए ताकि अभ्यर्थी तथा अन्य सदस्यों को यह महसूस हो कि निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता एवं निष्पक्षता बरकरार है। संवीक्षा की शुद्धता एवं निष्पक्षता के हित में संवीक्षा के दौरान अभ्यर्थी तथा उनके प्रस्तावक एवं समर्थक मौजूद रह सकते हैं। अभ्यर्थी को अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। **संवीक्षा अवधि के दौरान समिति के सदस्य सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संवीक्षा स्थल पर बुलाया**

जा सकेगा। निर्वाचन पदाधिकारी इस निदेश के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार के सभी सहकारी समितियों को लिखित सूचना उपलब्ध करा देंगे। तदर्थ समिति के अध्यक्ष/सदस्य को किसी भी परिस्थिति में, अगर वे स्वयं अभ्यर्थी नहीं हो, संवीक्षा के समय उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को संवीक्षा के दौरान मौजूद रहने की अनुमति नही दी जायेगी और यदि अभ्यर्थी द्वारा अन्य किसी व्यक्ति को मौजूद रहने के लिए दबाव दिया जाता है तो उस परिस्थिति में उनके द्वारा दायर किये गये नामांकन पत्र की संवीक्षा तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि इस प्रकार अनधिकृत व्यक्ति को संवीक्षा के लिए विहित स्थान से बाहर नहीं कर दिया जाता है।

4. यह संभव है कि नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रथम तिथि से ही नामांकन पत्र का दाखिला शुरू हो जाय। अतएव यह व्यावहारिक होगा कि जैसे-जैसे नामांकन पत्र प्राप्त होता है, वैसे ही निर्वाचन पदाधिकारी प्राप्त नामांकन पत्र की प्रारंभिक जांच कर लेंगे तथा आवश्यकता महसूस होने पर सूची जाँच करने हेतु संबंधित थाना/जिला सहकारिता पदाधिकारी आदि को भेजेंगे, और किसी अलग पुर्जा में नामांकन पत्र वार अपना प्रारंभिक विचार (Findings) को अंकित कर देंगे ताकि वास्तविक संवीक्षा के समय उनका काम आसान हो जाय। इससे संवीक्षा की प्रगति भी अच्छी रहेगी तथा निश्चित समय के अंदर संवीक्षा की कार्रवाई पूरी हो सकेगी। आम तौर पर यह पाया जाता है कि दायर किये गये नामांकन पत्रों में से कई नामांकन पत्र कोई-न-कोई कारणवश अस्वीकृत हो जाते हैं। किसी नामांकन पत्र को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का अधिकार केवल निर्वाचन पदाधिकारी को ही प्रदत्त है। कतिपय त्रुटियों के कारण निर्वाचन पदाधिकारी के लिए कुछ नामांकन पत्र को अस्वीकृत करने की अप्रिय कार्रवाई करना आवश्यक हो सकता है। किसी नामांकन पत्र के बारे में आपत्ति किये जाने पर या स्वप्रेरणा से आवश्यक छानबीन के उपरांत निम्नलिखित आधारों पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संबंधित नामांकन पत्र को अस्वीकृत किया जा सकेगा -

(i) अभ्यर्थी संगत अधिनियम या नियमावली के प्रावधानों के तहत किसी पद के लिए निर्वाचित किये जाने के अयोग्य है।

(ii) प्रस्तावक या समर्थक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अयोग्य है।

(iii) नामांकन पत्र में अंकित अभ्यर्थी या प्रस्तावक या समर्थक के बारे में मतदाता सूची का क्रमांक संबंधित अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में अंकित वास्तविक क्रमांक के अनुसार नहीं है। परन्तु मतदाता सूची के क्रमांक में या अन्य प्रविष्टियों में विसंगतियाँ रहने के बावजूद यदि निर्वाचन पदाधिकारी सन्तुष्ट हो जाता है कि नामांकन पत्र में उल्लिखित अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक वास्तव में वही व्यक्ति है, जिनका नाम दायर किये गये नामांकन पत्र में अंकित है, तो उस स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी इस प्रकार नामांकन पत्र को अस्वीकृत नहीं करेगा बशर्ते कि अभ्यर्थी, प्रस्तावक तथा समर्थक अन्यथा अयोग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि **संबंधित अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक की पहचान एवं योग्यता के बारे में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सन्तुष्ट होना सबसे महत्वपूर्ण है।**

(iv) नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी या प्रस्तावक या समर्थक का हस्ताक्षर सही नहीं है या इस प्रकार हस्ताक्षर छलपूर्वक प्राप्त किया गया है।

(v) नामांकन पत्र के साथ निम्नांकित कागजात दायर नहीं किया गया हो -

- **''प्रपत्र-क''** में शपथ पत्र पर वाँछित सूचनाएँ।
- **''प्रपत्र-ख''** में बायोडाटा ।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-2)/अति पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-1) के लिए आरक्षित पदों के अभ्यर्थी के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मूल में।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-2)/अति पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-1) कोटि के लिए आरक्षित पद हेतु उन कोटि से भिन्न अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किये जाने पर। अर्थात् सिर्फ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-2)/अति पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-1) के अभ्यर्थी ही इस कोटि के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। इसी प्रकार महिला के लिए आरक्षित पदों के लिए सिर्फ महिला (संबंधित कोटि की महिला) अभ्यर्थी ही नामांकन पत्र दाखिल कर सकती है अन्यथा ऐसा नामांकन पत्र अस्वीकृत करने योग्य होगा। सामान्य कोटि की महिला पद के विरूद्ध किसी भी जाति की महिला अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है।

(vi) अभ्यर्थी/प्रस्तावक/समर्थक का नाम अंतिम मतदाता सूची में अंकित रहने की स्थिति में मतदाता सूची की संबंधित प्रविष्टि/प्रविष्टियों की अभिप्रमाणित प्रति को निर्णयात्मक साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जायेगा जिसके आधार पर अभ्यर्थी/प्रस्तावक/समर्थक द्वारा नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने पर ऐसे नामांकन पत्र को स्वीकार कर लिया जायेगा बशर्ते कि ऐसा नामांकन पत्र दूसरे अन्य आधारों पर अस्वीकृत करने योग्य नहीं पाया गया हो।

(vii) कोई भी अभ्यर्थी द्वारा किसी पद विशेष के लिए अधिकतम दो नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। संवीक्षा के दौरान अगर ऐसा पाया जाता है कि दाखिल किये गये दो नामांकन पत्रों में से एक नामांकन पत्र गलत है किन्तु दूसरा नामांकन पत्र सभी तरह से सही है, तो उस स्थिति में जो नामांकन पत्र सही पाया गया हो, उसे स्वीकृत कर लिया जायेगा। इस प्रसंग में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नामांकन पत्र के साथ राशि जमा करने के प्रमाण में बैंक ड्रॉफ्ट या अन्य रसीद आदि मूल रूप से एक ही नामांकन पत्र के साथ दाखिल किया जायेगा जबकि उसकी अभिप्रमाणित छायाप्रति संबंधित अभ्यर्थी द्वारा दायर किये गये दूसरे नामांकन पत्र, यदि कोई हो के साथ जमा की जा सकती है और उस स्थिति में दो नामांकन पत्रों में से जो नामांकन पत्र सभी तरह से स्वीकार योग्य पाया जायेगा तो ऐसा मान लिया जायेगा कि उपर्युक्त कागजातों की मूल प्रति स्वीकार योग्य नामांकन पत्र के साथ ही दाखिल की गई है, भले ही वास्तव में गलत नामांकन पत्र के साथ मूल प्रति दाखिल की गई हो। कहने का तात्पर्य यह है कि संबंधित कागजातों की मूल प्रति दायर किये गये दोनों ही नामांकन पत्रों के लिए समान रूप से स्वीकार्य होगी।

(viii) कोई नामांकन पत्र किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी भूल या किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा जो सारभूत न हो। इस संबंध में कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं :-

- मान लिया जाये कि अभ्यर्थी रामचन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा नामांकन पत्र में अपना नाम रामचन्द्र प्रसाद सिंह दर्ज किया गया है और अपना हस्ताक्षर सिर्फ रामचन्द्र सिंह के रूप में किया है तो इसे लिपिकीय भूल माना जायेगा और तदनुसार इस भूल के कारण उनका नामांकन पत्र अस्वीकृत नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी के प्रस्तावक या समर्थक के बारे में भी इस प्रकार लिपिकीय भूल के लिए संबंधित नामांकन पत्र को अस्वीकृत नहीं किया जायेगा;
- महिला अभ्यर्थी के बारे में विशेष ध्यान देना आवश्यक है। आम तौर पर एक ही महिला का नाम विभिन्न प्रकारों से लिखा जाता है। उदाहरणस्वरूप, श्रीमती सविता रानी सिंह का नाम विभिन्न प्रसंग में सविता रानी, सविता देवी, सविता कुमारी, सविता सिंह आदि के रूप में लिखा जाता है और उनका हस्ताक्षर भी इस तरह से किया जाता है। यह संभव है कि नामांकन पत्र में अभ्यर्थी का नाम श्रीमती सविता रानी सिंह लिखा हुआ है पर हस्ताक्षर में सिर्फ सविता या सविता देवी या सविता रानी या सविता कुमारी या सविता सिंह लिखा हुआ है। इस प्रकार की विसंगतियों को लिपिकीय भूल के रूप में मान्यता दी जायेगी बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी के पति/पिता का नाम, पता आदि से यह साबित हो जाता है कि वास्तव में श्रीमती

सविता रानी सिंह एवं सविता देवी, सविता रानी आदि एक ही अभ्यर्थी है। इसी प्रकार अभ्यर्थी के प्रस्तावक या समर्थक के बारे में भी अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।

- इसी प्रकार रामचरित्र पासवान का नाम रामचरित्र राम के रूप में भी नामांकन पत्र में लिखा पाया जा सकता है यद्यपि उनके द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र में उनका नाम रामचरित्र पासवान लिखा हुआ है। इसे भी लिपिकीय भूल के रूप में माना जायेगा बशर्ते कि निर्वाचन पदाधिकारी अन्य साक्ष्य से संतुष्ट हो जाता है कि अभ्यथी रामचरित्र पासवान एवं रामचरित्र राम एक ही व्यक्ति है।
- किसी अभ्यर्थी द्वारा उनके पिता के नाम के शुरू में स्व0 जोड़ दिया गया है जबकि मतदाता सूची में उनके पिता के नाम के शुरू में स्व0 नहीं लिखा हुआ है तो इसे लिपिकीय भूल मानकर संबंधित नामांकन पत्र को अस्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- नामांकन पत्र में अभ्यर्थी/प्रस्तावक/समर्थक के बारे में मतदाता सूची का जो क्रमांक अंकित किया गया है तथा मतदाता सूची में जो क्रमांक दर्शाया गया है, उसमें अगर कोई विसंगति है, तो सिर्फ उसी आधार पर नामांकन पत्र को अस्वीकृत नहीं किया जायेगा बशर्ते कि अभ्यर्थी का पता तथा अन्य साक्ष्य के आधार पर अभ्यर्थी तथा प्रस्तावक एवं समर्थक की पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाये तथा अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक अन्यथा अयोग्य नहीं हो।
- संवीक्षा के समय किसी अभ्यर्थी/प्रस्तावक/समर्थक की सिर्फ अनुपस्थिति के कारण नामांकन पत्र रद्द नहीं किया जायेगा। अर्थात समुचित आधार पर ही नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है और उसके लिए अभ्यर्थी/प्रस्तावक/समर्थक को उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है बशर्ते कि उन्हें पहले से लिखित सूचना दी गई हो कि किस तिथि, समय एवं स्थान पर उनके द्वारा दाखिल नामांकन पत्र की समीक्षा की जायेगी।
- लिपिकीय भूल या जिस त्रुटि को सारभूत नहीं कहा जा सकता है के बारे में कुछ एक उदाहरण ऊपर दिये गये हैं जो कि सम्पूर्ण (exhaustive) नहीं माने जा सकते हैं। आम तौर पर यह देखना है कि अभ्यर्थी तथा उसके प्रस्तावक या समर्थक की पहचान स्थापित हो रही है या नहीं । सिर्फ लिपिकीय भूल या जो त्रुटि सारभूत नहीं है उसके आधार पर कोई नामांकन पत्र अस्वीकृत नहीं किया जायेगा बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी तथा उनके प्रस्तावक या समर्थक की पहचान नि:संदेह रूप से स्थापित हो जाती है।

5. उपर्युक्त तरीकों से नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के उपरान्त निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर आवश्यकतानुसार ''स्वीकृत'' या ''अस्वीकृत'' अंकित कर उसपर अपना हस्ताक्षर एवं तिथि अंकित करेगा। यदि नामांकन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है या किसी नामांकन पत्र पर आपत्ति करने पर भी उसे स्वीकृत किया जाता है तो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नामांकन पत्र पर ही इस प्रकार स्वीकृत या अस्वीकृत करने का आधार संक्षेप में अंकित किया जायेगा और उस पर उनका हस्ताक्षर तथा तिथि अंकित रहेगा और इसे पढ़कर संबंधित अभ्यर्थी/आपत्तिकर्त्ता को तत्क्षण सुनाया जायेगा। **जिस अभ्यर्थी का नामांकन अस्वीकृत हो जाता है, वह अस्वीकृति आदेश की प्रति निर्वाचन पदाधिकारी को पांच रुपये की फीस जमा करके प्राप्त कर सकेगा जो उस रकम को संबंधित सोसाइटी में जमा कर देगा।** निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किसी नामांकन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का आदेश अन्तिम होगा, इसलिए यह आवश्यक है कि निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर पूरी सावधानी के साथ विचार कर ही सम्यक आदेश पारित किया जाये ताकि निर्वाचन के पश्चात, चुनाव याचिका दायर करने की स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की खामी नहीं निकाली जा सके। स्पष्टत: नामांकन पत्र तथा उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने के बारे में निर्वाचन पदाधिकारी का आदेश चुनाव प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए यह आवश्यक है कि निर्वाचन पदाधिकारी नामांकन पत्र से संबंधित सभी अभिलेख अपने अधीन सुरक्षित रखेंगे ताकि भविष्य में उसकी आवश्यकता होने पर उसे तुरंत उपलब्ध कराया जा सके।

अभ्यर्थिता की वापसी

कोई भी अभ्यर्थी दायर किये गये अपने नामांकन पत्र को वापस ले सकता है। ऐसी शिकायत प्राप्त हो सकती है कि दूसरे व्यक्ति द्वारा छल से किसी अभ्यर्थी का नाम वापस ले लिया गया है एवं संबंधित अभ्यर्थी को उसकी कोई जानकारी नही है। **अतः निर्वाचन पदाधिकारी पूरी तरह संतुष्ट हो लेंगे कि वापसी की सूचना देने वाला व्यक्ति स्वयं उम्मीदवार ही है।** नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के पश्चात उसे वापस लेने के लिए निश्चित की गई अंतिम तिथि के अपराह्न 3 बजे के पूर्व किसी भी तिथि या समय अभ्यर्थी द्वारा अपना नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। इस प्रकार नामांकन पत्र वापस लेने की सूचना संबंधित अभ्यर्थी द्वारा **प्रपत्र-ई 4** में व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन पदाधिकारी को दी जायेगी और निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा **प्रपत्र-ई 4** के निचले भाग में विहित प्राप्ति रसीद दी जायेगी। इस प्रकार नामांकन पत्र को वापस लेने की सूचना निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त होने तथा उसकी प्राप्ति रसीद निर्गत करने के साथ ही तत्कालिक प्रभाव से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र वापस लिया समझा जायेगा और इस प्रकार अभ्यर्थिता की वापसी को अंतिम माना जायेगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थिता को वापस लेने के पश्चात उन्हें अभ्यर्थिता को वापस लेने की सूचना को रद्द करने या उस पद के निर्वाचन, जिसके लिए दाखिल किये गये नामांकन पत्र को वापस लिया गया है, में पुनः नामांकन पत्र दाखिल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थिता को वापस लेने की सूचना प्राप्त होने तथा उसकी प्राप्ति रसीद निर्गत करने के पश्चात निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इसके बारे में **प्रपत्र-ई 5** में सूचना जारी कर उसे उनके कार्यालय के सूचना पट्ट में या ऐसी जगह पर चिपका दिया जायेगा ताकि आम लोगों को मालूम हो जाय कि किस अभ्यर्थी विशेष द्वारा अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली गई है।

विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची

(i) नामांकन पत्र की संवीक्षा तथा उसे वापस लेने के पश्चात जिन अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र स्वीकृत किया गया है, उनकी सूची निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा **प्रपत्र-ई 6** में तैयार की जायेगी और इस प्रकार तैयार किये गये प्रपत्र-ई 6 की एक-एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट या कार्यालय के बाहर दीवार में तथा समिति के कार्यालय के सूचना पट्ट में या दीवार की ऐसी जगह पर चिपका दी जायेगी जिससे आम लोगों को मालूम हो जाय कि समिति के विभिन्न पदों के लिए कितने एवं कौन-कौन वैध अभ्यर्थी चुनाव मैदान में रह गये हैं। प्रपत्र-ई 6 में वैध अभ्यर्थी का नाम तथा उनका पता देवनागरी लिपि में हिन्दी में अंकित किया जायेगा। और अभ्यर्थी के नाम के साथ-साथ प्राधिकार द्वारा विहित तरीके से अभ्यर्थी को आवंटित निर्वाचन प्रतीक भी अंकित रहेगा। अभ्यर्थी का नाम देवनागरी लिपि में हिन्दी में वर्णानुक्रम में अंकित रहेगा। वर्णानुक्रम में अभ्यर्थी का नाम अंकित करने में निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी-

- वर्णानुक्रम में किस अभ्यर्थी का नाम प्रथम अंकित किया जायेगा, वह अभ्यर्थी के प्रथम नाम (first name) के प्रथम अक्षर पर निर्भर करेगा। यदि प्रपत्र-ई 6 में अंकित पाँच अभ्यर्थियों में से दो अभ्यर्थियों के प्रथम नाम का प्रथम अक्षर स्वर वर्ण (यथा अमल कुमार सिन्हा तथा आकाश कुमार सिंह) हो, तो उस स्थिति में दोनो नाम वर्णानुक्रम में सबसे ऊपर आऐंगे। इन दोनों नामों में से भी सर्वप्रथम अमल कुमार सिन्हा का नाम रहेगा और उसके पश्चात आकाश कुमार सिंह का नाम अंकित किया जायेगा क्योंकि **अमल** का प्रथम अक्षर **अ** वर्णानुक्रम में पहले है जबकि **आकाश** का प्रथम अक्षर **आ** बाद में आता है।

- अगर शेष तीन अभ्यर्थियों का नाम व्यंजन वर्ण में है तो उन तीन अभ्यर्थियों का नाम स्वर वर्ण से प्रारम्भ उपर्युक्त दो अभ्यर्थियों, अमल कुमार सिन्हा तथा आकाश कुमार सिंह, के बाद अंकित किया जायेगा और इन तीन अभ्यर्थियों का नाम भी वर्णानुक्रम में अंकित किया जायेगा। मान लिया जाय इन तीन अभ्यर्थियों के नाम क्रमशः रमा देवी, रामचन्द्र यादव एवं रोहन पाण्डेय हैं। इन तीन अभ्यर्थियों का नाम क्रमशः वर्णानुक्रम में तीसरे स्थान पर रमा देवी, चौथे स्थान पर रामचन्द्र यादव तथा पाँचवें स्थान पर रोहन पाण्डेय का नाम अंकित रहेगा। तीसरे, चौथे एवं पाँचवें स्थान पर अंकित तीनों अभ्यर्थियों के प्रथम नाम का प्रथम अक्षर **र** से प्रारम्भ होता है। पर चूँकि **र** के बाद **रा** तथा **रा** के बाद **रो** आता है, इसलिए रमा देवी का नाम पहले आयेगा और उसके पश्चात रामचन्द्र यादव का नाम एवं उसके पश्चात रोहन पाण्डेय का नाम आयेगा।

- जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, अभ्यर्थी का प्रथम नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर ही वर्णानुक्रम तैयार किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में वर्णानुक्रम तय करने के लिए प्रथम नाम का द्वितीय या तत्पश्चात के अक्षर को आधार नहीं माना जायेगा।

- यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्रथम नाम का प्रथम अक्षर एक ही हो, तो इन अभ्यर्थियों द्वारा दायर किये गये नामांकन पत्र, जिसे निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा वैध पाया गया है तथा अंतिम रूप से स्वीकृत किया गया है, पर अंकित क्रम संख्या के आधार पर वर्णानुक्रम तय किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप, तीन अभ्यर्थी, यथा रमेश चन्द्र सिन्हा, रविन्द्र नाथ सिंह तथा रहीम खान, के प्रत्येक का प्रथम नाम का प्रथम अक्षर **र** है और यह मान लिया जाय कि रमेश चन्द्र सिन्हा के नामांकन पत्र पर क्रम संख्या 3, रविन्द्र नाथ सिंह के नामांकन पत्र पर क्रम संख्या 6 एवं रहीम खान के नामांकन पत्र पर क्रम संख्या 12 अंकित किया गया है, तो उस स्थिति में प्रपत्र-ई 6 में सभी अभ्यर्थियों के वर्णानुक्रम में इन तीन अभ्यर्थियों का नाम जिस स्थान पर अंकित किया जाना है, उसमें इन अभ्यर्थियों में से प्रथम नाम रमेश चन्द्र सिन्हा, उसके पश्चात रविन्द्र नाथ सिंह एवं उसके पश्चात रहीम खान का नाम अंकित रहेगा।

- ऐसा भी मामला हो सकता है जहां प्रपत्र-ई 6 में अंकित अभ्यर्थियों में से दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का सम्पूर्ण नाम एक ही हो, तो ऐसी स्थिति में ऊपर की कंडिका के अनुसार इन अभ्यर्थियों का आपसी वर्णानुक्रम तय किया जायेगा और तदनुसार उनका नाम प्रपत्र-ई 6 में अंकित किया जायेगा। पर इन्हें अलग-अलग पहचान के लिए उनके नाम के समक्ष कोष्ठ में (1), (2) आदि संख्या या अन्य कोई पहचान चिह्न, यथा टोला/पिता का नाम आदि अंकित किया जायेगा जिसकी जानकारी संबंधित अभ्यर्थी को भी लिखित रूप से **प्रपत्र-ई 7** में दी जायेगी।

- **प्रपत्र-ई 6 की एक प्रति संवीक्षा/ नाम वापसी की तिथि को ही फैक्स द्वारा अथवा ई-मेल द्वारा (bseapatna@gmail.com) प्राधिकार को निश्चित तौर पर उपलब्ध करा दी जायेगी।**

प्रतीक आवंटन

प्रपत्र-ई 7 में सूचना जारी करने के साथ-साथ संबंधित अभ्यर्थियों को **प्रपत्र-ई 8** में सूचना दी जायेगी कि उन्हें अमुक निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया गया है। इस प्रसंग में यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार द्वारा विहित तरीके से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आवंटित निर्वाचन प्रतीक अंतिम होगा तथा इस प्रकार आवंटित निर्वाचन प्रतीक में प्राधिकार की पूर्वानुमति के बिना किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकेगा।

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 342 दिनांक 12.05.2009 द्वारा यथा अधिसूचित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 के नियम-3 एवं बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 (यथा संशोधित) के नियम-21 ड एवं 21 ध तथा 21 म के अधीन विभिन्न प्राथमिक सहकारी समितियों (पैक्स सहित) के अध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए नामांकित तालिका के अनुसार विर्निदिष्ट निर्वाचन प्रतीक निर्धारित किया गया है :-

पद का नाम	निर्धारित प्रतीक
1	**2**
1. अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए।	1. मोतियों की माला 2. ब्लैक बोर्ड 3. किताब 4. ईट 5. पुल 6. बैगन 7. ब्रश 8. चिमनी 9. कैमरा 10. मोमबत्तियाँ 11.कार 12. कैरम बोर्ड 13. गाजर 14. नेकटाई 15. रोड रौलर
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए।	1. वायुयान 2. अलमीरा 3. कुल्हाड़ी 4. गुब्बारा 5. केला 6. टेलीविजन 7. टॉफी 8. छड़ी 9. ऊन 10. सीढ़ी
3. पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए।	1. गुड़िया 2. चापाकल 3. कुर्सी 4. टार्च 5. ट्रैक्टर 6. टोकरी 7. बल्ला 8. कांटा 9. चूड़ियाँ
4. अति पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए।	1. छत का पंखा 2. नारियल 3. कंघा 4. चारपाई 5. कप और प्लेट 6. डोली 7. फ्राक 8. फ्राइंग पैन 9. गैस सिलेण्डर 10. बिजली का खंभा
5. सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए।	1. स्लेट 2. चम्मच 3. स्टूल 4. मेज 5. टेबुल लैम्प 6. गैस का चूल्हा 7. कांच का गिलास 8. हारमोनियम 9. टोपी 10. वायलीन 11. स्टोव 12. मोटरसाइकिल 13. नल 14. बल्व 15. जीप 16. काठ गाड़ी 17. वैन 18. हाथ ठेला 19. दाव 20. जग 21. केतली 22. शटल 23. टेन्ट

इसके अतिरिक्त निम्नांकित निर्वाचन प्रतीकों को सुरक्षित रूप में रखा जाएगा जिसका प्रयोग, विशेष परिस्थिति में, अर्थात यदि उपर्युक्त पाँच अथवा किसी एक या एकाधिक श्रेणियों के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो जाए तो, किया जाएगा।

सुरक्षित प्रतीकों की सूची

1. बल्लेबाज 2. डबल रोटी 3. ब्रीफकेस 4. केक 5. कोट 6. डीजल पम्प 7. लिफाफा 8. हैंगर 9. आइसक्रीम 10. अंगूठी 11. कलम और दावात

2. उम्मीदवारों द्वारा अभ्यर्थिता वापस लेने के तुरंत बाद निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उपर्युक्त पदों के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रपत्र-ई 6 में तैयार की जाएगी। उक्त सूची में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों का नाम देवनागरी लिपि में हिन्दी में नाम के प्रथम अक्षर के वर्ण क्रमानुसार नाम, पता सहित अन्तर्विष्ट होगा, परन्तु यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों का नाम एक ही हो, तो नामांकन पत्र प्राप्ति के क्रम संख्या अनुसार उनका वर्णानुक्रम तय करते हुए अलग-अलग पहचान के लिये उनके नाम के समक्ष कोष्ठक में क्रमशः (1)(2)(3).....आदि अंकित किया जायेगा। तत्पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी कॉलम-2 में निर्धारित निर्वाचन प्रतीकों में से प्रपत्र-ई 6 में से अभ्यर्थियों के नामों के क्रमांक के अनुसार प्रतीकों को क्रमवार आवंटित करेंगे, अर्थात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के क्रमांक-1 के अभ्यर्थी को प्रतीकों की सूची का क्रमांक-1, क्रमांक-2 के अभ्यर्थी को प्रतीकों की सूची के क्रमांक-2, क्रमांक-3 पर के अभ्यर्थी को प्रतीकों की सूची के क्रमांक-3 और, इसी तरह क्रमशः आवंटित करेंगे एवं तत्पश्चात् नियमानुकूल रूप से निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए अनुदेश में उल्लिखित प्रपत्र-ई 6 का प्रकाशन कर दिया जायेगा।

3. यदि किसी पद विशेष के लिये निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कॉलम-2 में अंकित कुल प्रतीकों की संख्या से अधिक हो जाय, तो विभिन्न पदों से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को उक्त 11 सुरक्षित प्रतीकों में से इन प्रतीकों को क्रमानुसार आवंटित किया जायेगा।

4. निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने के पश्चात प्राधिकार द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०) को भेजे गये निर्वाचन प्रतीक की सूची में से आवंटित प्रतीक की अनुकृति संबंधित अभ्यर्थी को अवश्य दे दी जाय।

5. विभिन्न कोटि के पदों के लिए आवंटित किये जाने वाले निर्वाचन प्रतीकों एवं विशेष परिस्थिति में उपयोग में लाने हेतु सुरक्षित प्रतीकों की अनुकृति **परिशिष्ट-2** में उपलब्ध है।

मतदान केन्द्र की स्थापना

सामान्यतया एक पैक्स में सदस्यों की औसतन संख्या 700 से 1100 के बीच पायी गई है। कुछ ऐसे भी पैक्स हैं, जहाँ सदस्यों की संख्या 1100 से काफी अधिक है। सभी मतदाता मतदान में भाग ले सकें, इस हेतु विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त प्राधिकार का यह निर्णय है कि अधिकतम 700 मतदाताओं के लिए एक मतदान केन्द्र स्थापित किया जाय। जहाँ मतदाताओं की संख्या 700 से अधिक होती है, वहाँ सामान्यतया एक ही मतदान केन्द्र के सन्निकट या उसी भवन/ परिसर में अतिरिक्त मतदान केन्द्र भी स्थापित किये जायेंगे। मतदान केन्द्रों की स्थापना के लिए प्राधिकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है लेकिन निर्वाचन पदाधिकारी मतदान केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव पर जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

मतदान केन्द्र सामान्यतया संबंधित पैक्स के कार्यालय भवन में स्थापित किये जायेंगे। अगर पैक्स का कार्यालय किसी निजी भवन में चल रहा है, तो मतदान केन्द्र पैक्स मुख्यालय में अवस्थित ग्राम पंचायत भवन/ सामुदायिक भवन/ प्राथमिक विद्यालय भवन/ आँगनबाड़ी केन्द्र अथवा अन्य सरकारी भवन में स्थापित किये जायेंगे किन्तु कोई भी मतदान केन्द्र पुलिस थाना/ अस्पताल/ डिस्पेंसरी/ मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल या विवादित परिसर में स्थापित नहीं किया जायेगा।

सहायक मतदान केन्द्र - सहायक मतदान केन्द्रों की स्थापना निम्न प्रकार की जा सकती है :-

सदस्यता	मतदान केन्द्रों की संख्या
700 तक	1
701 से 1400 तक	2
1401 से 2100 तक	3
2101 से 2800 तक	4
2801 से 3500 तक	5
3501 से 4200 तक	6
4201 से 4900 तक	7
4901 से 5600 तक	8
5601 से 6300 तक	9
6300 से ऊपर	प्रत्येक 700 मतदाता पर एक अतिरिक्त मतदान केन्द्र

प्रत्येक मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या एवं मतदाता सूची का विभाजन - 1400 मतदाताओं तक की संख्या को 2 से विभाजित किया जायेगा; आधी संख्या मुख्य मतदान केन्द्र के साथ सम्बद्ध की जायेगी एवं शेष अतिरिक्त मतदान केन्द्र के साथ। उदाहरणस्वरूप, अगर मतदाताओं की संख्या 850 है, तो मुख्य मतदान केन्द्र से 450 मतदाताओं को सम्बद्ध किया जायेगा तथा सहायक मतदान केन्द्र से शेष 400 मतदाताओं को। विभाजन के फलस्वरूप दशमलव स्थान आने

पर, दशमलव को अनदेखा (ignore) किया जायेगा और प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि मतदान केन्द्रों के साथ मतदाताओं की बराबर-बराबर संख्या को सम्बद्ध करते हुए मतदाताओं की शेष संख्या को अंतिम सहायक मतदान केन्द्र से सम्बद्ध किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप, अगर किसी मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या 2202 है, तब यहाँ 4 मतदान केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या 2202/4 = 550.5 होगी। ऐसी स्थिति में प्रथम, द्वितीय, तृतीय मतदान केन्द्र पर प्रत्येक के साथ 550 मतदाता सम्बद्ध किये जायेंगे एवं चतुर्थ मतदान केन्द्र से शेष 552 मतदाता।

सहायक मतदान केन्द्र यथासंभव एक ही भवन में स्थापित किया जायेगा और ऐसा संभव नहीं होने पर एक ही परिसर में स्थापित किया जायेगा। प्राधिकार का उद्देश्य यही है कि यथासंभव निर्वाचन एक ही परिसर में संपन्न कराया जाय ताकि बलों के परिनियोजन (Deployment) /अन्य निर्वाचन व्यय में कमी की जा सके। अगर मतदान केन्द्र स्थापित करने के लिये किसी अन्य भवन अथवा किसी बड़े भवन को लेना आवश्यक हो जाय, तब निजी भवनों में चल रहे पैक्स हेतु मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। सहायक मतदान केन्द्र को आवंटित क्रम संख्या वही होगी जो मूल मतदान केन्द्र को आवंटित की गई है। मूल तथा सहायक मतदान केन्द्र को अलग-अलग दर्शाने हेतु आवंटित संख्या के साथ 'क', 'ख' आदि जोड़ा जा सकता है, यथा मतदान केन्द्र संख्या 4 (क), मतदान केन्द्र संख्या 4 (ख) आदि।

<u>मतदान केन्द्र का संख्यांकन</u> - प्रखंड के प्रत्येक पैक्स के लिए संख्यांकन 1 से प्रारंभ होकर जितने मतदान केन्द्रों की स्थापना की जायेगी, उतनी संख्या तक संख्यांकन किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप, मान लिया जाय कि हसनपुर प्रखंड में कुल 14 पैक्स है तो हसनपुर प्रखंड में मतदान केंद्र का संख्यांकन निम्न रूप से किया जायेगा - हसनपुर प्रखंड/..... पैक्स/ मतदान केंद्र संख्या 1/2 इत्यादि। अगर हसनपुर प्रखंड के किसी पैक्स विशेष में 1 सहायक मतदान केंद्र भी स्थापित किया गया है तो उक्त स्थिति में उसका संख्यांकन मतदान केंद्र संख्या 1 (क), 1 (ख), 1 (ग) आदि के रूप में किया जायेगा।

<u>मतदान केंद्र की बनावट</u> - मतदान केंद्र की स्थापना ऐसे हॉल /कमरे में की जायेगी जिसकी बनावट आदि समुचित प्रकार की हो और हॉल/ कमरे में पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो तथा भवन के अंदर आने-जाने के लिए अलग प्रवेश तथा निकास की व्यवस्था हो या आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जा सके। अर्थात् जिस हॉल/ कमरे में मतदान केंद्र की स्थापना की जायेगी, उसमें जाने के लिए तथा वहां से निकलने के लिए अलग प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था पहले से है या उसका एकमात्र दरवाजा इस प्रकार है कि उसमें कृत्रिम तरीके से अलग-अलग प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हो सकती है। इस प्रकार एक ही हॉल के लिए पुरूष एवं महिला मतदाता होने की स्थिति में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पुरूष एवं महिला मतदाता अलग-अलग प्रवेश एवं निकास के माधयम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें या बारी-बारी से (BY turn) पुरूष और महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। मतदान केंद्र पर पेयजल तथा शौचालय की सुनिश्चित स्थायी अथवा अस्थायी व्यवस्था रहनी चाहिए ताकि मतदान कर्मियों एवं मतदाताओं, विशेषत: महिलाओं को कोई परेशानी नहीं हो। मतदान केंद्र तक सुरक्षा बलों/ आरक्षी बलों को पहुँचने हेतु सुगम पथ उपलब्ध होना चाहिए ताकि विधि व्यवस्था की किसी भी स्थिति को त्वरित रूप से नियंत्रित किया जा सके। संकरे पथ में तथा भीड़-भाड़ वाली जगह में मतदान केंद्र स्थापित करने से यथासंभव बचना चाहिए।

मतदान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव भेजने से पूर्व निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा स्वयं उसका भौतिक सत्यापन अवश्य कर लेना चाहिए कि भवन दुरूस्त स्थिति में है तथा वहां बुनियादी सुविधायें उपलब्ध हैं।

मतदान केंद्र किसी भी स्थिति में संबंधित पैक्स मुख्यालय से बाहर अन्य स्थान पर स्थापित नहीं किया जायेगा, न ही एक पैक्स का मतदान केंद्र किसी दूसरे पैक्स की क्षेत्रीय सीमा में स्थापित किया जायेगा। अगर किसी पैक्स का कार्यालय

शहरी क्षेत्र में किसी निजी मकान में अवस्थित हो, तब मतदान केन्द्र की स्थापना उसी वार्ड में ऊपर उल्लिखित किसी सार्वजनिक प्रकृति के भवन में की जा सकती है। अगर उस वार्ड में वैसे भवन उपलब्ध नहीं है, तो समीपस्थ किसी दूसरे वार्ड में किसी सार्वजनिक भवन में मतदान केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए।

एक मतदान केंद्र के लिए सामान्यत: 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का स्थान होना चाहिए ताकि मतदाता का पंक्तिबद्ध होकर मतदान करने में कोई असुविधा न हो। जहाँ तक संभव हो, मतदान केन्द्र में प्रवेश एवं निकास के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जानी चाहिए।

यद्यपि पैक्स का निर्वाचन दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, फिर भी यह सोचना कि राजनीतिक दल पैक्स के निर्वाचन में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं दिखलायेंगे, अव्यावहारिक होगा। वस्तुत: ग्राम पंचायत के स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण होने के चलते पैक्स के निर्वाचन में राजनीतिक दलों की गहरी रूचि हो सकती है, जो स्वयं समर्थित उम्मीदवारों को सहकारिता के अन्य ऊँचे पायदानों पर स्थापित देखना चाहेंगे। अत: मतदान केन्द्रों के चयन में निर्वाचन पदाधिकारी को बिल्कुल तटस्थ हो कर तथा पूरी पारदर्शिता के साथ प्राधिकार के निदेशों के अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए, तथा किसी भी व्यक्ति, संस्था या दल से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

उपर्युक्त तरीके से प्रत्येक प्रखंड में पैक्सवार मतदान केन्द्रों की सूची में तैयार की जायेगी और इसे आम निरीक्षण के लिए निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय सूचना पट, संबंधित पैक्स के कार्यालय सूचना पट एवं संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत भवन के सूचना पट या दीवार पर ऐसी जगह चिपकाया जायेगा जहाँ लोगों की नजर आसानी से पड़ सके। यह सूची 3 दिनों के लिए उपर्युक्त स्थानों में पैक्स सदस्यों के निरीक्षण के उपलब्ध रहेगी। इस अवधि में अगर कोई सुझाव या आपत्ति प्राप्त हो, तो निर्वाचन पदाधिकारी उस पर समुचित विचार कर उचित निर्णय लेगा और आवश्यकतानुसार संशोधन करेगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची मतदान केंद्र की अंतिम सूची होगी, जिस पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

प्राधिकार स्पष्ट करना चाहता है कि पैक्स के निर्वाचन हेत मतदान केन्द्र/ केन्द्रों की स्थापना में किसी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जायेगी तथा किसी भी चूक के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) को उत्तरदायी ठहराया जायेगा। अत: प्राधिकार जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से अपेक्षा रखता है कि वे अपने स्तर पर पर्याप्त सतर्कता बरतें तथा निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रेषित मतदान केंद्रों की सूची के औचित्य को भली-भाँति परख कर ही इसका निर्धारण करें।

(प्राधिकार का पत्रांक 109 दिनांक 28 फरवरी, 2009
एवं पत्रांक 822 दिनांक 9 जुलाई, 2009)

भारतीय दंड संहिता के दंड प्रावधान

निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी **(प्रपत्र-ई 6)** को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 08 एवं भारतीय दंड संहिता के दंड प्रावधानों का उद्धरण उपलब्ध करा दिया जायेगा, जिसकी प्रति **परिशिष्ट-2** में उपलब्ध है।

निर्विरोध एवं सविरोध निर्वाचन

(i) जिन समितियों में अध्यक्ष, सचिव के अतिरिक्त उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के पद अलग-अलग विहित हैं, इन पदों के लिए अलग-अलग एक-एक व्यक्ति निर्वाचित किया जायेगा, अतएव उक्त पदों के लिए **प्रपत्र-ई 6** में अंकित वैध अभ्यर्थी की संख्या यदि मात्र एक-एक है तो उस परिस्थिति में संबंधित पद के लिए मतदान नहीं कराया जायेगा, बल्कि ऐसे एकमात्र अभ्यर्थी को **निंविरोध निर्वाचित** समझा जायेगा

लेकिन, बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली, 1959 के नियम 21-त एवं 21-थ के परन्तुक-1 के अनुसार निर्विरोध निर्वाचन के फलस्वरूप निर्वाचन परिणाम की घोषणा भी मतदान/ मतगणना की तिथि को ही की जायेगी और उसी तिथि को प्रपत्र-ई 9 में निर्वाचन प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

(ii) यदि उक्त पदों के लिए तैयार किये गये प्रपत्र-ई 6 में एक से अधिक वैध अभ्यर्थियों का नाम अंकित किया गया है, तो उस स्थिति में प्राधिकार द्वारा नियत तिथि को विहित तरीके से मतदान कराया जायेगा।

(iii) उसी प्रकार यथा अनुमान्य, अगर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से निदेशक मंडल के सदस्य पद के लिये एक महिला सहित मात्र दो नामांकन पत्र; अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-I) से एक महिला सहित मात्र दो नामांकन पत्र; पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-II) से निदेशक मंडल के लिए एक महिला सहित मात्र दो नामांकन पत्र वैध घोषित किये गये हैं, तो संबंधित पदों के सभी अभ्यर्थियों को निर्विरोध निर्वाचित समझा जायेगा तथा उन्हें भी प्रपत्र-ई 9 में तदनुसार निर्वाचित हो जाने का निर्वाचन प्रमाण पत्र नियत तिथि को मतगणना समाप्ति के पश्चात् उपलब्ध कराया जायेगा। अगर उक्त पदों के लिए क्रमशः दो, दो तथा दो से अधिक अभ्यर्थी प्रपत्र-ई 6 में वैध अंकित किये गये हों, तो उस स्थिति में प्राधिकार द्वारा नियत तिथि को मतदान कराया जायेगा। यही प्रक्रिया निदेशक मंडल के सामान्य कोटि के पक्ष में भी लागू रहेगी।

(iv) अगर निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से कम संख्या में नामांकन पत्र दाखिल किये गये हैं, तब सही नामांकन देने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचित समझा जायेगा और उन्हें भी मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई 9 में निर्वाचन प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

मतपत्र के परिकल्प का निर्धारण एवं मुद्रण

बिहार निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 08 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन विभिन्न सहकारी समितियों के चुनाव में प्रयुक्त किये जाने वाले मतपत्र एवं उसके प्रतिपर्ण के परिकल्प के संबंध में राज्य निर्वाचन प्राधिकार का निम्नांकित निर्णय लिया गया है –

(1) मतपत्रों का मुद्रण जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा कराया जायेगा। इस हेतु वे निम्नलिखित सुविधाओं से युक्त प्रिटिंग प्रेसों का चयन करेंगे-

(i) वेबसेट प्रिंटिंग मशीन

(ii) चाहरदीवारी या चारों तरफ से सुरक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था

(iii) प्रेस मालिक जो मतपत्रों के मुद्रण के दौरान अपने प्रेस को जिला प्रशासन के अधीन रखने हेतु सहमत हों, अर्थात् इस अवधि में मतपत्रों का मुद्रण छोड़कर कोई अन्य बाहरी कार्य नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त स्तर के प्रेसों का चयन कर लेने के पश्चात् जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित प्रेस मालिक के साथ उपर्युक्त शर्त्तो पर दी गई विशिष्टि के अनुसार मतपत्रों का मुद्रण करने के संबंध में एकरारनामा करेंगे।

(2) पूरे मुद्रण काल की अवधि में प्रेस में चौबीसों घंटे दण्डाधिकारी एवं आरक्षी पदाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे। प्रेस के स्टाफ एवं कर्मियों का पहचान पत्र निर्गत रहेगा। मुद्रण कार्य से संबंधित कर्मियों को छोड़कर अन्य किसी भी कर्मी को प्रेस के अन्दर आने की इजाजत नहीं होगी।

(3) अगर किसी जिले में उपर्युक्त सुविधायुक्त प्रेस उपलब्ध नहीं हो, तब मुद्रण का कार्य किसी अन्य जिले में अवस्थित प्रेस में, जहाँ वहाँ के जिला दण्डाधिकारी अपने जिले से संबंधित मतपत्रों का मुद्रण करा रहे है, कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित जिला दण्डाधिकारी उनके मुद्रण कार्य हेतु आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करायेंगे।

(4) सभी तरह के पदों के लिए मतपत्र अभ्यर्थियों के नाम एवं उन्हें निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आवंटित चुनाव चिह्न के साथ मुद्रित किये जाएंगे। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा तैयार एवं अनुमोदित प्रारूप मतपत्र (प्रपत्र-ई 6 के आधार पर) जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कर्णांकित प्रेस को दिया जाएगा। **प्रूफ रीडिंग एवं अंतिम अनुमोदन की जिम्मेवारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी की होगी। मतपत्रों के मुद्रण के दौरान या तो वह स्वयं प्रेस में उपलब्ध रहेगा या इस कार्य हेतु किसी उपयुक्त स्टाफ को प्रतिनियुक्त करेगा।**

(5) मतपत्रों का मुद्रण उपलब्धता के अनुसार 60-65 जीएसएम गुणवत्ता वाले सफेद कागज पर प्रत्येक पद के लिए विहित रंग में किया जाएगा। **अध्यक्ष पद** के लिए सफेद कागज पर **लाल रंग** से अभ्यर्थी का नाम/चुनाव चिह्न, शेडेड पोरशन एवं अन्य प्रविष्टियाँ मुद्रित की जाएंगी। **अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद** के लिए सफेद कागज पर **नीला रंग** से अभ्यर्थी का नाम/चुनाव चिह्न, शेडेड पोरशन एवं अन्य प्रविष्टियाँ मुद्रित की जाएंगी। **पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद** के लिए सफेद कागज पर **हरा रंग** से अभ्यर्थी का नाम/चुनाव चिह्न, शेडेड पोरशन एवं अन्य प्रविष्टियाँ मुद्रित की जाएंगी। **अति पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद** के लिए सफेद कागज पर **काला रंग** से अभ्यर्थी का नाम/चुनाव चिह्न, शेडेड पोरशन एवं अन्य प्रविष्टियाँ मुद्रित की जाएंगी। **सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद** के लिए सफेद कागज पर **नारंगी रंग** से अभ्यर्थी का नाम/चुनाव चिह्न, शेडेड पोरशन एवं अन्य प्रविष्टियाँ मुद्रित की जाएंगी।

2. मतपत्र की विशिष्टियाँ निम्नवत् होंगी-

<u>मतपत्र का प्रतिपर्ण</u>

सिंगल स्तंभ वाले मतपत्र के प्रतिपर्ण की चौड़ाई 2.5 इंच एवं गहराई 2.5 इंच होगी और उसके ऊपर स्टीच के लिए 1/2 इंच जगह रखी जाएगी। डबल स्तंभ वाले मतपत्र के प्रतिपर्ण की चौड़ाई 5.5-6 इंच होगी। गहराई एवं अन्य प्रविष्टियाँ वैसी ही रहेंगी जो सिंगल स्तंभ वाले मतपत्र के प्रतिपर्ण के लिए निर्धारित है।

प्रतिपर्ण में सबसे ऊपर संबंधित सहकारी समिति का नाम एवं जिस पद हेतु मतपत्र होगा, उसका नाम अंकित रहेगा, यथा अध्यक्ष/अनुसूचित जाति-जनजाति कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद आदि। उसके नीचे बायें से दायें निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रहेगी - जिला-....., प्रखंड-....., समिति-.....

इसके नीचे बायीं ओर मतदाता का अनुक्रमांक देकर उसके बाद डॉट-डॉट रहेगा जिसपर मतदाता सूची में **मतदाता का अनुक्रमांक** अंकित किया जाएगा। इसके नीचे बायीं ओर ही **मतपत्र का क्रमांक** मुद्रित रहेगा। प्रत्येक पद के मतपत्र का क्रमांक प्राधिकार द्वारा निर्धारित सीरिज में लगातार अंकित किया जाएगा।

प्रतिपर्ण के नीचे दायीं ओर मतदाता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अंकित रहेगा और उसके सामने स्थान खाली रहेगा।

1/6 इंच चौड़ाई का रेखाओं का एक छिद्रित (perforated) ब्लॉक पद के लिए निर्धारित रंग में प्रतिपर्ण के नीचे इसे मतपत्र से अलग करने हेतु खींचा जाएगा। यहीं से मतपत्र फाड़कर मतदाता को दिया जाएगा।

<u>मतपत्र</u>

(1) सिंगल स्तंभ वाले मतपत्र की चौड़ाई 2.5 से 3 इंच होगी। डबल कॉलम वाले मतपत्रों की चौड़ाई 5.5-6 इंच होगी। छिद्रित सीधी रेखा (perforated straight line) के नीचे भी 1/6 इंच चौड़ाई का रेखाओं का एक ब्लॉक खींचा रहेगा। मतपत्र के फ्रंट पेज पर पद का नाम/जिला का नाम/प्रखंड का नाम/पैक्स का नाम अंकित रहेगा।

(2) एक स्तंभ में अधिकतम 9 अभ्यर्थियों का मुद्रण किया जाएगा। 9 से अधिक अभ्यर्थी होने पर डबल कॉलम में मतपत्रों का मुद्रण किया जाएगा। 20 अभ्यर्थी के होने तक डबल कॉलम में एवं इससे अधिक होने पर ट्रिपल कॉलम में मतपत्रों का मुद्रण किया जाएगा।

(3) 1/3-1/2 इंच की विभाजक रेखा (dividing line) मतपत्र के बीच में होगी।

(4) अभ्यर्थी का नाम एक पैनल में मतपत्र की बायीं ओर एवं उसका चुनाव चिह्न दाहिनी ओर अंकित रहेगा।

(5) डबल कॉलम में जितने अभ्यर्थी रहेंगे, उसका आधा मतपत्र की एक ओर, एवं आधा दूसरी ओर रखा जाएगा। विषम संख्या (odd number) में अभ्यर्थी होने पर एक अभ्यर्थी के खाली स्थान को पद विशेष के मतपत्र के लिए निर्धारित रंग से शेडेड कर दिया जाएगा।

(6) प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए आवंटित जगह की चौड़ाई 1 इंच होगी तथा लम्बाई 2.5-3 इंच होगी।

(7) दो अभ्यर्थियों के बीच 3/8 इंच चौड़ाई की एक गहरी विभाजक शेडेड रेखा पद के लिए निर्धारित रंग में रहेगी।

(8) दो अभ्यर्थियों से संबंधित मतपत्र में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे 3/8 इंच चौड़ाई की शेडेड रेखा खींची रहेगी एवं इसी शेडेड रेखा में बायीं ओर मतपत्र का क्रमांक अंकित किया जाएगा। इस शेडेड रेखा के नीचे मतपत्र के अंत में 1/6 इंच चौड़ाई का बॉर्डर पद के लिए निर्धारित रंग में रखा जाएगा।

(9) सभी तरह के मतपत्र के अंत में 1/6 इंच चौड़ाई का पद के लिए निर्धारित रंग का बॉर्डर रहेगा।

(10) किसी भी चुनाव चिह्न का आकार 1.5 इंच X 1 इंच से अधिक नहीं होगा। **चुनाव चिह्न की सी॰डी॰ प्राधिकार से प्राप्त की जा सकती है।**

(11) मतपत्र का जो क्रमांक प्रतिपर्ण में अंकित है, उसे पुनः दूसरे और तीसरे अभ्यर्थी के बीच में मतपत्र पर अंकित किया जाएगा।

(12) मतपत्रों का बंडल 50-50 का रहेगा। इसी प्रकार से सभी मतपत्र स्टीच किये जाएंगे।

कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जाने अथवा कोई भी नामांकन पत्र वैध नहीं पाये जाने अथवा स्वीकृत किये गये सभी नामांकन पत्रों को संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा वापस ले लिये जाने पर

यदि नामांकन पत्र की संवीक्षा के उपरान्त या नामांकन पत्र की वापसी की अंतिम तिथि के उपरान्त ऐसा पाया जाता है कि किसी पद विशेष के लिए या तो कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया हो या दाखिल किये गये सभी नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिये गये हों या स्वीकृत किये गये सभी नामांकन पत्रों को वापस ले लिया गया हो, तो उस स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा एक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)/ जिला सहकारिता पदाधिकारी/ राज्य निर्वाचन प्राधिकार को अविलम्ब भेजा दिया जायेगा और इसपर प्राधिकार के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जायेगी।

निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/ मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति

सहकारी समिति के निर्वाचन का प्रत्येक अभ्यर्थी अपने चुनाव कार्य के लिये अधिकतम दो निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति कर सकता है, जो उसके मतदान तथा मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में भी कार्य करेगा। किन्तु, किसी एक समय एक ही व्यक्ति निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में कार्य कर सकता है, दूसरा व्यक्ति रिजर्व के रूप में रहेगा। अभ्यर्थी किसी भी समय अपने हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति रद्द कर सकता है और उसकी जगह नया अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकता है। निर्वाचन अभिकर्त्ता की निर्वाचन के पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में भी अभ्यर्थी नया अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकता है। **जो अभ्यर्थी अपना कोई निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता नियुक्त नहीं करना चाहे, वह ऐसा करने के लिये स्वतंत्र है।** स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के लिये एक ही व्यक्ति निर्वाचन अभिकर्त्ता, मतदान अभिकर्त्ता तथा मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करेगा। निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति **प्रपत्र-ई 10** में की जायेगी। **निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जायेगी जो संबंधित सहकारी समिति का सदस्य हो, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं।**

मतदान का प्रत्यादिष्ट (countermanded) होना

अगर प्रपत्र-ई 6 में अंकित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में से किसी पद विशेष के किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और मतदान के नियत समय के प्रारंभ होने के पूर्व उसकी मृत्यु की सूचना निर्वाचन पदाधिकारी को प्राप्त हो जाती है, तो उस अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने संबंधी तथ्य का समाधान हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित पद के लिये मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देंगे और इसकी सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)/जिला सहकारिता पदाधिकारी/ प्राधिकार को देंगे। प्राधिकार से निदेश प्राप्त होने पर उक्त पद के लिये निर्वाचन प्रक्रिया नये सिरे से प्रारंभ की जायेगी।

स्पष्टीकरण - जिन समितियों में कई पदों के लिये चुनाव कराये जा रहे हैं, उन समितियों में प्रत्येक पद के लिये अलग-अलग प्रपत्र-ई 6 तैयार किया जायेगा। अत: जिस पद विशेष के अभ्यर्थी की मृत्यु होगी, केवल उसी पद का निर्वाचन स्थागित किया जायेगा, न कि समिति के सभी पदों का । उदाहरण के लिये, अगर किसी सहकारी समिति के निर्वाचन के लिए अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये आरक्षित प्रबंध समिति के सदस्य पद के निर्वाचन हेतु प्रपत्र-ई 6 में अंकित किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है और इसकी सूचना निर्वाचन पदाधिकारी को मतदान शुरू होने के पहले सम्पुष्ट रूप से प्राप्त हो जाती है, तो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा केवल प्रबंध समिति में उक्त कोटि के सदस्य के लिये निर्वाचन को ही स्थगित किया जायेगा, न कि शेष अन्य पदों, यथा अध्यक्ष/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग अथवा सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पदों का निर्वाचन। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मतदान प्रारंभ हो जाने के पश्चात अगर किसी अभ्यर्थी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है तो इस आधार पर निर्वाचन प्रत्यादिष्ट नहीं किया जायेगा।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों / उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के पहचान पत्र

अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सहकारी समितियों के निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी/उनके निर्वाचन अभिकर्ता को **प्रपत्र-ई 11** में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा।

पहचान पत्र अपेक्षाकृत बड़े साईज में बनाया जाएगा ताकि इसके दाहिने शीर्ष भाग (right top portion) में अभ्यर्थी का फोटोग्राफ साटने हेतु पर्याप्त स्थान (space) उपलब्ध रहे। अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा अपना हाल का डाक टिकट आकार का फोटोग्राफ दो प्रतियों में निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायगा। अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता का फोटोग्राफ निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा तथा इसपर निर्वाचन पदाधिकारी का सील इस तरह लगाया जाएगा कि सील का कुछ हिस्सा फोटोग्राफ पर पड़े एवं बाकी हिस्सा पहचान पत्र पर। पहचान पत्र की एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में अभिलेख के (record) के रूप में रखी जाएगी तथा दूसरी प्रति अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता को हस्तगत करा दी जाएगी।

(प्राधिकार का पत्रांक 365 दिनांक 18 मई, 2009)

मतदान केन्द्र के निकट शस्त्र धारण पर प्रतिबंध

मतदान केन्द्र के निकट शस्त्र धारण पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। एतदर्थ बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 6(14) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसका संगत अवतरण निम्नवत् है :-

''मतदान केन्द्र में उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध :

(i) मतदान केन्द्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी और नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र में कर्तव्य पर है, के अलावा कोई भी व्यक्ति, मतदान के दिन मतदान केन्द्र के पास आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का सं0 54) में यथा परिभाषित, किसी प्रकार के शस्त्र लेकर नहीं जाएगा।

(ii) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह दो वर्षों तक के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(iii) आयुध अधिनियम, 1959(1959 का सं0 54) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध का सिद्धदोष हो, उसके कब्जे में उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित शस्त्र पाया गया हो तो जब्त कर लिया जाएगा और उन शस्त्रों के लिए प्रदत्त अनुज्ञप्ति को उस अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत प्रतिसंहरित माना जाएगा।

(iv) खंड (ii) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।''

2. उक्त धारा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्पष्ट रूप से अनुमत व्यक्तियों को छोड़कर, कोई अन्य व्यक्ति न तो शस्त्र रखेगा, न ही मतदान केन्द्रों या उसके आस पास (मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत) पर उनका प्रदर्शन करेगा, ताकि निर्वाचन का संचालन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से कराया जा सके तथा शस्त्रों के प्रदर्शन अथवा उनके आधिक्य के कारण कोई मतदाता डर कर या घबराकर मतदान करने से विरत न हो जाए।

3. ऐसा देखा जाता है कि मतदान के समय अभ्यर्थियों और/अथवा उनके समर्थकों, जिन्हें राज्य प्राधिकारियों से सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं, मतदान केन्द्रों में अथवा उसके आसपास, वैसे सुरक्षा कर्मियों को साथ लेकर चले जाते है। यह उप धारा (14) में विहित प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अत: प्राधिकार द्वारा निदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसे किसी भी स्त्रोत से सुरक्षा मुहैया कराई गई हो, किसी मतदान केन्द्र में तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में वैसे सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रवेश नहीं करेगा। निर्वाचन के प्रभारियों का यह दायित्व होगा कि उक्त धारा के प्रावधानों का अनुपालन सख्तीपूर्वक किया जाए तथा वैसे व्यक्ति (अभ्यर्थी, उनके अभिकर्त्ता, कार्यकर्ता, समर्थक या कोई मतदाता भी) को मतदान केन्द्र में या उसके समीप जाने की अनुमति नहीं दी जाए। यही प्रतिबंध मतगणना केन्द्र में अथवा उसके आस-पास प्रवेश के संबंध में भी लागू होंगे। कई अभ्यर्थी अपना चुनाव प्रचार अथवा अन्य निर्वाचन कार्य मुख्यत: अपने निर्वाचन अभिकर्ताओं के माध्यम से संपन्न कराते है। अत: निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा **अभ्यर्थियों को उनके ही हित के लिए यह बात अच्छी तरह से समझा दी जानी चाहिए कि वे अपने निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नही करें, जिसे प्रशासन से सुरक्षा प्राप्त है तथा जिसे अपने मूवमेन्ट के लिए सुरक्षा कर्मियों को साथ रखना पड़ता है।** इससे निर्वाचन अभिकर्ताओं को चुनाव प्रचार करने तथा मतदान एवं मतगणना के दिन अभ्यर्थी के हित में बिना किसी अवरोध/बाधा के घूमने में सहूलियत होगी।

(प्राधिकार का पत्रांक 366 दिनांक 18 मई, 2009)

निर्वाचन व्यय
(पैक्स निर्वाचन के लिए)

प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स) शीर्ष स्तर की समितियों, यथा केन्द्रीय सहकारिता बैंक, व्यापार मंडल, बिस्कोमान आदि के निर्वाचन हेतु प्राथमिक इकाईयाँ हैं। सहकारिता तंत्र को धनाढ्यों एवं निहित स्वार्थी तत्वों के चंगुल एवं प्रभाव से मुक्त रखने की दिशा में निर्वाचन से संबंधित व्यय को न्यूनतम स्तर पर रखना नितांत आवश्यक है।

2. यह सर्वविदित है कि प्राथमिक कृषि साख समिति ऐसे सदस्यों का एक संगठन है, जो अपनी मदद आप करने एवं एक-दूसरे की मदद करने के लिये साथ बैठते हैं। इस स्तर पर सामान्यत: सभी सदस्य एक-दूसरे की क्षमता से भली-भाँति परिचित रहते हैं। अत: पैक्स चुनावों के समय अभ्यर्थियों को अपने प्रचार-प्रसार हेतु अधिक व्यय करने की न कोई जरूरत होनी चाहिये, न ही इसका कोई औचित्य बनता है।

3. निर्वाचन व्यय को नियंत्रित करने के संदर्भ में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 8 एवं 9 के प्रावधान भी आपके सुलभ प्रसंग हेतु उद्धृत किये जाते हैं -

धारा 8 - निर्वाचन व्यय का लेखा और उसकी अधिकतम राशि - (1) किसी निर्वाचन का प्रत्येक उम्मीदवार जिस तारीख को उसका नाम निर्देशन हुआ हो उस तारीख से लेकर उसका परिणाम घोषित किए जाने की तारीख तक उपगत और उसके द्वारा प्राधिकृत, निर्वाचन से जुड़े सभी खर्च का पृथक और सही लेखा या तो स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता से रखवायेगा।

धारा 9 -निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निरर्हता - यदि निर्वाचन प्राधिकार का समाधान हो जाए कि कोई व्यक्ति -

(क) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित समय एवं रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है और

(ख) चूक के लिए कोई युक्तियुक्त कारण या औचित्य नहीं है तो राज्य निर्वाचन प्राधिकार आदेश द्वारा उसे निरर्हित घोषित कर देगा तथा ऐसा व्यक्ति आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया जाएगा।

4. निर्वाचन व्यय की सीमा को न्यूनतम स्तर पर रखने तथा निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय से संबंधित लेखा के सही संधारण हेतु बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अधीन प्राधिकार निम्नांकित निदेश देता है:-

(1) किसी निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी नामांकन एवं निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि की अवधि (दोनों दिन सहित) में या तो स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा निर्वाचन से संबंधित किये गये सभी खर्च अथवा उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा अधिकृत किये गये खर्चो का लेखा अलग से संधारित करेगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा पैक्स के निर्वाचन के संचालन एवं प्रबंधन में निम्नलिखित राशि से अधिक कोई व्यय न किया जायेगा या न प्राधिकृत किया जायेगा –

(क) अध्यक्ष पद के मामले में पाँच हजार रुपये, एवं

(ख) प्रबंध समिति के सदस्य पद के मामले में दो हजार रुपये

इस संबंध में यह भी ज्ञातव्य है कि –

(i) किसी भी अभ्यर्थी को प्रचार–प्रसार हेतु मुद्रित पोस्टर, फलेक्सी, बैनर इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, अगर उक्त सामग्रियाँ विहित व्यय सीमा के अंदर प्राप्त नहीं की गई हों तथा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 6(4) के समनुरूप (Confirming to) नहीं हों। तथापि अभ्यर्थियों को मुद्रित सामग्री का वितरण व्यक्तिगत स्तर पर करने अथवा इसे पोस्ट द्वारा दूसरे सदस्यों को अपनी दृष्टि (vision) बतलाने तथा अपने चुनाव चिह्न को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से भेजने की अनुमति होगी।

प्राधिकार प्रचार–प्रसार हेतु अभ्यर्थियों द्वारा किसी तरह का नारा लिखकर, चित्र बनाकर या बैनर आदि टांगकर सार्वजनिक या निजी संपत्ति का विरूपण करने के सख्त खिलाफ है। निर्वाचन पदाधिकारी ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखेंगे एवं विरूपण का मामला प्रकाश में आते ही संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध संपत्ति का विरूपण (निरोध) अधिनियम, 1987 की धारा 3 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 425, 426, 427, 433 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 133 के अधीन कानूनी कार्रवाई करेंगे।

(ii) किसी भी अभ्यर्थी को अपनी पैक्स क्षेत्र के बाहर जुलूस निकालने, सार्वजनिक बैठकें करने और अन्य किसी भी तरह से प्रचार–प्रसार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थियों/उनके समर्थकों द्वारा कोई गेट, तोरण द्वार, कट–आउट आदि नहीं लगाया जाएगा। नामांकन पत्र दाखिल करने आदि के समय वाहनों के काफिले अथवा जुलूस आदि लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी।

(iii) चुनाव प्रचार कार्य करने हेतु लाउडस्पीकर के उपयोग/मोटर वाहन/पशु का उपयोग करने पर पाबंदी रहेगी। किन्तु अगर संबंधित ग्राम पंचायत का क्षेत्र बड़ा हो, अर्थात् जिसमें दो से अधिक राजस्व ग्राम पड़ते हों तथा वहाँ वाहन चलने योग्य सड़कें उपलब्ध हों, तब अभ्यर्थी को एक हल्का मोटर वाहन प्रयोग करने की अनुमति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। निर्वाचन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन का प्रयोग करने की अनुमति देने के दिन से ही उस वाहन पर किये गये व्यय को निर्वाचन व्यय अधिसीमा के तहत निश्चित रूप से गणित किया जाय। वाहन की उक्त अनुमान्यता मात्र चुनाव कार्य के लिये होगी, जो मतदान के समय की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकता है। इस विहित अवधि के पश्चात किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रचार–प्रसार हेतु वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिये जाने वाले वाहन परमिट में इस शर्त्त का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जायेगा। निदेश की अवहेलना किये जाने पर वाहन को तुरंत जब्त करने के साथ–साथ संबंधित अभ्यर्थियों पर संगत विधानों के अधीन फौजदारी मुकदमा भी दर्ज किया जायेगा। स्पष्ट किया जाता है कि मतदान के दिन अभ्यर्थी या उनके समर्थकों द्वारा किसी भी तरह के वाहन के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किन्तु निर्वाचन कार्य से भिन्न अन्य सद्भाविक उद्देश्यों (bonafide purposes) के लिए मतदान के दिन निम्न प्रकार के वाहनों के परिचालन की अनुमति रहेगी :–

(क) मालिक (owner) द्वारा, निजी कार्यवश, जो निर्वाचन से संबंधित नहीं है, प्रयुक्त किए जाने वाले वाहन।

(ख) मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी के बाहर रहते हुए मालिक द्वारा स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों को मतदान हेतु मतदान केन्द्र पर ले जाने के लिए प्रयुक्त वाहन।

(ग) आवश्यक सेवाओं के संधारण हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले वाहन, यथा अस्पताल के ऐम्बुलेन्स, मिल्क वान, वाटर टैंक, विद्युत इमरजेन्सी वान तथा कर्तव्यरत आरक्षी एवं मतदान पदाधिकारियों के साथ संलग्न वाहन।

(घ) पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें, जो निर्धारित टर्मिनस एवं रूट पर चलायी जाती है।

(ङ) टैक्सी, तीन पहिया वाहन, रिक्शा इत्यादि जिनसे अपरिहार्य परिस्थितिवश रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हवाई अड्डा, अस्पताल आदि की यात्रा की जा रही हो।

(च) निजी वाहन, जिनका उपयोग बीमार अथवा नि:शक्त व्यक्तियों द्वारा खुद के लिए किया जाता है।

राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 14 की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार उम्मीदवार या **उसके अभिकर्त्ता अथवा उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चाहे भुगतान पर या अन्यथा किसी वाहन या जलयान को भाड़े पर लेना अथवा उसे प्राप्त करना या ऐसे वाहन या जलयान का इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी मतदान केन्द्र तक या उससे किसी मतदाता (स्वयं उम्मीदवार, उसके परिवार के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) के नि:शुल्क परिवहन के लिए ऐसे वाहन या जलयान का उपयोग करना भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आएगा।**

परन्तु किसी मतदाता द्वारा अपने खर्च पर किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान पर जाने या वहां से वापस लौटने के प्रयोजनार्थ किसी सार्वजनिक वाहन या जलयान या रेल का उपयोग इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं माना जायेगा।

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी जानी चाहिए कि उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध अन्य दंडात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त **उन्हें पाँच वर्षो के लिए किसी स्थानीय प्राधिकार की सदस्यता से निरर्हित भी किया जा सकता है।**

प्राधिकार यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि निर्वाचन संपन्न कराने हेतु उत्तरदायी बनाये गये प्रशासनिक तंत्र तथा चुनाव प्रक्रिया में लगे कर्मियों को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति द्वारा पैक्स निर्वाचन के दौरान पैक्स क्षेत्र में सरकारी/स्थानीय निकायों/सहयोग समितियों/अन्य निकायों जिसमें सार्वजनिक निधि का व्यय किया जाता है, से संबंधित वाहनों का उपयोग नहीं किया जायेगा।

(3) निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन के तुरंत पश्चात अपना दिन-प्रतिदिन व्यय का लेखा संधारित करने के संबंध में **प्रपत्र-ई 12** में एक सूचना निर्गत की जायेगी एवं उसके साथ लेखा के संधारण हेतु **प्रपत्र-ई 13** में एक पंजी भी दी जायेगी। अभ्यर्थी से सूचना एवं पंजी प्राप्ति के संबंध में संलग्न **प्रपत्र-ई 14** में पावती प्राप्त कर निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में रखी जायेगी।

(4) पंजी के प्रत्येक पृष्ठ की पेजिंग की रहेगी तथा वह निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित रहेगी।

(5) अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा अपने व्यय संबंधी लेखा का सही-सही संधारण सिर्फ उक्त पंजी में ही अंकित किया जायेगा, किसी अन्य पंजी में नही। पंजी में प्रविष्टि दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जायेगी तथा इसकी जाँच किसी भी समय जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०) या उसके द्वारा प्राधिकृत उप जिला

निर्वाचन पदाधिकारी/प्रेक्षक/निर्वाचन पदाधिकारी/उसके द्वारा प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

(6) व्यय के समर्थन में सभी अभिलेख यथा अभिश्रव, प्राप्ति, विपत्र, पावती इत्यादि दिन-प्रतिदिन के आधार पर प्राप्त किये जायेंगे तथा उपर्युक्त पंजी के साथ कालक्रमानुसार (Chronological order) में संधारित कर रखे जायेंगे। प्रत्येक अभिश्रव आदि पर अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता का पूर्ण हस्ताक्षर रहना आवश्यक है।

(7) प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अपना निर्वाचन व्यय विवरण **हर पांचवे दिन** के पश्चात निर्वाचन पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारियों के समक्ष स्वयं अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसा करने में असफल रहने पर इसे उसकी तरफ से भारी चूक माना जायेगा।

(8) उक्त पदाधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों के लेखा की जाँच की जायेगी तथा वे पंजी के संगत पृष्ठों की दो छाया प्रतियाँ रखेंगे। एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के नोटिस बोर्ड पर तथा दूसरी प्रति प्रत्येक पैक्स से संबंधित संचिका में अलग-अलग अभिलेख के सबूत के रूप में अपने पास रखी जायेगी तथा निर्वाचन समाप्ति के पश्चात संबंधित पैक्सों को भेजा जायेगा।

(9) प्राधिकार के प्रेक्षक अपने स्तर से भी प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, उसके समर्थक अथवा अभिकर्त्ता द्वारा किये गये व्यय का स्वतंत्र रूप से आकलन करेंगे। प्रेक्षक प्राधिकार को समर्पित किये जाने वाले अपने सामान्य प्रतिवेदन में भी उक्त संबंध में पूर्ण चर्चा करेंगे।

(10) **निर्वाचन परिणाम घोषित होने के पंद्रह दिनों के अंदर** प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने व्यय से संबंधित लेखा-जोखा निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ प्रस्तुत कर देना होगा। जैसे ही किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी के पास निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत किया जाता है, वह इसे तुरंत **प्रपत्र-ई 15** में पावती निर्गत करेगा। अगर लेखा व्यक्तिगत रूप से समर्पित किया जाता है, तो पावती संबंधित व्यक्ति को हाथों-हाथ उपलब्ध करा दी जायेगी तथा अगर डाक के द्वारा समर्पित किया जाता है, तो पावती डाक के माध्यम से भेजी जायेगी।

5. **पंजी निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ मूल रूप में जमा की जायेगी तथा इसमें संलग्न प्रपत्र में व्यय से संबंधित एक सार विवरण प्रपत्र-ई 16 तथा प्रपत्र-ई 17 में एक शपथ पत्र भी संलग्न रहेगा। बिना शपथ पत्र के पंजी को स्वीकार नही किया जायेगा।**

(1) निर्वाचन पदाधिकारी समर्पित लेखा की सत्यता के संबंध में जाँच करेगा एवं तत्पश्चात् अपने कार्यालय के सूचना पट पर निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित करेगा -

(क) तिथि, जिस दिन लेखा जमा किया गया है;

(ख) अभ्यर्थी का नाम; और

(ग) समय एवं स्थान, जहाँ ऐसे लेखा का निरीक्षण किया जा सकता है।

जाँच लेखा जमा करने के दस दिनों के अंदर पूरी कर ली जानी चाहिए।

(2) निर्वाचन की तिथि से तीस दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी **प्रपत्र-ई 16** में दिये गये व्यय संबंधी विवरण की सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०) एवं प्राधिकार को देगा।

(3) उस अभ्यर्थी को प्राधिकार द्वारा निर्बंधित डाक के माध्यम से मात्र एक ''कारण बताओ'' नोटिस निर्गत की जायेगी जो विहित अवधि के भीतर व्यय विवरण समर्पित करने में असमर्थ रहता है। निर्बंधित डाक से सूचना

भेजे जाने पर, अगर एक महीने की अवधि के अंतर्गत अनडिलिभर्ड (Undelivered) की कोई सूचना प्राप्त नहीं हो गई हो तो, यह माना जायेगा कि नोटिस का तामिला हो चुका है तथा नोटिस निर्गत होने की तिथि से एक माह बीत जाने पर मामले को निष्पादित कर दिया जायेगा। सूचना की एक प्रति संबंधित पैक्स के सचिव को भी अभ्यर्थी को तामिला कराने हेतु भेजी जायेगी। कारण बताओ नोटिस निम्न प्रपत्र में होगा –

प्रेषित,

....., अभ्यर्थी, ... पैक्स

निर्वाचन पदाधिकारी, ... पैक्स से प्राप्त सूचनानुसार आपने अपने निर्वाचन व्यय का लेखा विहित समय सीमा के अंदर निर्वाचन पदाधिकारी को समर्पित नहीं किया है। फलस्वरूप बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 9 के अधीन प्राधिकार आपको अगले तीन वर्षों तक के लिये चुनाव लड़ने हेतु निरर्हित घोषित करने पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा है। इस नोटिस प्राप्ति के एक महीने के भीतर प्राधिकार को लिखित रूप में आप कारण बतायें कि क्यों नहीं आपको उक्त धारा के अधीन चुनाव लड़ने हेतु निरर्हित घोषित कर दिया जाय। विहित समय के भीतर आपका जवाब नहीं प्राप्त होने पर मामले को एकतरफा निष्पादित कर दिया जायेगा।

राज्य निर्वाचन प्राधिकार

(4) किसी अभ्यर्थी से संबंधित सभी पत्राचार उस पते पर किया जायेगा, जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अंकित है। **अभ्यर्थी अपने पते में किसी परिवर्तन अथवा भविष्य में पत्राचार हेतु सही पते की सूचना निर्वाचन पदाधिकारी को अवश्य देगा।**

(5) निर्वाचन व्यय का लेखा अंग्रेजी/हिन्दी में समर्पित किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)/निर्वाचन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय का लेखा समर्पित करने से संबंधित कानून/परिपत्र/निदेश/प्रपत्र आदि के अवतरण हिन्दी में उपलब्ध करा दिये जायें ताकि वे नियमों/प्रावधानों से भली-भाँति अवगत रहे तथा अपने दिन-प्रतिदिन के व्यय से संबंधित लेखा का संधारण सम्यक् ढंग से कर सके।

(6) दस रुपये की फीस परिदत्त किये जाने पर कोई व्यक्ति ऐसे लेखा का निरीक्षण करने का हकदार होगा एवं प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपये फीस भुगतान करने पर वह उस लेखा या इसके किसी अंश की अभिप्रमाणित प्रति लेने का हकदार होगा। **इस मद में प्राप्त राशि संबंधित पैक्स की निधि में जमा करा दी जायेगी।**

(7) नोटिस का तामिला हो जाने एवं जवाब, अगर दिया गया हो, प्राप्त हो जाने पर प्राधिकार समस्त मामले की विस्तृत विवेचना करेगा एवं प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 9 के अधीन अभ्यर्थी को निर्हरित/ अयोग्य घोषित करने के बिन्दु पर निर्णय लेगा।

(8) प्राधिकार के इन निदेशों के अनुरूप निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का सबूत शीर्ष सहकारी समितियों का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिये एक आवश्यक अर्हता होगी।

(प्राधिकार का पत्रांक 368 दिनांक 18 मई, 2009)

पुनर्मतदान

विशेष परिस्थितियों में मतदान अवधि के दौरान मतदान को अल्पकालिक स्थगन करने या आपात स्थितियों में मतदान को पूर्णरूपेण स्थगित करने की आवश्यकता हो सकती है।

2. पीठासीन पदाधिकारी निम्नांकित परिस्थितियों में मतदान स्थगन का निर्णय ले सकता है:-

(1) प्राकृतिक आपदा, यथा बाढ़, आंधी, तूफान, भारी वर्षा आदि।

(2) आवश्यक मतदान सामग्री यथा मतपेटिका, बैलेट पेपर, मतदाता सूची की चिह्नित प्रति आदि का विनष्ट हो जाना।

(3) मतदान केन्द्र पर शांति भंग होना।

(4) मतदान दल का मतदान केन्द्र पर किसी अपरिहार्य कारणवश न पहुंच पाना।

(5) अन्य आवश्यक कारण।

3. नए सिरे से मतदान कराने की स्थिति इन परिस्थितियों में भी उत्पन्न हो सकती है :-

(1) मतदान केन्द्र में या मतदान केन्द्र के लिए नियत स्थान पर उपयोग में लाई गई कोई मतपेटिका पीठासीन पदाधिकारी/निर्वाचन पदाधिकारी से जबरदस्ती छीन ली जाती है या दुर्घटनावश विनष्ट हो जाती है या खो जाती है या इस हद तक इसे नुकसान पहुंचाया जाता है या उसमें गड़बड़ी कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र के मतदान का परिणाम प्रभावित हो जाए अथवा

(2) मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान में प्रक्रिया संबंधी ऐसी कोई गलती या अनियमितता की जाती है, जिससे यह संभावना बनती है कि मतदान दूषित हो जाए।

4. वैसी परिस्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी समस्त मामले की रिपोर्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०) के माध्यम से राज्य निर्वाचन प्राधिकार को तत्क्षण करेगा तथा राज्य निर्वाचन प्राधिकार सभी तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर, या तो -

(1) उस मतदान केन्द्र या स्थान में उस मतदान को शून्य घोषित करेगा, उस मतदान केन्द्र या स्थान में नए मतदान के लिए दिन और समय नियत करेगा और ऐसे नियत दिन और नियत समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसा वह ठीक समझे, अथवा

(2) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान में नए मतदान के परिणाम से निर्वाचन परिणाम किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होगा या मतदान मशीन की यांत्रिक विफलता या प्रक्रिया संबंधी गलती या अनियमितता तात्विक नहीं है, तो निर्वाचन पदाधिकारी को उस निर्वाचन के आगे संचालन और पूरा किए जाने के लिए ऐसे निदेश देगा जैसा वह उचित समझे।

5. **मतदान केन्द्रों/मतगणना स्थल पर बलात् कब्जा के कारण मतदान का स्थगित या निर्वाचन का प्रत्यादिष्ट किया जाना:-**

(1) किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान के लिए नियत स्थान पर बलात् कब्जा ऐसी रीति से किया गया है जिससे ऐसे मतदान केन्द्र या स्थान में मतगणना का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है अथवा किसी मतगणना स्थल पर मतपेटिका का बलात् कब्जा ऐसी रीति से किया जाता है कि उस स्थान पर मतगणना का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है तो निर्वाचन पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)के माध्यम से उस मामले का प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन प्राधिकार को तत्क्षण करेगा।

(2) राज्य निर्वाचन प्राधिकार निर्वाचन पदाधिकारी से उपर्युक्त बिन्दुओं के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर और सभी तात्विक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर या तो -

(क) उस मतदान केन्द्र या स्थान में उस मतदान को, शून्य घोषित करेगा, उस मतदान केन्द्र या स्थान में नए सिरे से मतदान के लिए दिन और समय नियत करेगा और ऐसे नियत दिन और समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा, जैसा वह ठीक समझे; अथवा

(ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अधिक संख्या में मतदान केन्द्रों या स्थानों के बलात् कब्जा को देखते हुए, निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव पड़ने की संभाव्यता है या यह कि मतदान केन्द्रों को बलात् कब्जा का मतों की गणना पर ऐसी रीति से प्रभाव पड़ा है जिससे निर्वाचन का परिणाम प्रभावित होगा, तो वह उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करेगा।

6. मतदान स्थगन की सूचना, मतपेटिका के विनष्ट होने आदि के दिशा में नया मतदान कराने हेतु सूचना तथा मतदान केन्द्रों के बलात् कब्जा के कारण मतदान के स्थगन या निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट किए जाने के संबंध में सूचना अविलम्ब उचित माध्यम से प्राधिकार को दी जाएगी।

7. **मतदान केन्द्रों पर कब्जा किए जाने की दशा में मतपेटिका का बंद किया जाना**- जहां पीठासीन पदाधिकारी की राय है कि किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान के लिए नियत किसी स्थान पर बूथ पर कब्जा किया जा रहा है वहां वह आगे मतदान तुरंत बंद कर देगा।

8. पीठासीन पदाधिकारी से मतदान स्थगित होने की सूचना प्राप्त होते ही निर्वाचन पदाधिकारी अविलम्ब जिला पदाधिकारी के माध्यम से राज्य निर्वाचन प्राधिकार को वस्तुस्थिति से अवगत करायेगा। मतदान के स्थगन तथा उस पर पुनर्मतदान करने के बारे में प्राधिकार को भेजे गए प्रतिवेदन में कथित घटना, जिसके कारण मतदान को स्थगित करना पड़ा, किस समय हुई और उस समय तक मतदान का प्रतिशत क्या था, संबंधित तथ्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख रहना चाहिए।

9. मतदान केन्द्रों पर मतदान दल को गलत मतदाता सूची आपूर्त्ति किये जाने के आधार पर भी पुनर्मतदान कराने की नौबत आ सकती है। यह अत्यन्त गंभीर चूक होगी तथा मतदान सामग्रियों के वितरण से संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक होगी। संबंधित **निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण दायित्व बनता है कि मतदान दलों को सही आवश्यक कागजात उपलब्ध कराया जाये जाकि मतदान हेतु आवश्यक सामग्रियों के अभाव में मतदान नहीं होने के कारण संबंधित मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान की स्थिति उत्पन्न होने की नौबत नहीं आये।** कृपया निर्वाचन पदाधिकारियों को चेतावनी दे दें कि मतदान सामग्रियों, विशेषतक मतदाता सूची, मतपत्र आदि का वितरण अत्यन्त सावधानी से करें तथा सुनिश्चित करें कि मतदान दलों को वही सामग्री दी जा रही है जो उनसे संबंधित मतदान केन्द्र के लिए विहित है।

10. मतदान में गड़बड़ी की सूचना प्राप्त होने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी राज्य निर्वाचन प्राधिकार को प्रतिवेदन भेजेंगे। इसके अतिरिक्त मतदान के पश्चात् मतपेटिका प्राप्त होते ही सभी मतदान केन्द्रों की पीठासीन पदाधिकारी की डायरी निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पढ़ी जायेगी। यदि डायरी में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित रहती है तो इसके आधार पर भी भी प्रतिवेदन तैयार कर इसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजा जायेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे अपनी अनुशंसा के साथ संलग्न उक्त प्रतिवेदन मतदान के अगले दिन 12 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राधिकार को फैक्स/ ई-मेल द्वारा भेजना सुनिश्चित करेंगे। फैक्स/ ई-मेल के अतिरिक्त दूरभाष पर भी सूचना दी जा सकती है। यदि किसी निर्वाचन पदाधिकारी से जिला निर्वाचन पदाधिकारी को समय पर सूचना प्राप्त नहीं होती है तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा 5 बजे अपराह्न तक प्राधिकार को अन्तिम प्रतिवेदन भेजा जा सकता है।

11. **पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर नजर रखने हेतु प्राधिकार द्वारा आवश्यकतानुसार प्रत्येक जिले में प्रेक्षक की नियुक्ति की जायेगी। प्रेक्षकों से मतदान रोक देने अथवा रद्द कर देने से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर भी पुनर्मतदान कराया जा सकता है।**

12. **मतदान में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर प्राधिकार स्वयं भी अपने स्तर से जाँच करा सकता है एवं आवश्यकता महसूस होने पर पूरे मतदान को रद्द कर नये सिरे से निर्वाचन कराने का आदेश दे सकता है।**

13. जहाँ तक स्थगित मतदान को रद्द कर पुनः नये सिरे से मतदान कराने की तिथि नियत करने का प्रश्न है, इसके बारे में स्थिति का जायजा लेने के पश्चात प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा और उसकी जानकारी यथा समय निर्वाचन पदाधिकारियों को दे दी जायेगी। स्थगित मतदान को पुनः सम्पन्न कराने की कार्रवाई शीघ्रातिशीघ्र की जायेगी। तिथि तय करने के पूर्व यह देख लिया जायेगा कि कितने मतदान केन्द्रों में मतदान कराना है और मतपत्रों की छपाई तथा उसे संबंधित मतदान केन्द्र तक पहुँचाने के लिए कितना समय लगेगा। पर यह निश्चित है कि स्थगित मतदान को पुनः नये सिरे से कराने का कार्यक्रम इस प्रकार से बनाया जायेगा ताकि मतों की गणना की तिथि तक या उसके पूर्व मतदान एवं मतपेटिका जमा होने की सभी प्रक्रिया समाप्त हो जाय।

(प्राधिकार का पत्रांक 364 दिनांक 18 मई, 2009)

मतगणना केन्द्र एवं वज्रगृह की स्थापना

प्रत्येक प्रखंड में पैक्सों के निर्वाचन के लिये मतदान समाप्ति के बाद मतदत्त मतपेटिकाओं (Polled Ballot Boxes) को सुरक्षित रखने एवं मतों की गणना करने हेतु वज्रगृह-सह-मतगणना केन्द्र स्थापित किया जायेगा। वज्रगृह मतगणना केन्द्र के निकट ही स्थापित किया जायेगा ताकि मतपेटिकाओं को वज्रगृह से निकालकर संबंधित गणना टेबुलों पर पहुँचाने में कम-से-कम समय लगे तथा मतपेटियों को किसी तरह की क्षति पहुँचने की संभावना नहीं रहे।

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) के नियंत्रण के अधीन निर्वाचन पदाधिकारी वज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र हेतु संबंधित प्रखंड मुख्यालय अवस्थित सुविधाजनक सरकारी भवन यथा उच्च विद्यालय भवन या अन्य उपयुक्त पक्के भवनों में वज्रगृह तथा मतगणना केन्द्र की स्थापना कर सकते हैं। ऐसा उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं रहने पर या विधि-व्यवस्था की विशिष्ट परिस्थितियों एवं प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल मुख्यालय अथवा जिला मुख्यालय स्तर पर भी मतगणना केन्द्र/ वज्रगृह बनाये जाने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि जिला पदाधिकारी स्वयं संतुष्ट हो कि ऐसी व्यवस्था अभ्यर्थियों के लिये सुविधाजनक होगी।

अगर अनुमंडल/जिला मुख्यालय पर एक से अधिक प्रखंडों के लिये वज्रगृह तथा मतगणना केन्द्र की व्यवस्था की गई है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि वज्रगृहों की संख्या कम-से-कम हो। आवश्यकतानुसार एक ही वज्रगृह के अंदर उपलब्ध स्थान (Space) का इस प्रकार विभाजन किया जाय कि प्रखंडवार एवं पैक्सवार मतपेटी आदि अलग-अलग हिस्सों में व्यवस्थित ढंग से रखी रहे तथा वज्रगृह से मतगणना हॉल तक मतपेटी आदि ले जाने में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होने पाये।

मतगणना केन्द्र एवं वज्रगृह की स्थापना जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

(प्राधिकार का पत्रांक 571 दिनांक 12 जून, 2009)

निर्वाचन पदाधिकारी के महत्वपूर्ण कर्त्तव्य

किसी भी सहकारी समिति के निर्वाचन संचालन में सर्वाधिक उत्तरदायित्व निर्वाचन पदाधिकारी का है। उनके महत्वपूर्ण कार्य निम्नवत हैं –

(1) प्राधिकार द्वारा निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुरूप विस्तृत व्यवस्था हेतु कार्यक्रम एवं योजना बनाना।

(2) अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिये जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०) से समन्वय स्थापित कर पर्याप्त संख्या में मतपेटिकाओं एवं अन्य निर्वाचन सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(3) नामांकन पत्रों की प्राप्ति के क्रम में सम्पूर्ण तैयारी रखना।

(4) अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के रूप में विभिन्न सूचनाओं के प्रकाशन की व्यवस्था करना।

(5) नामांकन पत्रों की संवीक्षा करना तथा अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि के उपरांत प्राधिकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रतीक आवंटन करना।

(6) लिपिकीय त्रुटियों अथवा असारभूत आक्षेपों के आधार पर किसी अभ्यर्थी का नामांकन अस्वीकृत नहीं करना।

(7) अभ्यर्थिता वापसी की सूचना देने वाले व्यक्ति के संबंध में आश्वस्त हो लेना कि वह स्वयं अभ्यर्थी ही है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं।

(8) सम्यक रूप से नाम निर्देशित एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करना।

(9) निर्वाचन कर्त्तव्य एवं मतपेटिकाओं के संचालन पर सभी कर्मियों को प्रशिक्षित करना।

(10) प्रेक्षक को उनके कर्त्तव्यों के निष्पादन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

(11) निर्वाचन कार्य का सम्पूर्ण पर्यवेक्षण।

(12) संपत्ति का विरूपण करने वाले व्यक्तियों पर तुरंत कार्रवाई करना।

(13) आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों को गंभीरता से लेते हुए उल्लंघनकारियों पर त्वरित कार्रवाई करना।

(14) अभ्यर्थियों द्वारा किये जा रहे निर्वाचन व्यय पर गहरी नजर रखना।

(15) चुनाव के दिन मतदान का पर्यवेक्षण करना एवं पीठासीन पदाधिकारी से प्राप्त मतपेटिकाओं/अन्य निर्वाचन कागजातों को बज्रगृह में सुरक्षित रखवाना।

(16) मतगणना कराना।

(17) परिणाम की घोषणा करना।

(18) परिणाम की घोषणा के उपरांत सभी मतपेटिका, निर्वाचन कागजात एवं निर्वाचन सामग्री को जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०) के आदेश के अधीन सुरक्षित रखवाना।

निर्वाचन पदाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)/नोडल पदाधिकारी/ प्रेक्षक से गहरे संपर्क एवं समन्वय के साथ कार्य करना होगा ताकि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिये उपयुक्त व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं हो।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाएँ

निर्वाचन के संचालन हेतु कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०) द्वारा की जायेंगी –

(1) मतदान केन्द्रों की स्थापना।

(2) मतदान दलों का गठन एवं प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारियों की नियुक्ति।

(3) मतदान कर्मियों(रिजर्व सहित) के लिये गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था।

(4) जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदान के लिये सशस्त्र बल की व्यवस्था कराना।

(5) आवश्यक निर्वाचन सामग्रियों की व्यवस्था करना, जिसके संबंध में अलग से निर्देश जारी किये जायेंगे।

(6) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय से संबंधित लेखा की ससमय जाँच सुनिश्चित करवाना एवं प्राधिकार को प्रतिवेदन देना।

(7) निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात विहित समयावधि तक मतपेटिकायों, निर्वाचन कागजात एवं निर्वाचन सामग्री की सुरक्षित अभिरक्षा।

(8) बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 के अधीन उल्लिखित निर्वाचन अपराधों के निवारण हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।

प्रेक्षक

सहकारी समितियों के निर्वाचन के लिए आवश्यकतानुसार बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली के नियम-9 द्वारा प्रदत्त प्राप्त शक्तियों के अधीन प्राधिकार प्रेक्षकों की नियुक्ति करेगा। इस संबंध में विस्तृत अनुदेश यथासमय निर्गत किये जायेंगे।

निर्विरोध/ सविरोध निर्वाचित सदस्यों के संबंध में सूचना

विभिन्न सहकारी समितियों के अध्यक्ष सहित प्रबंध समिति के निर्विरोध/ सविरोध निर्वाचित सदस्यों की सूची प्रपत्र-ई 18 में निर्वाचन परिणाम घोषित किये जाने की तिथि को ही प्राधिकार को फैक्स अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी। प्रपत्र सिर्फ Ms-Excel में तैयार किया जायेगा। प्रपत्र में संख्याओं का उल्लेख केवल अंग्रेजी के अंकों में किया जायेगा तथा तिथि का उल्लेख DD/MM/YYYY के Format में किया जायेगा।

मानक प्रपत्र

निर्वाचन से संबंधित मानक प्रपत्र निम्नलिखित है, जो **परिशिष्ट-1** में द्रष्टव्य है :-

(i) प्रपत्र-एम 1 : (व्यक्तिगत सदस्यों की मतदाता सूची)
(ii) प्रपत्र-एम 2 : (मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना का प्रारूप)
(iii) प्रपत्र-एम 3 : (मतदाता सूची से नाम हटाने अथवा जोड़ने के संबंध मे आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र)
(iv) प्रपत्र-एम 4 : (मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र)
(v) प्रपत्र-एम 5 : (अंतिम प्रकाशन के लिए अनुपूरक मतदाता सूची का नमूना)
(vi) प्रपत्र-एम 6 : (मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना का प्रारूप)
(vii) प्रपत्र-एम 7 : (मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा तैयार कर जिला सहकारिता पदाधिकारी को भेजे जाने वाले एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा समेकित रूप से प्राधिकार को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन का प्रपत्र)
(viii) प्रपत्र-एम 8 : (अद्यतनीकरण प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नामों को जोड़ने/ विलोपित करने/ शुद्ध करने के संबंध में आपत्तियाँ देने हेतु सूचना)
(ix) प्रपत्र-ई 1 : (निर्वाचन की सूचना का प्रपत्र)
(x) प्रपत्र-ई 2 : (नामांकन पत्र)
प्रपत्र-क : (शपथ पत्र एवं प्रपत्र-क का एनेक्सचर)
प्रपत्र-ख : (अभ्यर्थी का बायोडाटा)
प्रपत्र-ग : (मतदाता होने की घोषणा)
प्रपत्र-घ : (नामांकन पत्र की समीक्षा हेतु चेक लिस्ट)
(xi) प्रपत्र-ई 3 : (दाखिल नामांकन पत्रों की विवरणी)
(xii) प्रपत्र-ई 4 : (अभ्यर्थिता वापसी की सूचना)
(xiii) प्रपत्र-ई 5 : (अभ्यर्थिता वापस लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची)
(xiv) प्रपत्र-ई 6 : (विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची)
(xv) प्रपत्र-ई 7 : (अभ्यर्थियों का नाम समान [Identical] रहने पर पहचान हेतु सूचना)
(xvi) प्रपत्र-ई 8 : (प्रतीक आवंटन की सूचना)
(xvii) प्रपत्र-ई 9 : (निर्वाचन प्रमाण पत्र)
(xviii) प्रपत्र-ई 10 : (निर्वाचन अभिकर्त्ता/ मतदान अभिकर्त्ता/ मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति)
(xix) प्रपत्र-ई 11 : (अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्त्ता पहचान पत्र)
(xx) प्रपत्र-ई 12 : (निर्वाचन व्यय के संबंध में प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जाने वाली सूचना का प्रपत्र)
(xxi) प्रपत्र-ई 13 : (निर्वाचन व्यय का लेखा हेतु पंजी)
(xxii) प्रपत्र-ई 14 : (अभ्यर्थी द्वारा दी जाने वाली पावती का प्रपत्र)
(xxiii) प्रपत्र-ई 15 : (निर्वाचन व्यय के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जाने वाली पावती का प्रपत्र)
(xxiv) प्रपत्र-ई 16 : (निर्वाचन व्यय से संबंधित सार विवरण)
(xxv) प्रपत्र-ई 17 : (निर्वाचन व्यय के संबंध में शपथ पत्र का प्रपत्र)
(xxvi) प्रपत्र-ई 18 : (विभिन्न सहकारी/ स्वावलम्बी सहकारी समितियों के निर्विरोध/ सविरोध निर्वाचित सदस्यों की सूची।

परिशिष्ट–1

प्रपत्र-एम 1

व्यक्तिगत सदस्यों की मतदाता सूची

(..... की कट-ऑफ तिथि के आधार पर)

जिला का नाम : ..... प्रखंड का नाम :.....

समिति का नाम : .....

क्रमांक	सदस्य का नाम	पिता का नाम	पता	अयोग्यता, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र-एम 2

मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना का प्रारूप

सेवा में,

.....,

(समिति का नाम)

प्रखंड .....,

पंजीयन संख्या.....के सदस्यगण।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 एवं बिहार राज्य सहकारिता (संशोधन) नियमावली, 2008 के सुसंगत प्रावधानों तथा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुसार ..... समिति के निर्वाचन के निमित्त मतदाता सूची तैयार हो गयी है और उसकी एक प्रति कार्यालय अवधि के दौरान मेरे कार्यालय में और उपर्युक्त समिति के कार्यालय तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी, ... के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। प्रारूप मतदाता सूची दिनांक ..... से ..... तक विहित स्थलों पर प्रकाशित रहेगी।

निर्वाचक नामावली के तैयार किये जाने की कट-ऑफ-तिथि ..... है।

यदि उपरोक्त कट-ऑफ-तिथि के संदर्भ में नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किया जाने के लिए कोई दावा या किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के लिए कोई आक्षेप किया जाता है या किसी प्रविष्टि की विशिष्टियों की बाबत कोई आक्षेप हो तो वह दिनांक ..... से ..... (कार्यालय अवधि) के बीच निर्धारित प्रपत्रों में दाखिल किया जाय।

हर ऐसा दावा/ आक्षेप या तो मेरे कार्यालय में या ..... (पदनाम) के समक्ष पेश किया जाय या नीचे दिये गये पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाय कि वह मुझे उपरोक्त तारीख तक मिल जाय। आपत्ति दाखिल करने के लिए निर्धारत प्रपत्रों **(प्रपत्र-एम3 एवं प्रपत्र-एम4)** का नमूना मेरे कार्यालय में उपलब्ध है।

प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक ..... को किया जायेगा।

दिनांक

निर्वाचन पदाधिकारी

पता .....

ज्ञापांक : .....

दिनांक .....

प्रतिलिपि: सचिव, ... समिति को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे संलग्न मतदाता सूची (प्रपत्र-एम1) को समिति के कार्यालय के सूचना पट पर इस मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना के साथ प्रकाशित करें।

2. यदि समिति कार्यालय निजी भवन में संचालित है तो इसे ..... में (पंचायत के अंदर एक सार्वजनिक स्थान पर, जो निजी भवन में नहीं हो) में प्रकाशन की व्यवस्था करें। इसके लिए सूचना एवं मतदाता सूची की एक अतिरिक्त प्रति संलग्न है। (अगर लागू न हों, इसे काट दें)

2. कृपया मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना अपने स्तर से उपरोक्त समिति के सभी सदस्यों को दे दें।

निर्वाचन पदाधिकारी

पता .....

प्रपत्र-एम 3

मतदाता सूची से नाम हटाने अथवा जोड़ने के संबंध मे आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र

सेवा में,

निर्वाचन पदाधिकारी,

....., ... प्रखंड .....

(समिति का नाम)

महोदय,

मैं ..... उपर्युक्त समिति के निर्वाचन के लिए प्रकाशित की गई प्रारूप मतदाता सूची के क्रमांक..... पर श्री/ श्रीमती/ कुमारी..... का नाम सम्मिलित किये जाने पर निम्न कारण (कारणों) से आपत्ति दर्ज करता/करती हूँ :

(i) .....

(ii) .....

अथवा

मैं श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... पिता/पति का नाम ..... पता ..... आवेदन दर्ज करता/ करती हूँ कि मेरा नाम उपरोक्त समिति की मतदाता सूची में निम्नलिखित कारणों एवं साक्ष्य के आधार पर जोड़ दिया जाय।

कारण ..... (यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ का भी उपयोग किया जा सकता है।)

निम्नलिखित साक्ष्य इसके साथ संलग्न है।

(i) सदस्यता शुल्क का प्रमाण-पत्र / शेयर प्रमाण-पत्र की प्रति *

(ii) .....

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि परिवर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। उक्त समिति के लिए प्रकाशित मतदाता सूची में मेरा नाम निम्नलिखित रूप से सम्मिलित है -

पूरा नाम.....; पिता का नाम .....; मतदाता सूची का क्रमांक.....**

स्थान :

तारीख : आपत्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

*व्यक्तिगत सदस्य को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन में एक अभिलेख संलग्न करना आवश्यक होगा।

** मतदाता सूची से नाम विलोपित किए जाने के लिए आवश्यक।

की गई कार्रवाई की सूचना

1. श्री/श्रीमती/कुमारी....., जो .....का/की निवासी हैं द्वारा दी गई आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है और ..... समिति की मतदाता सूची के क्रमांक.....पर उल्लिखित श्री/श्रीमती/कुमारी..... का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है/ क्रमांक.....पर उनका नाम जोड़ दिया गया है।
2. निम्नलिखित कारणों से नामंजूर कर दिया गया है-

.....

स्थान : निर्वाचन पदाधिकारी,

तारीख : ..... समिति

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी..... पता..... जो ..... समिति के सदस्य हैं, से आपत्ति विहित प्रपत्र में दिनांक .....को प्राप्त हुई है। आवेदन की रसीद का क्रमांक ..... है।

स्थान : आपत्ति प्राप्त करने वाले

तारीख : पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-एम 4

मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र

सेवा में,

निर्वाचन पदाधिकारी,

..... समिति

..... प्रखंड

महोदय,

मैं ..... निवेदन करता/करती हूँ कि मुझसे सम्बद्ध प्रविष्टि, जो समिति ....., ...प्रखंड के प्रारूप मतदाता सूची में क्रम संख्या..... पर .....के रूप में दी गई है, शुद्ध नहीं है। उसे कृपया निम्नलिखित रूप में शुद्ध कर दिया जाय।

स्थान :

तारीख : आपत्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

की गई कार्रवाई की सूचना

श्री/श्रीमती/कुमारी....., जो .....का/की निवासी हैं, द्वारा दी गई आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है तथा संबंधित प्रविष्टि को निम्न रूप में सुधार दिया गया है :

.....

स्थान : निर्वाचन पदाधिकारी,

तारीख : ..... समिति

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पता.....
जो ..... समिति के सदस्य हैं, से आपत्ति विहित प्रपत्र में दिनांक .....को प्राप्त हुई है। आवेदन की रसीद का क्रमांक ..... है।

स्थान : आपत्ति प्राप्त करने वाले

तारीख : पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-एम 5

अंतिम प्रकाशन के लिए अनुपूरक मतदाता सूची का नमूना

जिला : ..... प्रखंड .....

समिति का नाम : .....

1. **प्रविष्टि जो हटाई गई**

मतदाता की क्रम संख्या	मतदाता का नाम

2. **वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि**

मतदाता की क्रम संख्या	वर्तमान प्रविष्टि			शुद्ध की गई प्रविष्टि		
	मतदाता का नाम	पिता का नाम	पता	मतदाता का नाम	पिता का नाम	पता

3. **प्रविष्टि जो जोड़ी गई**

सदस्य का नाम	पिता का नाम	पता	अयोग्यता, यदि कोई हो	मतदाता सूची में दिया गया क्रमांक

प्रपत्र-एम 6

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना का प्रारूप

सेवा में,

..... के सदस्यगण।
(समिति का नाम)

..... समिति के सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि उक्त समिति के निर्वाचन सूची के प्रारूप में किये गये संशोधनों की सूची कट-ऑफ-तिथि ..... को आधार मानकर तैयार की गई है और उक्त नामावली की एक प्रति संशोधनों की उक्त सूची सहित प्रकाशित कर दी गई है और मेरे कार्यालय में तथा संबंधित समिति के कार्यालय एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

2. संलग्न मतदाता सूची की एक प्रति समिति के सचिव को प्रेषित की जा रही है।

दिनांक : निर्वाचन पदाधिकारी,

स्थान : ..... समिति

ज्ञापांक : ..... दिनांक .....

प्रतिलिपि: अध्यक्ष/ सचिव, ... समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उन्हें निदेशित किया जाता है कि संबंधित समिति के सभी सदस्यों को अपने स्तर से मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना दें।

दिनांक : निर्वाचन पदाधिकारी,

स्थान : ..... समिति

प्रपत्र-एम 7

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा तैयार कर जिला सहकारिता पदाधिकारी को भेजे जाने वाले एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा समेकित रूप से प्राधिकार को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन का प्रपत्र

जिला का नाम : .....

क्रमांक	प्रखंड का नाम	समिति का नाम एवं पता	मतदाताओं की संख्या	पंचायत/नगर पंचायत/ नगर परिषद्/ नगर निगम का नाम	प्रखंड मुख्यालय से समिति कार्यालय की अनुमानतः दूरी

(हस्ताक्षर)
प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, ...

(हस्ताक्षर)
निर्वाचन पदाधिकारी, ...

नोट :- जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा इसी प्रपत्र में सभी प्रखंडों से प्राप्त प्रतिवेदन को समेकित कर प्राधिकार को भेजा जायेगा।

प्रपत्र-एम 8

अद्यतनीकरण प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नामों को जोड़ने/ विलोपित करने/ शुद्ध करने के संबंध में आपत्तियाँ देने हेतु सूचना

जिला : ..... प्रखंड : ..... समिति : .....

1. **प्राप्त आवेदन/ निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा स्वतः विलोपित प्रविष्टियाँ**

मतदाता की क्रम संख्या	मतदाता का नाम	पिता का नाम

2. **वर्तमान प्रविष्टियों की शुद्धि हेतु प्राप्त आवेदन या निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा स्वतः शुद्ध की गई प्रविष्टियाँ**

मतदाता की क्रम संख्या	वर्तमान प्रविष्टि			शुद्ध की गई प्रविष्टि		
	मतदाता का नाम	पिता का नाम	पता	मतदाता का नाम	पिता का नाम	पता

3. **मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु प्राप्त आवेदन**

सदस्य का नाम	पिता का नाम	पता	अयोग्यता, यदि कोई हो	मतदाता सूची में दिया गया क्रमांक

संबंधित समिति के सदस्य इस सूचना के संबंध में आपत्ति दायर कर सकते हैं। आपत्ति देने हेतु आपत्तिकर्त्ता को मतदाता सूची में दर्ज अपना नाम एवं क्रमांक का उल्लेख करना आवश्यक होगा। आपत्ति देने की अंतिम तिथि इस सूचना के प्रकाशन से 3 (तीन) दिनों की होगी।

तिथि :

स्थान : निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-ई 1

सूचना का प्रपत्र

जिला ....., प्रखंड ..... के अन्तर्गत ..... (समिति का नाम) के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक .....को किया जाना है,

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या ..... है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.

(ii) अध्यक्ष/ सचिव के पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं पद सम्बन्धित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे।

(iii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की
(स्थान का नाम)
स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र
(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)
दिनांक ..... 11 बजे पूर्वाह् से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि)

(iv) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तक .....बजे से ..... बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(v) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।
(स्थान का नाम)

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न ..... बजे के पूर्व तक ..... पर
(स्थान का नाम)
दाखिल की जा सकती है।

*(vii) प्रपत्र-ई 6 तथा प्रपत्र-ई 7 जारी किये जाने के पश्चात् विधिमान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जायेगा ।

(Viii) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक ..... को 07 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक होगा।

(ix) मतगणना दिनांक ..... को ..... बजे से ..... पर की जायेगी।
(स्थान का नाम)

स्थान :

तिथि : निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

*** जो लागू न हों, उसे काट दें।**

प्रपत्र-ई 2

नामांकन पत्र

(प्रत्येक वर्ग से पदवार अलग-अलग)

1.	पद का नाम, जिस पर निर्वाचित होना चाहते हों।	
2.	समिति का पूरा निर्बंधित नाम, जिससे पद संबंधित है।	
3.	**अभ्यर्थी का**	
	(i) मतदाता सूची में क्रमांक	
	(ii) पूरा नाम (जैसा कि मतदाता सूची में है)	
	(iii) क्या वह किसी संबद्ध सोसाईटी/निकाय या प्राधिकारी का प्रतिनिधि है, यदि हाँ तो उस सोसाईटी/निकाय या प्राधिकारी का नाम	
4.	(i) पिता का नाम (पुरुष एवं अविवाहित स्त्री अभ्यर्थी की स्थिति में)।	
	(ii) पति का नाम (विवाहित स्त्री अभ्यर्थी की स्थिति में)।	
5.	**प्रस्तावक का**	
	(i) मतदाता सूची में क्रमांक	
	(ii) पूरा नाम (जैसा कि मतदाता सूची में है)	
	(iii) क्या वह किसी संबद्ध सोसाईटी/ निकाय या प्राधिकारी का प्रतिनिधि है, यदि हाँ तो उस सोसाईटी/ निकाय या प्राधिकारी का नाम	
	(iv) हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान	
6.	**समर्थक का**	
	(i) मतदाता सूची में क्रमांक	
	(ii) पूरा नाम (जैसा कि मतदाता सूची में है)	
	(iii) क्या वह किसी संबद्ध सोसाईटी/ निकाय या प्राधिकारी का प्रतिनिधि है, यदि हाँ तो उस सोसाईटी/ निकाय या प्राधिकारी का नाम	
	(iv) हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान	

अभ्यर्थी की घोषणा

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मैं निर्वाचन लड़ने के लिए इच्छुक हूँ और मैं बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 तथा बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के अनुसार उपर्युक्त पद के लिए, जिसका मैं अभ्यर्थी हूँ, निर्वाचन लड़ने के योग्य हूँ।

तिथि : अभ्यर्थी का हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान

(निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

क्रमांक : .....

यह नामांकन पत्र मुझे मेरे कार्यालय (स्थान का नाम) ..... में दिनांक ..... को .....बजे पूर्वाह्न/ अपराह्न में अभ्यर्थी द्वारा दिया गया।

तिथि : निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी

स्थान : का हस्ताक्षर

संवीक्षा का प्रमाण-पत्र

मैंने अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक की अर्हता का परीक्षण कर लिया है और मैं पाता हूँ कि वे क्रमशः निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने तथा उसे प्रस्तावित एवं समर्थन करने योग्य हैं।

स्थान :

तिथि : **निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर**

---------- छिद्रण ----------

नामांकन पत्र की प्राप्ति रसीद और संवीक्षा की सूचना
(नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिये)

नामांकन पत्र का अनुक्रमांक : .....

श्री/सुश्री/श्रीमती ....., जो ..... (समिति का नाम) के प्रबंध समिति के ..... पद के निर्वाचन के लिये एक अभ्यर्थी है, का नामांकन पत्र मुझे दिनांक ..... को ..... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में अभ्यर्थी द्वारा परिदत्त किया गया। इस नामांकन पत्र की संवीक्षा दिनांक ..... को ..... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न ..... में की जायेगी।

(स्थान का नाम)

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

कृपया ध्यान दें तथा नामांकन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात अवश्य संलग्न करें

(i) नामांकन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र-ग में मतदाता होने की घोषणा ।

(ii) मतदाता सूची में अभ्यर्थी के नाम की प्रविष्टि की सत्यापित प्रति।

(iii) विहित **प्रपत्र-क एवं एनेक्सचर में** किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि अथवा किसी न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों, परिसम्पतियों, शैक्षणिक योग्यता आदि एवं संगत सहकारिता अधिनियम/नियमावली में उल्लिखित अयोग्यता के अधीन नहीं होने के संबंध में **सशपथ** विवरण।

(iv) आरक्षित पदों के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-II) / अति पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-I) का जाति प्रमाण पत्र।

(v) *(क) प्रोफेशनल डायरेक्टरों के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

*(ख) कम-से-कम पाँच साल के कार्य अनुभव को प्रदर्शित करता कर्मी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति या

*(ग) स्व-नियोजित प्रोफेशनल के मामले में इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स, आईसीडब्ल्यूए, बार एसोसिएशन जैसे प्रोफेशनल निकायों की चालू सदस्यता एवं इनरौलमेन्ट संबंधी सबूत या ऐसे अन्य समरूप सबूत से संबंधित अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परिपत्र की भावना के अनुरूप सत्य हों।

(vi) **''प्रपत्र-ख''** में बायोडाटा से संबंधित सूचनाएँ।

(vii) नामांकन भरने वाले अभ्यर्थियों से नामांकन शुल्क के रूप में निर्धारित नामांकन शुल्क की रसीद।

*** सिर्फ सहकारी बैंक के निर्वाचन में लागू।**

प्रपत्र-क

(शपथ-पत्र एवं एनेक्सर जो नामांकन पत्र के साथ दिया जायेगा)

शपथ-पत्र

मैं, ... पिता/पति .....
उम्र ..... वर्ष, मोहल्ला ..... पोस्ट .....
थाना ..... जिला ....., बिहार का निवासी हूँ तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ :–

कि मैं अपना नामांकन पत्र ..... (समिति का नाम) के ..... पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/ रही हूँ;

कि मैं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित) की धारा 44 खच(3) के उपबन्धों से पूर्णत: अवगत हूँ;

कि मैं बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 23(1) तथा 23(2) के अधीन निदेशक समिति के किसी पद के लिए निर्वाचन हेतु अनर्हित नहीं हूँ;

कि मैं ..... (समिति का नाम) की उपविधियों के प्रावधानों के अधीन प्रबन्ध समिति के किसी पद के लिए निर्वाचन हेतु अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न एनेक्सर में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य हैं।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर ..... **अभ्यर्थी का हस्ताक्षर**

   पता .....

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर .....

   पता .....

स्थान :

दिनांक :

जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट :–कार्यपालक दण्डाधिकारी/ नोटरी पब्लिक/ ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ लिया जायेगा।

प्रपत्र-क का एनेक्सचर

..... जिला के ..... (समिति का नाम) के अध्यक्ष/ प्रबन्ध समिति के सदस्य पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम : ..... पिता/पति का नाम : .....

1.	(क) क्या आप किसी न्यायालय द्वारा कभी दंडित किये गये हैं	
	यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें :-	
	(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये	
	(ii) दंडित किये जाने की तिथि	
	(iii) किये गये अपराध की प्रकृति- (अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)	
	(iv) दिया गया दण्ड	
	(v) कराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो	
	(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि	
1.	(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरूद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं ?	
	(i) अपील संख्या/पुर्नविचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण-	
	(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुर्नविचार आवेदरन पत्र दायर किया गया	
	(iii) क्या दायर अपील/पुर्नविचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लम्बित है	
	(iv) यदि निष्पादित है, तो	
	(क) निष्पादन की तिथि-	
	(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण-	
	(v) क्या अपील/पुर्नविचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया	
	(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि-	
2.	क्या आप किसी न्यायालय द्वारा कभी दंडित किये गये हैं?	
	क्या आपके विरूद्ध किसी मामले में संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें	
	(i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/संज्ञान लिया गया है	
	(ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है	
	(iii) अपराध संख्या	
	(iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक	
	(v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरूद्ध अपील(अपीलों)/ पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण	

2.	क(i) क्या बिहार सहकारी समिति नियमावली, 1959 की निम्नलिखित अयोग्यताओं के अधीन है :– 23(1) (क) वह सोसायटी का सदस्य न हो, अथवा (ख) वह नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण के संबंध में उप विधियों में यथाविहित अवधि के लिए या किसी भी हालत में तीन माह से अधिक की अवधि के लिए सोसायटी का व्यतिक्रमी हो या किसी अन्य बकाये के संबंध में सोसायटी का व्यतिक्रमी भी हो या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसायटी का व्यतिक्रमी हो, अथवा (ग) उसे सोसायटी में किये गये किसी निवेश अथवा उससे लिये गये किसी ऋण को छोड़कर सोसायटी के साथ किये गये किसी अस्तित्वयुक्त संविदा में या सोसायटी द्वारा बेची गयी या खरीदी गयी किसी सम्पति में अथवा सोसायटी में किसी संव्यवहार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हित हो, अथवा (घ) उसके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी से संबंधित अधिभार की कोई कार्यवाही लंबित हो, अथवा (ङ) उसके विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत सोसायटी, जिसकी प्रबंध समिति में निर्वाचित होने के लिए वह उम्मीदवार हो, के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई जांच-पड़ताल लंबित हो, अथवा (च) उसके विरूद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई दांडिक कार्यवाही लंबित हो, जिसमें संज्ञान ले लिया गया है। 23(2) (क) संबद्ध सोसाईटी/ व्यक्ति सदस्य नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण के संबंध में उप विधियों में यथाविहित अवधि के लिए या किसी भी हालत में तीन माह से अधिक की अवधि के लिए सोसायटी का व्यतिक्रमी हो या किसी अन्य बकाये के संबंध में सोसायटी का व्यतिक्रमी भी हो या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसायटी का व्यतिक्रमी हो, अथवा (ख) उसे सोसायटी में किये गये किसी निवेश अथवा उससे लिये गये किसी ऋण को छोड़कर सोसायटी के साथ किये गये किसी अस्तित्वयुक्त संविदा में या सोसायटी द्वारा बेची गयी या खरीदी गयी किसी सम्पति में अथवा सोसायटी में किसी संव्यवहार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हित हो, अथवा (ग) उसके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी से संबंधित अधिभार की कोई कार्यवाही लंबित हो, अथवा (घ) उसके विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत सोसायटी, जिसकी प्रबंध समिति में निर्वाचित होने के लिए वह उम्मीदवार हो, के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई जांच-पड़ताल लंबित हो, अथवा (ङ) उसके विरूद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई दांडिक कार्यवाही लंबित हो, जिसमें संज्ञान ले लिया गया है।	
2	क(ii) क्या डेलीगेट राज्य सहकारी बैंक की उपविधियों के नियम 65 में उल्लिखित किसी अयोग्यता के अधीन है?	
2	क(iii) अगर क(i) एवं क(ii) का उत्तर **हाँ** में है, तो कंडिकावार स्पष्ट उल्लेख करें	

3. अपनी परिसम्पति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है :-

(क) अचल सम्पति

क्रमांक	विवरणी		कृषि भूमि	शहरी भूमि	भवन
1	**अपनी**	मौजा एवं थाना नंबर			
		अंचल			
		रकबा			
2	**पति/पत्नी**	मौजा एवं थाना नंबर			
		अंचल			
		रकबा			
3	**आश्रित**	मौजा एवं थाना नंबर			
		अंचल			
		रकबा			
	कुल जमीन का अनुमानित मूल्य (रुपये में)				

(ख) चल सम्पति (रुपये में)

क्रमांक	विवरणी	वर्तमान कीमत (रुपये में)
1	नकद	
2	बैंक बैलेन्स	
3	फिक्स डिपोजिट	
4	बॉण्ड	
5	शेयर	
6	वाहन का मॉडल, वर्ष एवं मूल्य	
7.	आभूषणों का मूल्य	
	कुल	

4.

अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएं (वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/ वेल्थ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया)	1. 2. 3.

5. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :

क्रमांक	परीक्षा उत्तीर्ण	स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	अभ्युक्ति
1				
2				
3				
4				
5				

स्थान :

तिथि : **अभ्यर्थी का हस्ताक्षर**

नोट :– सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ ''शून्य'' अवश्य अंकित किया जाय। स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (×) चिन्ह अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।

प्रपत्र-ख

अभ्यर्थी का बायोडाटा

(नामांकन पत्र के साथ दिया जाएगा)

जिला : ..... प्रखंड : .....

1	अभ्यर्थी का नाम		
2	पिता/पति का नाम		
3	पता		
4	दूरभाष संख्या/मोबाईल नं०		
5	जन्म तिथि		
6	शैक्षणिक योग्यता		
7	विवाहित/ अविवाहित :	8. पुरुष / महिला	
9	संतान की संख्या :	लड़का :	लड़की :
10	जाति सामान्य/ पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-II)/ अति पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-I) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति		
11	पेशा		
12	वार्षिक आय		
13	किस विषय (कला/ संस्कृति/ समाजसेवा आदि) में विशेष रुचि रखते हैं		
14	वर्तमान में किस सहकारी समिति के सदस्य एवं डेलीगेट हैं		
15	क्या पूर्व में किसी स्थानीय निकाय (पंचायत या नगरपालिका आदि) के सदस्य रहे हैं? अगर हाँ, तो पद एवं अवधि का उल्लेख करे।		
16	क्या पूर्व में किसी सहकारी समिति/ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष/ निदेशक आदि रहे हैं? अगर हाँ, तो पद सहित अवधि का उल्लेख करें।		

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–ग

मतदाता होने की घोषणा

मैं ..... पिता/पति .....

उम्र ..... वर्ष, थाना ..... जिला .....

बिहार का निवासी हूँ, घोषणा करता/करती हूँ :–

* कि मेरा नाम ..... (समिति का नाम) के प्रबन्ध समिति के निर्वाचन हेतु प्रकाशित मतदाता सूची के क्रमांक ..... पर दर्ज है।

स्थान :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिनांक :

---

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र-घ

अनुसूची-1

नामांकन पत्र की समीक्षा हेतु चेक-लिस्ट

(यह वर्गवार एवं पदवार तैयार की जायेगी)

क्रमांक	विषय	(✓ या ✗) लगायें
1	2	3
1	क्या नामांकन पत्र प्रपत्र-ई 2 में दाखिल किया गया है?	
2	क्या अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, उम्र तथा पता अंकित किया गया है?	
3	क्या समिति की मतदाता सूची, जिसमें अभ्यर्थी का नाम दर्ज है, की क्रम संख्या अंकित की गयी है?	
4	*क्या अभ्यर्थी उसी ग्रूप से है जिस ग्रूप के पद के लिये वह निर्वाचन लड़ रहा है?	
5	क्या प्रस्तावक का मतदाता सूची की क्रम संख्या नामांकन पत्र में अंकित की गयी है?	
6	क्या प्रस्तावक का हस्ताक्षर है?	
7	क्या समर्थक का मतदाता सूची की क्रम संख्या नामांकन पत्र में अंकित की गयी है?	
8	क्या समर्थक का हस्ताक्षर है?	
9	क्या प्रस्तावक/ समर्थक उसी ग्रूप से है जिस ग्रूप से अभ्यर्थी है?	
10	क्या नामांकन पत्र के अन्त में अभ्यर्थी की घोषणा अंकित है तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किया गया है और तिथि भी अंकित किया गया है?	
11	प्रपत्र-ग में मतदाता होने से संबंधित घोषणा पत्र दाखिल किया गया है?	
12	क्या प्रपत्र-'क' में शपथ पत्र पर वांछित सूचनाएं दी गई हैं तथा क्या उसपर अभ्यर्थी एवं गवाह का हस्ताक्षर अंकित है?	
13	क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-II)/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-I) के लिए आरक्षित पदों के लिए जाति प्रमाण-पत्र मूल में दाखिल किया गया है?	
14	क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-II)/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-I)/ महिला के लिए आरक्षित पदों के लिए संबंधित वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है?	

क्रमांक	विषय	(✓ या ✗) लगायें
15	क्या प्राधिकार द्वारा विहित नामांकन शुल्क जमा कराये जाने की रसीद संलग्न है।	
16	अगर नामांकन शुल्क रियायती दर पर दिया गया है तो क्या जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है? (महिला छोड़कर)	
17	*क्या प्रोफेशनल डायरेक्टर पद के उम्मीदवार द्वारा वांछित योग्यता का सबूत पेश किया गया है?	
18	*अगर अभ्यर्थी प्रोफेशनल डायरेक्टर पद के लिये निर्वाचन लड़ रहा है तो क्या उसने कम-से-कम पाँच साल के कार्य अनुभव का सबूत पेश किया है।	
19	*क्या वर्ग-I के अभ्यर्थी द्वारा बिहार राज्य प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-8 एवं 9 के अधीन प्राधिकार के आदेश पत्रांक 9758 दिनांक 03.11.2012 द्वारा दिये गये अनुदेश के आलोक में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के निर्वाचन के परिणाम के प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को समर्पित कर दिये जाने से संबंधित प्राप्ति रसीद/ लेखा 15 दिनों की अवधि के बीत जाने के बाद जमा किये जाने पर प्राधिकार के पत्रांक 10055 दिनांक 19.12.2012 द्वारा दिये गये अनुदेश के आलोक में प्राधिकार को सम्बोधित स्पष्टीकरण सहित प्राप्ति रसीद संलग्न की गयी है?	
20	क्या अभ्यर्थी बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2008 की धारा 44 ख च के किसी अयोग्यता के अधीन है?	
21	क्या अभ्यर्थी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम की धारा 9 के अधीन निर्वाचन व्यय संबंधित लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्वाचन लड़ने के अयोग्य घोषित किया गया है?	
22	क्या प्रपत्र-'ख' में अभ्यर्थी के बारे में आवश्यक विवरणी दाखिल की गयी है?	
23	क्या अभ्यर्थी द्वारा विहित अवधि में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच नामांकन पत्र दाखिल किया गया है?	
24	क्या अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से नामांकन पत्र दाखिल किया गया है?	

* जो लागू न हों, उसे काट दें।

प्रपत्र-ई 3

दाखिल नामांकन पत्रों की विवरणी

(यह वर्गवार एवं पदवार तैयार की जायेगी)

समिति का नाम ..... प्रखंड ..... जिला .....

वर्ग ..... पद .....

क्रमांक	पद का नाम	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम	प्रस्तावक का नाम एवं पता	समर्थक का नाम एवं पता
1	2	3	4	5	6

तिथि :

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-ई 4

अभ्यर्थिता वापसी की सूचना

1. पद का नाम, जिसके लिए नामांकन भरा गया है .....
2. समिति का पूरा निर्बंधित नाम, जिससे पद संबंधित है।
3. अभ्यर्थी का -
   (i) मतदाता सूची में क्रमांक .....
   (ii) पूरा नाम (जैसा कि मतदाता सूची में है) .....
   (iii) क्या वह किसी सम्बद्ध सोसाइटी/निकाय या प्राधिकारी का प्रतिनिधि है? यदि हाँ, तो उस सोसाइटी/ निकाय/ प्राधिकारी का नाम .....
4. (i) पिता का नाम (पुरुष एवं अविवाहित स्त्री अभ्यर्थी की स्थिति में) .....
   (ii) पति का नाम (विवाहित स्त्री अभ्यर्थी की स्थिति में) .....

मैं, उपर्युक्त पद/सीट के लिए निर्वाचन लड़ना नहीं चाहता/चाहती हूँ और तदनुसार बिना किसी दु:ख या दबाव के मैं अपनी उम्मीदवारी वापस लेता/लेती हूँ।

5. यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/ अँगूठे का निशान

इस वापसी की सूचना मुझे मेरे कार्यालय में दिनांक.....को.....बजे पूर्वाह्न/ अपराह्न में अभ्यर्थी द्वारा परिदत्त की गयी है।

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

वापसी की सूचना के लिए रसीद

(सूचना देने वाले अभ्यर्थी को दिये जाने के लिए)

श्री/सुश्री/श्रीमती ....., जो ..... समिति के ..... पद पर निर्वाचन हेतु विधिमान्य रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी है, द्वारा अभ्यर्थिता वापसी की सूचना मुझे अभ्यर्थी द्वारा मेरे कार्यालय में दिनांक.....को.....बजे पूर्वाह्न/ अपराह्न में दी गई जिसकी प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

तिथि :

स्थान :

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-ई 5

अभ्यर्थिता वापस लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची

(यह वर्गवार एवं पदवार अलग-अलग तैयार की जायेगी)

समिति का नाम ..... वर्ग ..... पद .....

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ..... समिति के .....पद के लिए दाखिल नामांकन पत्रों में से निम्नांकित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों द्वारा अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली गई है :-

पद का नाम	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	पिता/पति का नाम
1	2	3

तिथि :

स्थान :

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-ई 6

विभिन्न सहकारी/ स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची

जिला : ..... प्रखंड : .....

केन्द्रीय/ शीर्ष समिति का नाम, जिससे समिति संबंद्ध है : ..... समिति का कार्य विवरण : .....

अंतिम प्रकाशित सूची के अनुसार मतदाताओं की कुल संख्या : ..... संवीक्षा की तिथि : DD/MM/YYYY

समिति का नाम : .....

क्रमांक	अध्यक्ष पद	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति

क्रमांक	मंत्री/ उपाध्यक्ष/ सचिव	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति

	बोर्ड/ प्रबंधकारिणी समिति के विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची				अभ्युक्ति
	अनु० जाति/ अनु० जनजाति कोटि	पिछड़ा वर्ग कोटि	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि	सामान्य कोटि	
कुल पदों की संख्या (अध्यक्ष/ मंत्री/उपाध्यक्ष/ सचिव को छोड़कर)					
कुल (पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या)					
कुल (महिला अभ्यर्थियों की संख्या)					
कुल अभ्यर्थियों की संख्या					

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-ई 7

अभ्यर्थियों का नाम समान (Identical) रहने पर पहचान हेतु सूचना

सेवा में,

श्री/श्रीमती/सुश्री .....

.....

.....

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि ..... समिति के अध्यक्ष/ निदेशक के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की संवीक्षा उपरान्त निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में निम्नांकित अभ्यर्थियों का नाम समान (Identical) है।

इन अभ्यर्थियों की स्पष्ट एवं अलग अलग पहचान के लिए निम्न स्तंभ-1 में अंकित अभ्यर्थी स्तंभ-2 में अंकित नाम से जाने जायेंगे।

क्रमांक	स्तंभ-1	स्तंभ-2
1.	नाम.....	नाम.....
	पता.....	
2.	नाम.....	नाम.....
	पता.....	
3.	नाम.....	नाम.....
	पता.....	

तिथि :

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

कार्यालय निर्वाचन पदाधिकारी : .....

प्रपत्र-ई 8

प्रतीक आवंटन की सूचना

समिति का नाम : .....

प्रेषित,

.....

.....

.....

विषय : ..... समिति का निर्वाचन : निर्वाचन प्रतीक का आवंटन ।

उपर्युक्त विषयक एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नाम ..... (समिति का नाम) के अध्यक्ष/ प्रबंध समिति के सदस्य पद हेतु दिनांक ..... को होने वाले निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र-ई 6) में अंकित है तथा आपको निर्वाचन प्रतीक के रूप में .....प्रतीक आवंटित किया जाता है। निर्वाचन प्रतीक की अनुकृति संलग्न है।

स्थान :

तिथि :

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-ई 9

निर्वाचन प्रमाण-पत्र

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने दिनांक ..... माह ..... वर्ष ..... को श्री/ सुश्री/ श्रीमती..... जो श्री/ श्रीमती.....के/की पुत्र/ पुत्री/ पत्नी हैं और जो.....के/की निवासी हैं, को ..... (समिति का नाम) के अध्यक्ष/ सचिव/ प्रबन्ध समिति के सदस्य के रूप में सम्यक् रूपेण निर्वाचित घोषित किया है तथा प्रमाण स्वरूप मैंने उन्हें यह निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया है।

स्थान :

तिथि :

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

(पदनाम की मुहर)

प्रपत्र-ई 10

निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति

मैं .....(अभ्यर्थी का नाम), ... (समिति का नाम) के निर्वाचन में .....पद का/की अभ्यर्थी हूँ तथा श्री .....को आज की तारीख से एतद् द्वारा अपना निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता नियुक्त करता/करती हूँ।

स्थान :
तारीख :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

मैं उपर्युक्त नियुक्ति स्वीकार करता/ करती हूँ।

स्थान :
तारीख :

निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

अनुमोदित

स्थान :
तारीख :

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-ई 11

अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्त्ता पहचान पत्र

फोटो

श्री ..... (नाम एवं पता)

..... समिति के अध्यक्ष/ प्रबंध समिति के सदस्य पद के अभ्यर्थी हैं / अभ्यर्थी श्री ..... के निर्वाचन अभिकर्त्ता हैं।

अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर

अभिप्रमाणित

स्थान :

निर्वाचन पदाधिकारी

तिथि :

(मुहर नाम/ पदनाम के साथ)

प्रपत्र-ई 12

निर्वाचन व्यय के संबंध में प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जाने वाली सूचना का प्रपत्र

सेवा में,

.....

अभ्यर्थी, ... समिति के अध्यक्ष/ प्रबंध समिति के सदस्य।

विषय : निर्वाचन व्यय के लेखा का संधारण एवं उसकी सच्ची प्रतिलिपि समर्पित करने के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

आपका ध्यान बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 8 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह प्रावधान हैं कि निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी स्वयं या अपने अभिकर्त्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में, नामांकन पत्र भरने से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति की अवधि के बीच, किये गये सभी खर्चों का अलग एवं सही लेखा संधारित करेगा।

ज्ञातव्य हो कि राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा पैक्स के अध्यक्ष/प्रबंध समिति के सदस्य के पदों हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिये निम्नवत निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा नियत की गई है -

(क) अध्यक्ष पद के मामले में पाँच हजार रुपये, एवं

(ख) प्रबंध समिति के सदस्य पद के मामले में दो हजार रुपये

2. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 9 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि बिना युक्तियुक्त कारण या औचित्य के विहित समय सीमा के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नही करने पर राज्य निर्वाचन प्राधिकार उक्त अभ्यर्थी को तीन वर्षो की अवधि के लिये चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य घोषित कर सकता है।

3. अगर कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश गंभीरतापूर्वक चुनाव नहीं भी लड़ता है तथा केवल नामांकन शुल्क को छोड़कर कोई अन्य व्यय नही करता है, तब भी उसे अपना रिटर्न दाखिल करना होगा।

4. अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा अधिनियम की धारा 8 के अधीन रखे जाने वाले निर्वाचन व्यय का लेखा दिन-प्रतिदिन के आधार पर प्राधिकार के निदेशों के अधीन संधारित किया जायेगा।

5. निर्वाचन व्यय का लेखा जिस पंजी में संधारित किया जायेगा, वह संलग्न है। ख्याल रखें कि यह आपके लिये एक विशिष्ट पंजी है। इसी पंजी में ही अपने निर्वाचन व्यय से संबंधित दिन-प्रतिदिन का लेखा आप संधारित करेंगे, अन्य किसी पंजी में नही। इस पंजी के साथ विभिन्न व्यय के समर्थन में प्राप्त किये गये सभी अभिश्रव, विपत्र, प्राप्तियाँ, पावती आदि भी समुचित कालक्रमानुसार सजाकर रखे जायेंगे। निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात आपके द्वारा इस सूचना के साथ संलग्न प्रपत्र में व्यय से संबंधित एक सार विवरण भी तैयार किया जायेगा।

6. निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)/उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)/निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी अथवा निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी/प्राधिकार द्वारा नियुक्त प्रेक्षक अथवा अन्य नामांकित प्राधिकारियों द्वारा किसी भी समय मांग किये जाने पर **आपको पंजी एवं संगत अभिलेखों को उनके सामने प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नही किये जाने पर इसे आपके स्तर पर भारी चूक माना जायेगा तथा इस आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के अधीन आपके विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी।**

7. जिस पंजी में आपने दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय का लेखा अंकित किया है, उस पंजी को ही निर्वाचन के पश्चात आपको निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ जमा करना है। आपको इस पंजी की प्रतिलिपि अपने पास अभिलेख के रूप में तथा भविष्य के संदर्भ हेतु अवश्य रख लेनी चाहिए। पंजी के साथ-साथ आपको कॉडिका-5 में वर्णित सार विवरण भी एक शपथ पत्र के साथ जमा करना होगा। शपथ किसी प्रथम श्रेणी न्यायायिक दण्डाधिकारी या ओथ कमिश्नर या नोटरी के समक्ष लिया जायेगा।

स्थान :

दिनांक : निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं सील

अनुलग्नक -

1. पंजी क्रमांक- .....
2. सार विवरण का प्रपत्र
3. शपथ पत्र का प्रपत्र

प्रपत्र-ई 13

निर्वाचन व्यय का लेखा हेतु पंजी

1. अभ्यर्थी का नाम :-

2. समिति का नाम :-

3. नामांकन दाखिल करने की तिथि :-

4. निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि :-

निर्वाचन व्यय की पंजी

दिनांक	निर्वाचन व्यय के ब्यौरे	किसके द्वारा खर्च किया गया	अभ्यर्थी का हस्ताक्षर	अभियुक्ति

प्रपत्र-ई 14

अभ्यर्थी द्वारा दी जाने वाली पावती का प्रपत्र

सेवा में,

निर्वाचन पदाधिकारी,

.....(समिति का नाम) ।

महाशय,

मैंने आपके पत्र संख्या.....दिनांक.....के साथ अनुलग्न सभी कागजात तथा मेरे निर्वाचन व्यय से संबंधित लेखा के संधारण हेतु एक पंजी, जिसका क्रमांक.....है, प्राप्त कर लिया है।

2. मैंने निर्वाचन व्यय से संबंधित लेखा के संधारण तथा निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ उसे जमा करने से संबंधित प्रावधानों को ध्यान से पढ़कर समझ लिया है।

स्थान :

दिनांक :

आपका विश्वासी,

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

प्रपत्र-ई 15

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जाने वाली पावती का प्रपत्र

..... समिति के अध्यक्ष/ प्रबंध समिति के सदस्य पद के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन व्यय का लेखा, जिसका परिणाम दिनांक..... को घोषित किया गया था, दिनांक..... को अभ्यर्थी...../ उसकी तरफ से उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता..... द्वारा दाखिल किया गया है तथा मेरे द्वारा आज दिनांक.....माह.....वर्ष.....को प्राप्त किया गया है।

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-ई 16

निर्वाचन व्यय से संबंधित सार विवरण

भाग-1

1. अभ्यर्थी का नाम :
2. समिति का नाम :
3. नामांकन दाखिल करने की तिथि :
4. निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि :
5. निर्वाचन अभिकर्त्ता का नाम एवं पता :

भाग-2

अभ्यथी/ उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा निर्वाचन व्यय से संबंधित सारांश

निर्वाचन व्यय के ब्यौरे	अभ्यर्थी	निर्वाचन अभिकर्त्ता/ मतदान अभिकर्त्ता	समर्थक	कुल
1. प्रचार सामग्री, यथा हैण्डबिल, पोस्टर आदि				
2. प्रयुक्त वाहनों की संख्या एवं पेट्रोल, डीजल आदि पर खर्च				
3. अन्यान्य खर्चे				
			कुल खर्च	

स्थान :

दिनांक :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-ई 17

शपथ पत्र का प्रपत्र

मैं, ... जो ..... (समिति का नाम) ..... के अध्यक्ष/ प्रबंध समिति के सदस्य पद के निर्वाचन में एक अभ्यर्थी हूँ, एतद्द्वारा शपथपूर्वक एवं सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूँ कि :–

(1) मैंने/ मेरे निर्वाचन अभिकर्त्ता ने मेरे नामांकन दाखिल करने की तिथि एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि के बीच में, दोनों तिथियों सहित, उपर्युक्त निर्वाचन में मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा किये गये अथवा प्राधिकृत किये गये सभी खर्चो का अलग एवं सही लेखा-जोखा रखा है।

(2) उपर्युक्त लेखा का संधारण निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इस उद्देश्य हेतु दी गई पंजी में किया गया है तथा उक्त पंजी उक्त लेखा में वर्णित सभी समर्थक अभिश्रवों/विपत्रों के सहित इससे उपाबद्ध है।

(3) इससे उपाबद्ध मेरे निर्वाचन व्यय लेखा में मेरे द्वारा अथवा मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा किये गये अथवा अधिकृत किये गये निर्वाचन व्यय के सभी मद सम्मिलित है तथा कुछ भी छिपाकर/रोककर/दबाकर नही रखा गया है।

(4) उपर्युक्त (1) से (3) की कंडिकाओं में दिया गया विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है।

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

मेरे समक्ष दिनांक....., को निष्ठापूर्वक शपथ लिया गया।

ओथ दिलाने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं सील

प्रपत्र-ई 18

विभिन्न सहकारी/ स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्विरोध/सविरोध निर्वाचित सदस्यों की सूची

जिला : ..... प्रखंड : .....

कुल मतदाताओं की संख्या : ..... मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या : .....

समिति का नाम : ..... निर्वाचन की तिथि : DD / MM / YYYY

पद	नाम	महिला/ पुरुष	आरक्षण कोटि*	अभ्युक्ति
अध्यक्ष				
मंत्री/उपाध्यक्ष/सचिव				

* अनु० जाति/ अनु० जनजाति/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/ सामान्य

	बोर्ड/प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्यों का नाम				अभ्युक्ति
	अनु० जाति/ अनु० जनजाति कोटि	पिछड़ा वर्ग कोटि	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि	सामान्य कोटि	
कुल पदों की संख्या (अध्यक्ष/मंत्री/उपाध्यक्ष/सचिव को छोड़कर)					
कुल (निर्वाचित पुरुष सदस्यों की संख्या)					
कुल (निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या)					
कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या					

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–2

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 08 एवं भारतीय दंड संहिता के सामान्य दंड (penal) प्रावधान

एतद् द्वारा आपको बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 08 में भ्रष्ट आचरण एवं निर्वाचन अपराधों, तथा भारतीय दंड संहिता के अध्याय IX-A में उल्लिखित निर्वाचन से संबंधित अपराधों की सूचना दी जा रही हैं। कृपया ध्यान दे कि यह सूची सम्पूर्ण (exhaustive) नहीं है। आपको अधिक जानकारी के लिए कानून के संगत प्रावधानों का भी अध्ययन करने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में प्राधिकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका/अधिनियम आदि की प्रतियाँ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध हैं। इन भ्रष्ट आचरणों तथा निर्वाचन अपराधों को किया जाना साबित हो जाने पर कानून के अनुसार आपके निर्वाचन को रद्द् घोषित किया जा सकता है और/या कानून में प्रावधानित दंड भी दिया जा सकता है।

(i) बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008

(क) भ्रष्ट आचरण (धारा 14)

1. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (केन्द्रीय अधिनियम 48, 1951) की धारा 123 में यथापरिभाषित रिश्वत।
2. उक्त धारा के खंड (1) में यथापरिभाषित अनुचित प्रभाव।
3. धर्म, प्रजाति, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अपील या धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करना या उसकी दुहाई देना या राष्ट्रीय प्रतीकों, यथा राष्ट्रीय झंडा या राष्ट्रीय चिह्न का उपयोग करना या दुहाई देना।
4. धर्म, प्रजाति, जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता और घृणा की भावनाओं को भड़काना या भड़काने का प्रयास करना।
5. किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में मिथ्या तथ्यों का प्रकाशन।
6. मतदान केन्द्र तक मतदाताओं के नि:शुल्क परिवहन के लिए किसी वाहन को भाड़े पर लेना अथवा उसे प्राप्त करना या उसका उपयोग करना।
7. किसी ऐसी बैठक का आयोजन जिसमें मादक द्रव्य की आपूर्त्ति की जाती हो।
8. निर्वाचन के प्रसंग में किसी ऐसे परिपत्र, विज्ञापन या इश्तहार का जारी किया जाना जिस पर इसके मुद्रणकर्त्ता और प्रकाशन का नाम-पता न हो।
9. कोई अन्य आचरण जिसे सरकार नियम बनाकर भ्रष्ट आचरण निर्दिष्ट करे।

(ख) निर्वाचन अपराध

10. धारा 6(1) – निर्वाचन के सिलसिले में विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता।
11. धारा 6(2) – मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटों की अवधि के दौरान आम सभाओं पर प्रतिबंध।
12. धारा 6(3) – निर्वाचन सभा में बाधा।
13. धारा 6(4) – पुस्तिकाओं, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबंध।
14. धारा 6(5) – मतदान की गोपनीयता बनाए रखना।
15. धारा 6(6) – निर्वाचनों में अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य नहीं करेंगे या मतदान को प्रभावित नहीं करेंगे।
16. धारा 6(7) – मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक प्रचार पर प्रतिषेध।
17. धारा 6(8) – मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक विश्रृंखल आचरण पर प्रतिबंध।
18. धारा 6(9) – मतदान केन्द्र पर अवचार पर प्रतिबंध।
19. धारा 6(10) – मतदान की प्रक्रिया के पालन में विफलता।
20. धारा 6(11) – मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक आने-जाने हेतु अवैध रूप से वाहनों को किराये पर लेना या उपाप्त करना।
21. धारा 6(12) – निर्वाचनों के संबंध में पदीय कर्त्तव्य भंग।
22. धारा 6(13) – निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता या गणन अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को मनाही।
23. धारा 6(14) – मतदान केन्द्र में उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध।
24. धारा 6(15) – मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना।
25. धारा 6(16) – मतदान केन्द्र पर कब्जा का अपराध।
26. धारा 6(17) – निर्वाचन संबंधी कागजातों, अभिलेखों, मतपत्रों, मतपेटिकाओं आदि को कपटपूर्वक या आवश्यक प्राधिकार के बिना नष्ट करना।

(ii) (ग) भारतीय दंड संहिता के प्रावधान

27. धारा 171 **B** – रिश्वतखोरी या घूसखोरी।
28. धारा 171 **C** – निर्वाचनों में अनुचित प्रभाव।
29. धारा 171 **D** – निर्वाचन में प्रतिरूपण (personation) अर्थात् किसी दूसरे व्यक्ति का मत स्वयं छद्म रूप से वह व्यक्ति बनकर देना।
30. धारा 171 **G** – निर्वाचन के संबंध में मिथ्या विवरण देना।
31. धारा 171 **H** – निर्वाचन के संबंध में अवैध भुगतान।
32. धारा 171 **I** – निर्वाचन व्यय का लेखा नहीं रखना।

(iii) निर्वाचन व्यय की अधिसीमा एवं निर्वाचन व्यय का लेखा

- अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम अनुमान्य व्यय – पांच हजार रुपये।
- प्रबंध–समिति से सदस्य पद के लिए – दो हजार रुपये।
- निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पन्द्रह दिनों के अंदर प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अपने निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ विहित प्रपत्र में जमा करना अनिवार्य।
- विहित समयावधि में लेखा नहीं जमा करने पर प्राधिकार किसी अभ्यर्थी को तीन वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।(बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 08 की धारा 8)।

(iv) आदर्श आचार संहिता

- पैक्स क्षेत्र से बाहर सभा करना या जुलूस निकालना वर्जित।
- मतदान केंद्र के निकट मतदाताओं को पर्ची आदि देने के लिए निर्वाचन केंद्र बनाना वर्जित।
- प्रचार–प्रसार हेतु किसी तरह का नारा लिखकर चित्र बनाकर या बैनर आदि टांग कर सार्वजनिक या निजी संपति का विरूपण करना वर्जित। उल्लंघन की स्थिति में संपति का विरूपण(निरोध)अधिनियम, 1987 की धारा 3 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 425, 426, 427, 433 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के अधीन कानूनी कार्रवाई।
- चुनाव प्रचार करने हेतु लाउडस्पीकर के उपयोग/मोटर वाहन/पशु का उपयोग करने पर पाबंदी।
- चुनाव कार्य में संलग्न पदाधिकारियों को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से मतदान प्रक्रिया के संचालन तथा मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से बिना किसी व्यवधान के करने में सहयोग प्रदान करना आवश्यक।
- शासकीय विश्रामगृहों या अन्य स्थानों में चुनाव संबंधी बैठक करना वर्जित।
- चुनाव की घोषणा की तिथि से मतगणना परिणाम घोषित करने की अवधि में पैक्स के पदावरोही अध्यक्षों के वित्तीय अधिकारों पर पूर्ण पाबन्दी रहेगी। किन्तु पैक्स सदस्यों को मौसमी एवं तत्कालिक कृषि कार्यों के लिए निधि मुहैया कराना बिल्कुल आवश्यक हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर अध्यक्ष वित्तीय शक्ति का उपयोग कर सकेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विभिन्न पदों हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रतीकों की अनुकृति

अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए

1. मोतियों की माला

2. ब्लैक बोर्ड

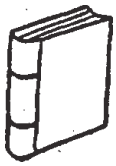

3. किताब

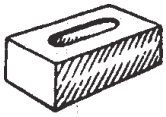

4. ईंट

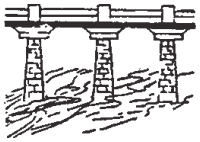

5. पुल

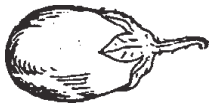

6. बैगन

7. ब्रश

8. चिमनी

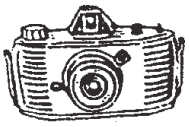

9. कैमरा

10. मोमबत्तियाँ

11. कार

12. कैरम बोर्ड

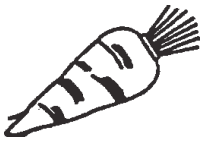

13. गाजर

14. नेकटाई

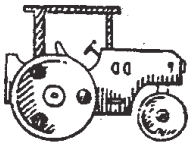

15. रोड रौलर

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए

1. वायुयान

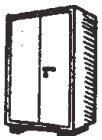

2. अलमीरा

3. कुल्हाड़ी

4. गुब्बारा

5. केला

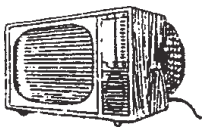

6. टेलीविजन

7. टॉफी

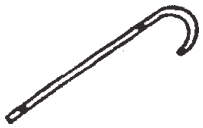

8. छड़ी

9. ऊन

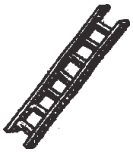

10. सीढ़ी

पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद के लिए निर्वाचन
लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए

1. गुड़िया

2. चापाकल

3. कुर्सी

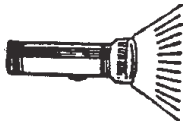

4. टार्च

5. ट्रैक्टर

6. टोकरी

7. बल्ला

8. काँटा

9. चूड़ियाँ

अति पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए

1. छत का पंखा

2. नारियल

3. कंघा

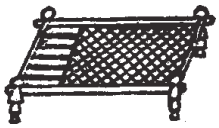

4. चारपाई

5. कप और प्लेट

6. डोली

7. फ्राक

8. फ्राईंग पैन

9. गैस सिलेण्डर

10. बिजली का खंभा

सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए

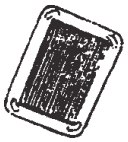

1. स्लेट

2. चम्मच

3. स्टूल

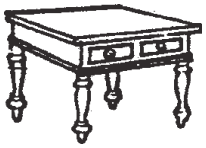

4. मेज

5. टेबुल लैम्प

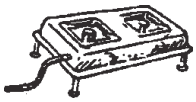

6. गैस का चूल्हा

7. कांच का गिलास

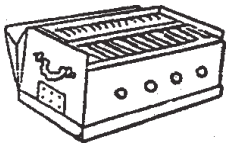

8. हारमोनियम

9. टोपी

10. वायलीन

11. स्टोव

12. मोटरसाइकिल

सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद के लिए निर्वाचन
लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए

13. नल

14. बल्ब

15. जीप

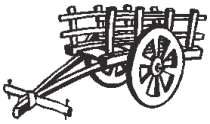

16. काठ गाड़ी

17. वैन

18. हाथ ठेला

19. दाव

20. जग

21. केतली

22. शटल

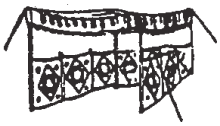

23. टेन्ट

सुरक्षित प्रतीकों की सूची

1. बल्लेबाज

2. डबल रोटी

3. ब्रीफकेस

4. केक

5. कोट

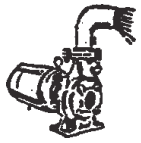

6. डीजल पम्प

7. लिफाफा

8. हैंगर

9. आइसक्रीम

10. अंगूठी

11. कलम और दावात

सरकारी सेवकों का आचरण एवं व्यवहार

सरकारी सेवकों का केवल निष्पक्ष रहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह निष्पक्षता नजर भी आनी चाहिए। उन्हें अपना आचरण/व्यवहार ऐसा रखना चाहिए जिससे सर्वसाधारण के मन में उनके प्रति आस्था/विश्वास की भावना पैदा हो तथा यह कहने का मौका किसी को नहीं मिले कि चुनाव स्वतंत्र, स्वच्छ एवं पवित्र माहौल में नहीं कराया जा सकेगा। सरकारी सेवकों को ऐसा कुछ भी करने से बहुत दूर रहना चाहिए, जिससे कोई शंका उत्पन्न हो कि वे किसी अभ्यर्थी का पक्ष ले रहे हैं। उन्हें किसी चुनाव प्रचार अथवा अभियान में भाग लेने से तो बचना ही चाहिए, निष्ठापूर्वक यह सावधानी भी बरतनी चाहिए कि उनके नाम, पदीय स्थिति या अधिकारिता को किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति अथवा किसी समूह को अन्य समूह के विरूद्ध सहायता करने से नहीं जोड़ा जाए।

निर्वाचन प्रक्रिया की अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा लाउडस्पीकर सहित किसी बैठक को आयोजित करने पर पाबंदी रहेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचन के समय कोई सार्वजनिक बैठक, जिसमें अभ्यर्थी सभामंच पर बैठता है या जिसका परिचय पब्लिक से कराया जाता है, निर्वाचन बैठक मानी जाएगी एवं उसके आयोजन पर सरकारी निधि का कोई व्यय नहीं किया जाएगा। अगर वैसी बैठकों में कोई मंत्री अथवा अन्य सार्वजनिक व्यक्ति सम्मिलित होते है, तो उसके आयोजन पर सरकारी निधि का कोई व्यय नहीं किया जायेगा। किन्तु वैसी बैठकों में विधि व्यवस्था की संधारण की जिम्मेवारी उत्तरदायी सरकारी सेवकों पर होगी।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के पत्रांक ओ॰एम॰नं॰-25/44/49- इ॰एस॰टी॰टी॰एस॰ दिनांक 10.10.1949 (प्रतिलिपि परिशिष्ट-2 में) के प्रावधानों के अनुसार सरकारी सेवक किसी भी तरह की राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। राज्य के सरकारी सेवकों के संबंध में भी समरूप प्रावधान लागू हैं। **प्राधिकार का निदेश है कि सहकारी समितियों के निर्वाचन की अवधि के दौरान सरकारी सेवकों के मामले में भी उपर्युक्त प्रावधान समान रूप से लागू होंगे।**

सार्वजनिक स्थल पर बैठक के आयोजन के अनुमति देने में सरकारी अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों के बीच कोई भेद-भाव नहीं किया जाएगा अथवा किसी अभ्यर्थी विशेष को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। अगर एक ही तिथि को समान स्थल पर बैठक आयोजित करने हेतु एक से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा अनुमति मांगी जाती हो, तो सबसे पहले आवेदन देने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम की धारा 6(6) एवं 6(13) के प्रावधानों का निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा दृढ़ता से अनुपालन किया जायेगा, जो निम्नवत् है :-

6(6)" **Officers etc., at elections not to act for candidates or to influence voting** –(1) No person who is a District Election Officer(Municipality) or a Returning Officer, or an Assistant Returning Officer, or a presiding or polling officer at an election, or an officer or clerk appointed by the Returning Officer or the Presiding officer to perform any duty in connection with an election shall in the conduct or the management of the election do any act(other than the giving of vote) for the furtherance of prospects of the election of a candidate.

(2) No such person as aforesaid, and no member of a police force, shall endeavor

(a) to persuade any person to give his vote at an election, or

(b) to dissuade any person from giving his vote at an election, or

(c) to influence the voting of any person at an election in any manner.

(3) Any person who contravenes the provisions of clause (1) or clause (2) shall be punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine or with both.

(4) An offence punishable under subsection (3) shall be cognizable.

6(13) **Penalty for Government servants for acting as election agent, polling agent or counting agent**-If any person in the service of the Government acts as an election agent or a polling agent or a counting agent of a candidate at any election, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both."

इन निदेशों का उल्लंघन गंभीर अनुशासनहीनता का द्योतक होगा।

(प्राधिकार का पत्रांक 367दिनांक 18 मई, 2009)

Copy of Ministry of Home Affairs O.M. No. 25/44/49-Estts. Dt. 10th October 1949

Subject : Participation by Government servants in political activities-attendance by Government servants political meeting.

Attention is Invited to the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No 25/44/49-Estt., dated 17th September 1949 dealing with the scope of rule 23(i) of the Government Servant's Conduct Rules which lays down that no Government servant shall take part in, subscribe in aid of or assist in any way any political movement in India.

2. Enquiries have been received as to whether attendance by a Government Servant at a public meetings organized by political parties would amount to participation in a political movement within the meaning of the rule referred to. Even in regard to this narrower question the position must necessary remain as staled in the office Memorandum referred to in paragraph I,. viz :-

(i) That whether, or not the conduct of any particular nature amounts to participation in a political movement is a question of fact be decided on merits and in the circumstances of each particular case; and

(ii) That the responsibility for the Government servants conduct must rest squarely on his shoulders and that a plea of ignorance of misconception to Government's attitude would not be tenable. The following observations may however be of assistance to Government servant in deciding their own course of action:-

(iii) Attendance at meetings organized by a political party would always be contrary to rule 23(I) of the Government Servant's Conduct Rules unless all the following conditions are satisfied:

(a) that the meeting is a public meeting and not in any sense a private or restricted meeting.

(b) that the meeting is not held contrary to any prohibitory order or without permission where permission is needed, and

(c) that the Government servant in question does not himself speak, at or take active or prominent part in organizing or conducting the meeting.

3. Even where the sad conditions are satisfied, while occasional attendance at such meetings may not be construed as a participation in a political movement, Frequent or regular attendance by a Government-servant at meetings of any particular political party is bound to create the impression that he is a sympathizer or the aims and objects of that party and that in his official capacity he may favor or support the members of that particular party. Conduct which gives cause for such an impression may well be construed as assisting a political movement.

4. Government servants have ample facilities through the medium of the press to keep themselves informed re the aims, ob and activities or the different political parties and to equip themselves to exercise intelligently their civic right e.g. the right to vote at elections to Legislature or Local Self institutions-

5. l am to request that Government servant under the control at the Ministry Ct Finance etc., may be informed accordingly

To,

All Ministers of the Government or India etc,, etc

Extract of Rule 5 of the Central Civil Services (conduct)_Rule 1964

Rule 5. Taking part in political and elections:

(1) No Government servant shall be a member or nor be otherwise associated with any political party or any organization which takes part in politics nor shall he take part in, subscribe in old or, or assist in any other manner, any political movement or activity.

(2) It shall be the duly of every Government servant to endeavor to prevent any member of his family from taking part in, subscribing in aid of or assisting in any other manner any such movement or activity he shall make a report to that effect to the Government.

(3) If any question arises whether a Party is a political or whether any organization takes part in political or whether any movement or activity fills within the scope of sub-rule(2) the decision of the Government thereon shall be final.

(4) No Government servant shall canvass or otherwise interfere with or use his influence in connection with or take part in, an election to any legislature or local authority:

Provided that

(1) A Government Servant qualified to vote at such election may exercise his right to vote, but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposes to vote or has voted:

(2) A Government servant shall not be deemed to have contravened the provisions of this sub-rule by reason only that he assist in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in force.

Explanation: The display by a Government servant on his personal vehicle or residence of any electoral symbol shall amount to using his influence in connection with an election within the meaning of this sub rules.

राजनैतिक अपराध अथवा नैतिक दुराचार वाले किसी अपराध से भिन्न अन्य अपराध के लिए दंडित किये जाने पर अनर्हता एवं दंडादेश के विरूद्ध अपील एवं जमानत पर मुक्त होने का प्रभाव

(सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए)

जैसा कि, यह पाया गया है कि कतिपय अपराधों के लिये न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति भी चुनाव के मैदान में प्रवेश कर रहे हैं तथा अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं;

और जैसा कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 [बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा यथा संशोधित] की धारा 44खच(3)(ङ) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अल्पकालीन साख संरचना अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी के प्रबंध समिति में निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा, यदि (ङ) **उसके विरूद्ध किसी निबंधित सोसाइटी के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई दांडिक कार्रवाई लंबित हों जिसमें संज्ञान ले लिया गया हो** और जैसा कि बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम 8(ड.) में प्रावधान है कि **कोई भी व्यक्ति किसी निबंधित सोसाइटी का सदस्य बनने का हकदार नहीं होगा, यदि उसे राजनैतिक अपराध या नैतिक दुराचार वाले किसी अपराध से भिन्न अन्य अपराध के लिये सजा मिल चुकी हो और सजा उलट न दी गई हो अथवा अपराध क्षमा न कर दिया गया हो;**

और जैसा कि यह संभावना है कि कई व्यक्ति दण्डादेश संबंधी तथ्य को छुपाकर पैक्स के सदस्य बन गए हों तथा वैसे सदस्य भी प्रबंध समिति के निर्वाचन में खड़े हो सकते हैं, जो न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश के विरूद्ध अपील अथवा पुर्नविचार का आवेदन दाखिल किये हुये होते हैं और अपील/पुर्नविचार की सुनवाई लंबित रहने के दौरान जमानत पर मुक्त रहते हैं;

और जैसा कि प्राधिकार द्वारा अधिनियम की धारा 44खच(3) एवं नियमावली के नियम 8 को एकसाथ पठित करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया है कि चूँकि सजाप्राप्त व्यक्ति पैक्स का सदस्य बनने का हकदार नहीं है, अत: सजाप्राप्त कोई पैक्स सदस्य प्रबंध समिति के निर्वाचन का भी अभ्यर्थी नहीं बन सकता;

और जैसा कि प्राधिकार द्वारा धारा 44खच(3) के अन्तर्गत निर्वाचन हेतु अनर्हित सदस्यों द्वारा जमानत पर मुक्त रहने या अपील या पुर्नविचार आवेदन के लंबित रहने की अवधि में निर्वाचन लड़ सकने के विषय की सम्यक परीक्षा की गई एवं विचार किया गया;

और जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के परिप्रेक्ष्य में अनेक माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा विचारण के पश्चात् यह प्रेक्षण किया गया है कि जमानत पर मुक्ति उक्त धारा 8 के अधीन लोकसभा/विधानसभा का निर्वाचन लड़ने से संबंधित अनर्हता को समाप्त नहीं करती है;

और जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश द्वारा पुरूषोत्तम लाल कौशिक बनाम विद्याचरण शुक्ल में यह नियमन दिया गया है कि निर्वाची पदाधिकारी का निर्णय संवीक्षा की तिथि को विद्यमान तथ्यों पर आधारित होना चाहिये तथा नामांकन की वैधता का निर्णय भविष्य की अज्ञात घटनाओं पर आधारित नहीं हो सकता। ऐसा ही नियमन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शरतचंद्र के मामले में दिया गया है। **दण्डादेश का निलंबन सजा एवं दण्डादेश को नहीं धो डालता (wipe out) है। दण्डादेश का निलंबन, मात्र दण्डादेश के क्रियान्वयन को प्रभावित करता है;**

और जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा श्री सचिन्द्र नाथ त्रिपाठी बनाम दूधनाथ में यह नियमन दिया गया है कि जमानत पर मुक्त होने का प्रभाव मात्र संसीमन (confinement) से मुक्ति है तथा वह दण्डादेश के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है;

और जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा विक्रम आनंद बनाम राकेश सिंह एवं अन्य में यह नियमन दिया गया है कि अपील लंबित रहने के दौरान दण्डित व्यक्ति को जमानत पर मुक्त करने एवं दण्डादेश के निलंबन के फलस्वरूप दण्डादेश के क्रियान्वयन पर रोक के बावजूद वास्तविक सजा एवं दण्डादेश लागू रहता है।

अब, इसलिये, उपर्युक्त माननीय न्यायालयों के न्यायिक नियमनों को ध्यान में रखते हुये राज्य निर्वाचन प्राधिकार का यह सुचारित मंतव्य है कि **दण्डित पैक्स सदस्य के जमानत पर मुक्त रहने या अपील लंबित रहने पर भी ट्रायल कोर्ट द्वारा दण्डादेश पारित किये जाने की तिथि से ही वह पैक्स का सदस्य नहीं रह जाता है तथा इस आधार पर वह पैक्स की प्रबंध समिति का निर्वाचन लड़ने का हकदार नहीं है।**

तदनुसार बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 4 द्वारा संबंधित निकायों के निर्वाचन के पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण हेतु प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा सभी निर्वाचन पदाधिकारियों को निदेशित करता है कि **वे नामांकन पत्रों की संवीक्षा के समय उपर्युक्त विधिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुये बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 44खच(3) के अन्तर्गत अनर्हित अभ्यर्थियों के नामांकन पत्रों की वैधता का विनिश्चय करेंगे।**

(प्राधिकार का आदेश संख्या 576 दिनांक 12 जून, 2009)

समिति निर्वाचन के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता एवं चुनाव कार्यो से संबंधित अनुदेश

भाग-1

उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के लिए

1. सामान्य आचरण :

(1) किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो **[धारा 6(1)]** ।

(2) मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय या भाषीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये **[धारा 6(1)]** ।

(3) उपासना के किसी स्थल, यथा मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्धारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए **[धारा 6(1)]** ।

(4) किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलूओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।

(5) किसी अभ्यर्थी की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम, पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा उसके और उसके कार्यकर्त्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए।

(6) प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके सार्वजनिक विचार कैसे भी क्यों न हों। किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का निरोध करने के लिए किसी उम्मीदवार या उसके समर्थकों द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने जैसे तरीकों का सहारा लेना अथवा ऐसी कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।

(7) निर्वाचन क्षेत्र (पैक्स क्षेत्र) में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा, न ही आयोजित करेगा या उसमें उपस्थित होगा। **[धारा 6(2)]**

(8) उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अपराध हों, जैसे कि -

(i) निर्वाचन के प्रसंग में किसी ऐसे परिपत्र, विज्ञापन या इश्तहार का जारी किया जाना जिसपर इसके मुद्रणकर्त्ता और प्रकाशक का नाम, पता न हो [**धारा 6(4)** एवं धारा **14(viii)** तथा जो प्राधिकार के पत्रांक 368 दिनांक 18.05.09 की कंडिका 4(2)(i) में उल्लिखित अनुदेशों के विपरीत हो]

(ii) किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की सम्भावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार या प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो, **[धारा 14(v)]**

(iii) किसी चुनाव-सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना, **[धारा 6(3)]**

(iv) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर मतदान की तिथि को किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत मांगना, **[धारा 6(7)]**

(v) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना, **[धारा 6(10)]**

(vi) मतदान/मतगणना केन्द्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक या अशोभनीय या विश्रृंखल आचरण करना या मतदान/मतगणना केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना। **[धारा 6(8)]**

(vii) मतदान केन्द्र या उसके निकट अस्त्र-शस्त्र लेकर जाना। **[धारा 6(14)]**

(9) किसी ऐसी बैठक का आयोजन जिसमें मादक द्रव्य की आपूर्त्ति की जाती हो। **[धारा 14(vii)]**

(10) सार्वजनिक या निजी परिसरों में पोस्टर, बैनर, झंडा आदि किसी भी स्थिति में नहीं लगाया जाना चाहिए।

(11) मत प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का रिश्वत या पारितोषिक नहीं देना चाहिए। **[धारा 14 (i)]**

(12) मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग किया जाना चाहिए।

(13) मतदान केन्द्र/मतगणना केन्द्र पर प्राधिकृत कार्यकर्त्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान-पत्र अवश्य दिया जाना चाहिए।

(14) मतदान केन्द्र के निकट कोई भी गैर अधिकारिक निर्वाचन केन्द्र स्थापित नहीं किया जाएगा।

(15) चूँकि वर्तमान चुनाव दलगत आधार पर नहीं होना है इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या दल के झण्डा की आड़ में चुनाव प्रचार कार्य नहीं होना चाहिए।

2. सभाएँ :

(1) पैक्स निर्वाचन के संदर्भ में कोई सभा अपने पैक्स क्षेत्र अन्तर्गत ही की जा सकती है, किसी भी स्थिति में दूसरे पैक्स क्षेत्र में नहीं।

(2) किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सके।

(3) प्रस्तावित सभा के आयोजन के क्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

(4) किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा आम सभा में व्यवधान/विघ्न उत्पन्न करने/तत्संबंधी प्रयास करने पर आम सभा आयोजकों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों की सहायता प्राप्त की जाए, वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

(5) प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्त्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए।

3. जुलूस :

(1) जुलूस आदि का आयोजन अपने पैक्स क्षेत्र के अधीन ही किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में अपने पैक्स क्षेत्र से बाहर नहीं।

(2) किसी उम्मीदवार द्वारा जुलूस के आयोजन की स्थिति में जुलूस के आरम्भ होने का स्थल, समय तथा तिथि, जुलूस का मार्ग तथा जुलूस की समाप्ति का स्थल एवं समय पूर्व से निर्धारित किया जायगा तथा सामान्यत: इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

(3) उम्मीदवार को चाहिए कि वह अपने जुलूस उन्हीं मार्गो से ले जायें जिसके लिए उन्हें पूर्व से अनुमति मिली हो। इस क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो।

(4) जुलूस के आयोजकों द्वारा स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को तत्संबंधी कार्यक्रम की लिखित सूचना पूर्व में ही दी जायगी ताकि पुलिस द्वारा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

(5) किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से नहीं निकाला जाना चाहिए, जिसमें कोई निषेधात्मक आदेश प्रशासन द्वारा जारी किया गया हो। अगर ऐसा आदेश लागू हो, तो उसका सख्ती से पालन किया जाय।

(6) जुलूस के आयोजकों द्वारा जुलूस को पार करने हेतु आवश्यक व्यवस्था पूर्व से ही कर ली जाएगी ताकि यातायात बाधित न हो अथवा उसमें कोई विघ्न नही हो। यदि जुलूस काफी लम्बा हो तो उसे टुकड़ों में आयोजित करेंगे ताकि सुविधाजनक कालान्तर में सड़क/चौराहों पर जुलूस गुजर सके तथा उस क्रम में यातायात भी बाधित नहीं हो।

(7) जुलूस को सड़क के यथासंभव दाहिने रखा जायगा तथा कर्तव्य पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारी/कर्मी के निर्देश एवं सुझाव का अवश्य पालन किया जाये।

(8) यदि दो या अधिक उम्मीदवारों द्वारा एक ही मार्ग अथवा मार्ग अंश पर एक ही समय जुलूस के आयोजन का प्रस्ताव हो, तो संबंधित आयोजक एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि जुलूस आपस में नहीं भिड़ने पाये अथवा यातायात बाधित न हो। संतोषजनक व्यवस्था हेतु आयोजक स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त करेंगे।

(9) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके जुलूस या रैलियों में लोग ऐसी चीजें लेकर न चलें जिनको लेकर चलने में प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों मे दुरूपयोग किया जा सकता हो।

(10) प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्त्ताओं को रोकना चाहिए।

4. मतदान के दिन :

सभी उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों द्वारा -

(1) चुनाव कार्य में संलग्न पदाधिकारियों को शान्तिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से मतदान प्रक्रिया के संचालन तथा मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से बिना किसी व्यवधान के करने में सहयोग प्रदान किया जायगा।

(2) अपने प्राधिकृत कार्यकर्त्ताओं को उपयुक्त बिल्ले/बैज या पहचान-पत्र दिया जायेगा।

(3) मतदान की तिथि को वाहन परिचालन पर प्राधिकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने में अधिकारियों को सहयोग प्रदान किया जाएगा।

5. मतदान कोष्ठ :

मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति राज्य निर्वाचन प्राधिकार के वैध प्रवेश पत्र के बिना मतदान कोष्ठ में प्रवेश नहीं करेगा।

6. प्रेक्षक :

राज्य निर्वाचन प्राधिकार प्रेक्षकों की नियुक्ति कर रहा है। यदि उम्मीदवार या उनके एजेण्टों को निर्वाचन संचालन संबंधी कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो, तो वे उसको प्रेक्षक के संज्ञान में लायें।

भाग-2

1. सरकारी विभागों एवं कर्मियों के लिए

(1) पैक्स निर्वाचन की घोषणा की तारीख से मतगणना समाप्त होने तक प्राधिकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी/पीठासीन पदाधिकारी/मतदान पदाधिकारी/गणना सहायक इत्यादि के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध रहेगा ताकि चुनाव के सम्यक् संचालन में व्यवधान उपस्थित नहीं हो।

(2) पैक्स चुनाव से जुड़े हुए सरकारी कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।

(3) किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक ही दिन और समय पर एक से अधिक उम्मीदवार एक ही जगह पर सभा करना चाहते हों तो उस उम्मीदवार को अनुमति दी जानी चाहिए जिसने सबसे पहले आवेदन-पत्र दिया है।

(4) विश्राम गृहों या अन्य स्थानों में शासकीय आवास सुविधा का उपभोग करने की अनुमति किसी भी अभ्यर्थी को नहीं दी जाएगी।

2. पैक्स से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए

(क) पैक्स निर्वाचन की घोषणा होते ही संबंधित पैक्स द्वारा पैक्स निर्वाचन की अवधि में अपनी रूटीन गतिविधियाँ चालू रखने हेतु कोई प्रतिबंध नहीं है, किन्तु निर्वाचन की घोषणा से मतगणना परिणाम घोषित होने की अवधि में संबंधित पैक्स द्वारा अपने क्षेत्र में कोई नई योजना आरंभ नहीं की जा सकेगी। प्राकृतिक आपदा, यथा बाढ़, भूकंप आदि की स्थिति में पैक्स द्वारा राहत कार्य, अगर कोई हों, प्रारंभ करने में कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(ख) किसी भी परिस्थिति में पैक्स की किसी योजना को प्रारम्भ करने हेतु किसी प्रकार का अनुष्ठानिक कार्य, जैसे शिलान्यास आदि नहीं किया जाएगा; योजना का कार्यान्वयन सम्बन्धित विभागों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा सामान्य रूप से किया जाएगा।

(ग) ऐसा अनुभव रहा है कि पदावरोही (outgoing) सदस्य/अध्यक्ष अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु नए पदधारकों के आने के पहले तक वित्तीय मामलों में निर्णय लेते रहते हैं। इसमें राजस्व एवं कार्य की गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती है। इसे प्राधिकार द्वारा उचित नहीं समझा गया है। राज्य सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए एवं ऐसे अनुदेश निर्गत करने चाहिए **जिसके प्रभावस्वरूप निर्वाचन प्रक्रिया की अवधि में पदावरोही अध्यक्षों के वित्तीय अधिकारों पर पूर्ण पाबंदी लग जाए।**

अगर पैक्स सदस्यों को मौसमी एवं तत्कालिक कृषि कार्यों हेतु निधि मुहैया कराने के उद्देश्य से अध्यक्ष के लिए वित्तीय शक्ति का प्रयोग करना बिल्कुल जरूरी हो जाय, तो इसके लिए निर्वाचन पदाधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।

(घ) निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होते ही पैक्स के कार्यपालक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान अध्यक्षों एवं सदस्यों द्वारा अपने निर्वाचन की संभावना को लाभ पहुँचाने हेतु कोई कार्रवाई नही की जाए। अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नये पैक्स के गठित होने तक पैक्स की किसी बैठक में ऋण वितरण एवं अन्य कार्यक्रमों से संबंधित कोई प्रस्ताव न तो पेश किए जाएं, न ही पारित किए जाएं। साथ ही नए व्यय की कोई स्वीकृति नहीं दी जाए। अगर कोई पैक्स प्राधिकार के निदेशों के विपरीत आचरण करें, तो इसे कदाचार माना जाएगा एवं सभी संबंधित के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) आदर्श आचार संहिता के लागू रहने की अवधि में पैक्स अध्यक्ष भूमि वितरण/ऋण वितरण/पर्चा वितरण/कार्ड वितरण आदि कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकेंगे।

भाग-3

सहकारी समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए

i. सहकारी कर्मचारियों को चुनाव के दौरान अपना कार्य पूर्ण निष्पक्षता से करना चाहिए और ऐसा कोई आचरण और व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे यह आभास हो कि वे किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।

ii. निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन समाप्त होने तक :-

(i) पैक्स के अधीन कोई नियुक्ति या स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए,

(ii) पैक्स क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवसाय या वृत्ति के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जानी चाहिए;

(iii) पैक्स निधि से किसी नई योजना या कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए; वर्तमान सुविधाओं के विस्तार या उन्नयन का कोई कार्य स्वीकृत या प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। पहले से स्वीकृत किसी स्थानीय योजना का कार्य जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक कार्य प्रारंभ नही हुआ हो, प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए और किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए;

(iv) किसी संगठन या संस्था को, किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता या अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए;

(v) पैक्स के खर्च पर ऐसा कोई विज्ञापन या पैंपलेट जारी नहीं किया जाना चाहिए जिसमें पैक्स की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिससे किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को प्रमाणित करने में सहायता मिलती हो;

iii. किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर, जिसमें प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुँचाना आवश्यक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पैक्स के किसी पदधारी (जैसे कि अध्यक्ष आदि) के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और ऐसे दौरे में पैक्स के किसी कर्मचारी को उनके साथ नहीं रहना चाहिए।

भाग-4

अभ्यर्थियों/प्रत्याशियों और सरकार के मार्गदर्शन हेतु ''क्या करें'' व ''क्या न करें''

क्या करें

1. चल रहे कार्यक्रम जारी रह सकेंगे।
2. अनिश्चय की स्थिति में राज्य निर्वाचन प्राधिकार से स्पष्टीकरण/अनुमोदन प्राप्त करें।
3. बाढ़, सूखा, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिये राहत व पुनर्वास संबंधी उपाय प्रारम्भ किए जाएं और जारी रखे जायें।
4. निर्वाचन सभाओं के आयोजन के लिये सार्वजनिक स्थान, यथा मैदान आदि निष्पक्ष रूप से सभी प्रत्याशियों के लिये उपलब्ध होना चाहिये।
5. विश्राम गृह, डाक बंगले और अन्य सरकारी आवास किसी भी अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं कराये जायेंगें।
6. अन्य प्रत्याशियों और अभ्यर्थियों की आलोचना उनकी नीतियाँ, कार्यक्रम, पुराने रिकार्ड और कार्य मात्रा से संबंधित होनी चाहिये।
7. प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण और निर्विघ्न पारिवारिक जीवन के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये।
8. प्रस्तावित सभाओं के संबंध में स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस को समय रहते सूचित किया जाय और सभी आवश्यक अनुमति भी प्राप्त की जाय।

9. यदि प्रस्तावित सभा के स्थान पर प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू हो, तो उनका पूरी तौर पर पालन किया जाय। यदि छूट आवश्यक हो तो उसके लिये आवेदन अवश्य किया जाय और समय रहते उसे प्राप्त कर लिया जाय।
10. बैठक की गड़बड़ी या अन्य प्रकार से अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों से निपटने के लिये पुलिस की सहायता प्राप्त की जाय।
11. किसी भी जुलूस के शुरू होने का समय व स्थान, वह किस मार्ग से होकर जायेगा और कस समय और स्थान पर जुलूस समाप्त होगा, यह पहले से तय करके सक्षम पुलिस पदाधिकारियों से अग्रिम रूप से अनुमति ले लेनी चाहिये।
12. जिन मोहल्लों से होकर जुलूस गुजरेगा वहॉ पर लागू निषेधात्मक आदेश का पता लगाया जाय और पूरी तरह से उनका अनुपालन किया जाय। साथ ही यातायात नियमों और प्रतिबंधों का भी अनुपालन किया जाय।
13. जुलूस का रास्ता ऐसा होना चाहिये जिससे यातायात में कोई बाधा न पड़े।
14. शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान के लिये निर्वाचन कर्मचारियों से हमेशा ही सहयोग किया जाय।
15. कार्यकर्त्ताओं को अपने बिल्ले या पहचान पत्रों को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिये।
16. मतदान के दिन वाहन चलाने पर प्रतिबंधों का पूर्णरूपेण पालन किया जाय।
17. राज्य निर्वाचन प्राधिकार से प्राप्त वैध प्राधिकार पत्र वाले व्यक्ति ही किसी मतदान केन्द्र पर मतदान के दौरान प्रवेश कर सकते है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी उच्चपदासीन हो, इस मामले का अपवाद नहीं हो सकता, सिवाय कि वह संबंधित मतदान केन्द्र पर अपना मत देने के लिये जा सकेगा।
18. निर्वाचनों के संचालन में कोई शिकायत या समस्या राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों/जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)/निर्वाचन पदाधिकारी/जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट/राज्य निर्वाचन प्राधिकार की जानकारी में लायी जाय।
19. निर्वाचन के विभिन्न पहलूओं से संबंधित सभी मामलों में राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्गत आदेश/निदेश/दिशा-निर्देश का अनुपालन निर्वाचन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०) द्वारा किया जायेगा।

क्या ना करें

1. पैक्स क्षेत्र के बाहर सार्वजनिक बैठकें करना/जुलूस निकालना।
2. सरकारी वाहनों या कार्मिकों या मशीनों/उपकरणों का उपयोग चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों में नहीं किया जायेगा।
3. पैक्स क्षेत्र में पैक्स के माध्यम से वितरित/कार्यान्वित होने वाले योजनाओं का वचन देना, आधारशिला रखना तथा किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा आदि न करें।
4. कोई भी मंत्री/सांसद/विधायक/पार्षद आदि किसी मतदान केन्द्र या गणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक कि वह स्वयं प्रत्याशी न हों या सिर्फ मतदान करने वाले मतदाता न हों।
5. वित्तीय अथवा अन्यथा कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाय।
6. निर्वाचकों के जातीय/साम्प्रदायिक भावनाओं को उद्वेलित नहीं करना चाहिये।
7. ऐसा कोई कार्य न करें जिसे मौजूदा मतभेदों को बढ़ावा मिले या आपस में घृणा पैदा हो अथवा विभिन्न जातियों, समुदायों अथवा धार्मिक या भाषायी समूहों में तनाव उत्पन्न हो।
8. दूसरे प्रत्याशियों के कार्यकर्त्ताओं की निजी जिन्दगी के किसी भी पहलू पर जिसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध न हो, टीका टिप्पणी की अनुमति न दी जाय।
9. असत्यापित आरोपों अथवा मिथ्या वर्णनों के आधार पर दूसरे प्रत्याशियों या उनके कार्यकर्त्ताओं पर टीका टिप्पणी न की जाय।
10. मंदिरों, मस्जिदों, गिरजा घरों, गुरूद्धारों या पूजा का कोई भी स्थान भाषण, पोस्टर, संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार हेतु इस्तेमाल न किये जायें।

11. कदाचार अथवा निर्वाचन अपराधों संबंधित गतिविधियॉ यथा घूसखोरी, मतदाता पर अनुचित प्रभाव, अभित्रास; प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में प्रचार मतदान के लिये नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि में सार्वजनिक सभाएँ करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाना और वहाँ से ले जाना निषिद्ध है।

12. व्यक्तियों के मकानों के सामने उनके विचारों और कार्यो के विरोध में प्रदर्शन करने या धरना देने का उपाय न करें।

13. किसी भी निजी अथवा सार्वजनिक परिसर पर झण्डा फहराने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने, नारे आदि लिखने की कार्रवाई कर उसे विरूपित न करें।

14. दूसरे अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों में व्यवधान पैदा न करें।

15. उन स्थानों के पास जहाँ किसी प्रत्याशी द्वारा सभायें आयोजित की जा रही हों, दूसरे प्रत्याशी जुलूस न निकालें।

16. जुलूस में भाग लेने वालों को ऐसी वस्तुएँ नहीं ले जानी चाहिये जिनका अस्त्र या शस्त्र के रूप में दुरूपयोग किया जा सकता हो।

17. पैक्स निर्वाचन में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

18. निर्वाचन सभा के दौरान शराब नहीं बांटी जानी चाहिये।

19. अभ्यर्थी प्राधिकार द्वारा विहित सीमा से अधिक व्यय न करे।

20. निर्वाचन परिणाम की घोषणा के **पन्द्रह दिनों के अंदर व्यय का लेखा-जोखा** निर्वाचन पदाधिकारी को समर्पित करना नहीं भूलें।

21. कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नामांकन देने से रोकने, अभित्रसित करने, बल प्रयोग करने अथवा अभ्यर्थिता वापस लेने हेतु रिश्वत आदि देने की चेष्टा नहीं करें।

टिप्पणी :- उपर्युक्त सूची मात्र उदाहरणात्मक है, विस्तृत तथा अंतिम नहीं। यह उपर्युक्त विषय पर निर्गत किसी अन्य विस्तृत आदेशों/निदेशों/अनुदेशो को प्रतिस्थापित करने के निमित्त नहीं है ।

परिशिष्ट–3

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना ।

पत्र संख्या 4992 / पटना, दिनांक 01.11.13

7/नि॰ (विधि-13)अधि॰ नियमा॰ संशो॰ - 05/ 2013

प्रेषक,

हुकुम सिंह मीणा,
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ,
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी,
सभी प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰,
सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ,
सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ ।

विषय :- **बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 और बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 में हुए संशोधनों के फलस्वरूप प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में किए गये आरक्षण को लागू करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 के द्वारा बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-14(2) के परन्तुकों और बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 के द्वारा बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-26(2) के परन्तुकों में आरक्षण हेतु विहित प्रावधानों को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि वैसी समितियों अथवा समितियों के वर्ग को छोड़कर, जिन्हें समय-समय पर राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा एतदर्थ अपवर्जित करें, समितियों के बोर्ड में पदधारियों सहित निदेशकों की संख्या न्यूनतम 12 (बारह) किये जाने हेतु समितियों की उपविधियों में अभियान चलाकर संशोधन किया जाय ।

2. सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी एतदर्थ उनके अधीनस्थ कार्यालयो में वैसी समितियों जिनमें उक्त कारण से चुनाव लम्बित हो तथा वैसी समितियों जिनमें चुनाव देय होने वाले हो, की सूची तैयार कर अविलम्ब इस निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विधिनुकूल आवश्यक कार्रवाई करें।

3. वैसी समितियों, जो ससमय निर्वाचन नहीं होने के कारण तथा अधिनियम सम्मत अन्य तकनीकी कारणों से अकार्यशील हो गई हो, संबंधित अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन उन्हें परिसमापित करने हेतु नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन
ह०/-
(हुकुम सिंह मीणा)
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना ।

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना ।

पत्र संख्या 4996 / पटना, दिनांक 01.11.13

7/नि॰ (विधि-11) विविध - 75/ 2012

प्रेषक,

हुकुम सिंह मीणा,
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार,
32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

विषय :- **आरक्षण को लागू करने में कठिनाई को दूर करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान सचिव, सहकारिता को संबोधित आपके पत्रांक 1080 दिनांक 01.10.2013 द्वारा बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-14(2) में विहित प्रावधानानुसार आरक्षण को लागू करने में हो रही कठिनाई को दूर करने के लिए बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-65बी के अन्तर्गत विचारार्थ दिये गये कतिपय सुझाव के संबंध में कहना है कि इस कार्यालय का पत्रांक 4992 दिनांक 01.11.13 द्वारा सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है कि वे बोर्ड में पदधारियों सहित निदेशकों की संख्या न्यूनतम 12 (बारह) करते हुए आरक्षण प्रावधान का उपबंध करने के लिए समितियों की उपविधियाँ में संशोधन किया जाय (पत्र की प्रतिलिपि संलग्न)।

क्षेत्रीय हस्तकरघा सहकारी बुनकर सहयोग संघ लिमिटेड, भागलपुर के दृष्टान्त के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) को अनारक्षित मानते हुए शेष पदों पर आरक्षित किया जाता है। यथा (i) एकल पद होने के कारण उन पर आरक्षण लागू नहीं होगा, परंतु (ii) इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे (iii) 12 सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष 10 पदों में ही 06 पद आरक्षित होंगे। इस प्रकार कुल आरक्षण 06 पदों का ही होगा, जो 50% से अनधिक है। ध्यातव्य रहे कि कुल 12 पदों का रोस्टर बिन्दु इसके आलोक में तैयार किया जा सकेगा, जिसमें अध्यक्ष/ सचिव को क्रमशः 1/3 बिन्दु पर रखकर 1, 3, 5, 7, 9 एवं 11 को अनारक्षित एवं 2, 4, 6, 8, 10 एवं 12 को आरक्षित रखा जा सकता है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक समिति की प्रबंधकारिणी कमिटी में अधिकतम सदस्यों की संख्या 13 है, और तदनुसार बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा पूर्व में पैक्स एवं मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन कराया गया है। अतएव तद्नुरूप निर्वाचन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना युक्तिसंगत होगा।

अनुलग्नक-यथोपरि।

विश्वासभाजन
ह०/-
(हुकुम सिंह मीणा)
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना ।